GS Paper 1 4

TOPIC : ATLANTIC CHARTER 4

TOPIC : TRIRASHMI BUDDHIST CAVES 4

TOPIC : FLAG SATYAGRAHA 5

TOPIC : SUMMER SOLSTICE 6

TOPIC : GUJARAT TO GET INDIA'S FIRST MARITIME HERITAGE COMPLEX 6

TOPIC : SANT KABIR 7

TOPIC : 6TH ANNIVERSARY TO COMMEMORATE LAUNCH OF PMAY-U, AMRUT & SMART CITIES MISSION CELEBRATED 8

GS Paper 2 8

TOPIC : ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES 8

TOPIC : INDIA EXPANDS NEGATIVE LIST FOR DEFENCE IMPORTS 9

TOPIC : JANUARY 30 NOW 'WORLD NEGLECTED TROPICAL DISEASES DAY': WHA 10

TOPIC : THOUSANDS OF ROHINGYA PROTEST AT BHASHAN CHAR 10

TOPIC : SAGY 11

TOPIC : AS BIRTHS DECLINE, CHINA TO ALLOW COUPLES TO HAVE THIRD CHILD 12

TOPIC : MODEL TENANCY ACT 13

TOPIC : H10N3 BIRD FLU 14

TOPIC : NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS 15

TOPIC : 13 MORE DISTRICT COLLECTORS EMPOWERED TO GRANT CITIZENSHIP TO APPLICANTS FROM 3 COUNTRIES 16

TOPIC : CENTRE TELLS STATES TO SPLIT RURAL JOBS SCHEME WAGES INTO SEPARATE CATEGORIES FOR SCS, STS, OTHERS 16

TOPIC : CVC LAYS DOWN RULES FOR POST-RETIREMENT HIRING OF OFFICIALS BY GOVERNMENT ORGANISATIONS 18

TOPIC : CENTRE TO HIRE PRIVATE CONSULTANTS TO REVAMP COMPETENCY OF BUREAUCRACY 19

TOPIC : INDIAN RAILWAYS' RDSO FIRST TO BE DECLARED SDO UNDER "ONE NATION ONE STANDARD" MISSION ... 20

TOPIC : SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL INDEX 21

TOPIC : NATIONAL LITIGATION POLICY: NLP 22

TOPIC : CEM- INDUSTRIAL DEEP DECARBONIZATION INITIATIVE 22

TOPIC : LONG TERM VISAS – LTVS 23

TOPIC : BRICS 24

TOPIC : SYRIA HAS LIKELY USED CHEMICAL WEAPONS 17 TIMES: OPCW 25

TOPIC : SUPREME COURT URGED TO STOP ILLEGAL ADOPTIONS 26

TOPIC : SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION 27

TOPIC : GLOBAL CORPORATE TAX DEAL 28

TOPIC : CHINA HOSTS ASEAN MINISTERS 29

TOPIC : MONSOON SESSION OF PARLIAMENT LIKELY TO BEGIN IN JULY 30

TOPIC : RENGMA NAGAS DEMAND AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL 31

TOPIC : ELECTION COMMISSIONER 31

TOPIC : SMART KITCHEN PROJECT OF KERALA 32

TOPIC : QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 33

TOPIC : VACCINE NATIONALISM 34

TOPIC : BREACH OF PRIVILEGE 35

TOPIC : CABINET APPROVES MOU BETWEEN INDIA AND ARGENTINE REPUBLIC ON COOPERATION IN THE FIELD OF MINERAL RESOURCES 36

TOPIC : ONE NATION ONE RATION CARD SCHEME 37

TOPIC : PAK. PASSES BILL TO LET JADHAV APPEAL 38

TOPIC : VEHICLE SCRAPPAGE POLICY 39

TOPIC : CITIZENS' CHARTER 39

TOPIC : PERFORMANCE GRADING INDEX – PGI 40

TOPIC : THE HISTORY OF TULU AND THE DEMAND FOR OFFICIAL LANGUAGE STATUS 41

TOPIC : NATO SUMMIT 42

TOPIC : SIPRI YEARBOOK 2021 42

TOPIC : RAM PRASAD BISMIL 44

TOPIC : SUPREME COURT CLOSES CRIMINAL CASE AGAINST ITALIAN MARINES; ITALY WILL NOW TRY THEM 45
TOPIC : BIMSTEC 45
TOPIC : FAO 47
TOPIC : PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE- PAC 48
TOPIC : WHO GLOBAL TUBERCULOSIS PROGRAMME 49
TOPIC : ASEAN DEFENCE MINISTERS' MEETING PLUS 50
TOPIC : CHENNAI–KANYAKUMARI INDUSTRIAL CORRIDOR- CKIC 51
TOPIC : RECUSAL OF JUDGES 51
TOPIC : HOW ARE POLL RESULTS CHALLENGED, AND WHEN COURTS HAVE SET THEM ASIDE? 52
TOPIC : FOODBORNE DISEASE 53
TOPIC : EBOLA OUTBREAK 54
TOPIC : J&K DELIMITATION COMMISSION 54
TOPIC : SECTION 309 IN THE INDIAN PENAL CODE 56
TOPIC : THE DRAFT CINEMATOGRAPH (AMENDMENT) BILL 2021 57
TOPIC : EUROPEAN UNION 58
TOPIC : INTERNATIONAL YOGA DAY AND M-YOGA APP 58
TOPIC : AT UNHRC, GRAVE CONCERNS RAISED OVER XINJIANG 59
TOPIC : INFORMATION FUSION CENTRE FOR INDIAN OCEAN REGION 60
TOPIC : UNDP 60
TOPIC : CHIEF OF DEFENCE STAFF – CDS 61
TOPIC : SICKLE CELL DISEASE: SCD 62
TOPIC : BORDER ROADS ORGANISATION – BRO 62
TOPIC : FUGITIVE ECONOMIC OFFENDER 63
TOPIC : INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION– ILO ..64
TOPIC : PAKISTAN TO STAY IN FATF 'GREY LIST' 65
TOPIC : TAX INSPECTORS WITHOUT BORDERS 66
TOPIC : MISSION KARMAYOGI 66
TOPIC : COWIN PLATFORM 67
TOPIC : ATTORNEY GENERAL OF INDIA 67
TOPIC : INTERNATIONAL DAY AGAINST DRUG ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING 68
TOPIC : RUSSO-BRITISH DISPUTE OVER THE BLACK SEA REGION 69
TOPIC : PARLIAMENTARY PRIVILEGES 70
TOPIC : ONE NATION ONE RATION CARD 71
TOPIC : OPEC AND RISING OIL PRICES 71
GS Paper 3 72
TOPIC : ECONOMIC IMPACT OF INCREASED INCIDENCE OF CYCLONES ON THE WEST COAST 72
TOPIC : 5G TECHNOLOGY 73
TOPIC : SOIL SPILL 74
TOPIC : INDIA ATTRACTED HIGHEST EVER TOTAL FDI INFLOW DURING 2020-21 75
TOPIC : NARCL AND ARC 76
TOPIC : ETHANOL BLENDED PETROL PROGRAMME 77
TOPIC : 'SEA SNOT' OUTBREAK IN TURKEY 78
TOPIC : GLACIERS OF THE HIMALAYAS : CLIMATE CHANGE, BLACK CARBON, AND REGIONAL RESILIENCE: WB 78
TOPIC : CHIME TELESCOPE YIELDS UNPRECEDENTED RESULTS 79
TOPIC : HERITAGE TREES 80
TOPIC : EUROPEAN SPACE AGENCY'S ENVISION MISSION TO VENUS 80
TOPIC : DEFENCE MINISTRY RELEASES E-BOOKLET ON 20 MOD REFORMS IN 2020 81
TOPIC : NATIONAL FOOD SECURITY ACT 82
TOPIC : INLAND VESSELS BILL 83
TOPIC : DEEP OCEAN MISSION 83
TOPIC : UNLAWFUL ACTIVITIES PREVENTION ACT 85
TOPIC : BARRIER TO CYCLONE STORMS: ODISHA PLANS TO PLANT MANGROVES ALONG ITS COAST 86
TOPIC : INTEGRATED POWER DEVELOPMENT SCHEME 87
TOPIC : INDIRA GANDHI NAGAR 87
TOPIC : FOOD SECURITY (ASSISTANCE TO STATE GOVERNMENT RULES) 2015 AMENDED) 88

SANSAR DCA

TOPIC : UNESCO TO DOWNGRADE STATUS OF GREAT BARRIER REEF.....89

TOPIC : COMPETITION COMMISSION OF INDIA 90

TOPIC : FAST TRACKING FREIGHT IN INDIA: NITI AAYOG 91

TOPIC : PYGMY HOGS.....91

TOPIC : NATIONAL STATISTICS DAY 92

TOPIC : CURRENCY EXCHANGE AGREEMENT.....93

TOPIC : OVER 18 MILLION KIDS AT E-WASTE DUMPSITES FACE THREAT OF HEALTH HAZARDS: WHO 93

Prelims Vishesh.....**93**

SANSAR DCA

GS Paper 1

GS Paper 1 Source : PIB

UPSC Syllabus : World history.

TOPIC : ATLANTIC CHARTER

संदर्भ

हाल ही में, अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणापत्र, जिसे **अटलांटिक चार्टर** कहा जाता है, से संबंधित दस्तावेजों का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने निरीक्षण किया.

दोनों नेताओं द्वारा 'लोकतंत्र और खुले समाज के सिद्धांतों, मूल्यों और संस्थानों की रक्षा' का संकल्प लेते हुए एक **नए अटलांटिक चार्टर** पर हस्ताक्षर करने की योजना है.

अटलांटिक चार्टर क्या है?

- अटलांटिक चार्टर अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा 14 अगस्त, 1941 को (**द्वितीय विश्व युद्ध** के दौरान) न्यूफाउंडलैंड में सरकार के दो प्रमुखों की बैठक के बाद जारी एक संयुक्त घोषणा थी.
- अटलांटिक चार्टर को बाद में वर्ष 1942 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में संदर्भ द्वारा शामिल किया गया था.
- द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 1939-45 के वर्षों के दौरान विश्व के करीब हर हिस्से को शामिल किया गया था.
- प्रमुख युद्धरत थे:
    1. **एक्सिस शक्तियाँ:** जर्मनी, इटली और जापान.
    2. **सहयोगी:** फ्राँस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन.

मुख्य तथ्य: अटलांटिक चार्टर

- **दस्तावेज़ का नाम**: अटलांटिक चार्टर
- **हस्ताक्षर किए जाने की तारीख**: 14 अगस्त, 1941
- **हस्ताक्षर करने का स्थान**: न्यूफ़ाउंडलैंड, कनाडा
- **हस्ताक्षरकर्ता**: फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया के निर्वासन में सरकारों के बाद, ग्रीस, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड और युगोस्लाविया, सोवियत संघ और फ्री फ्रेंच ताकतों. अतिरिक्त राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से संधि का समर्थन व्यक्त किया.
- **दस्तावेज़ का उद्देश्य**: युद्ध के बाद की दुनिया के लिए मित्र राष्ट्रों की साझा नैतिकता और लक्ष्यों को परिभाषित करना.
- **दस्तावेज़ के मुख्य बिंदु**: दस्तावेज़ के आठ प्रमुख बिंदु क्षेत्रीय अधिकारों, आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता, आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित हैं, निरस्त्रीकरण, और नैतिक लक्ष्य, जिसमें समुद्र की स्वतंत्रता और काम करने की इच्छा के लिए एक दृढ़ संकल्प शामिल है डर."

अटलांटिक चार्टर में शामिल प्रमुख बिंदु

1. अटलांटिक चार्टर में **आठ सामूहिक सिद्धांत** शामिल किए गए थे.
2. संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन द्वार विश्व-युद्ध से कोई भी क्षेत्रीय लाभ नहीं उठाने पर सहमति व्यक्त की गई, और उन्होंने संबंधित नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध किए जाने वाले किसी भी क्षेत्रीय परिवर्तन का विरोध किया.
3. जिन राष्ट्रों पर युद्ध के दौरान दूसरे देशों के कब्जा हो गया था, या उनकी सरकार गिर गई थी, उनके लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए सहायता करना.
4. नागरिकों को अपनी खुद की सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए.

GS Paper 1 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Indian culture will cover the salient aspects of Art Forms from ancient to modern times.

TOPIC : TRIRASHMI BUDDHIST CAVES

संदर्भ

नासिक के **त्रिरश्मी बौद्ध गुफा** परिसर में 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं. नई खोजी गई गुफाओं की प्राचीनता अभी तक स्थापित नहीं हुई है. माना जा रहा है कि वे त्रिरश्मी गुफाओं से भी प्राचीन हैं.

सभी गुफाओं में बरामदे हैं और उनमें भिक्षुओं के लिए पाषाण निर्मित एक वर्गाकार चबूतरा भी है.

त्रिरश्मी बौद्ध गुफा

- त्रिरश्मी गुफाएं पांडव लेनी के नाम से भी विख्यात हैं. यह गुफा परिसर 24 गुफाओं का एक समूह है, जिसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और छठी शताब्दी ईस्वी के मध्य त्रिरश्मी पहाड़ी पर निर्मित किया गया था.
- गुफाओं के परिसर की खोज वर्ष 1823 में कैप्टन जेम्स डेलामाइन द्वारा की गई थी.
- गुफाएं विहार और चैत्य दोनों हैं. विहार मठ हैं और चैत्य प्रार्थना सभाएं हैं.
- ये बौद्ध धर्म के हीनयान मत (जो बुद्ध की प्रतीकों के रूप में उपासना करते थे) और महायान मत (जो बुद्ध की मूर्ति रूप में आराधना करते थे) दोनों से संबंधित हैं.

भारत में अन्य प्रमुख बौद्ध गुफाएं हैं

- महाराष्ट्र- अजंता, एलोरा, कन्हेरी गुफाएं आदि.
- ओडिशा- धौली, ललितगिरी, रत्नागिरी गुफाएं आदि.
- आंध्र प्रदेश- नागार्जुनकोंडा गुफाएं.
- बिहार- बाराबर गुफाएं.
- मध्य प्रदेश- बाग गुफाएँ.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

ज्यादातर जिस **वस्तु, रूप अथवा तत्त्व** का निर्माण किया जाता है, उसी के नाम पर उस कला का प्रकार जाना जाता है, जैसे –

1. वास्तुकला या स्थापत्य कला – अर्थात् भवन-निर्माण कला जैसे दुर्ग, प्रासाद, मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि.
2. मूर्तिकला – पत्थर या धातु के बनी मूर्तियाँ.
3. चित्रकला – भवन की भित्तियों, छतों या स्तम्भों पर अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज़ पर अंकित चित्र.
4. मृदभांडकला – मिट्टी के बर्तन.
5. मुद्राकला – सिक्के या मोहरें.

कभी-कभी जिस **पदार्थ** से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उस पदार्थ के नाम पर उस कला का प्रकार जाना जाता है, जैसे –

1. प्रस्तरकला – पत्थर से गढ़ी गई आकृतियाँ
2. धातुकला – काँसे, तांबे अथवा पीतल से निर्मित मूर्तियाँ
3. दंतकला – हाँथी के दांतों से बनाई गई कलाकृतियाँ
4. मृत्तिका कला – मिट्टी से बनाई गई कलाकृतियाँ या खिलौने

GS Paper 1 Source : PIB

UPSC Syllabus : The Freedom Struggle – its various stages and important contributors /contributions from different parts of the country.

TOPIC : FLAG SATYAGRAHA

संदर्भ

संस्कृति मंत्रालय द्वारा 18 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर में **'ध्वज सत्याग्रह' / 'झंडा सत्याग्रह'** मानने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.

ध्वज सत्याग्रह

- झंडा सत्याग्रह अथवा ध्वज सत्याग्रह भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के समय का एक शान्तिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आन्दोलन था जिसमें लोग राष्ट्रीय झंडा फहराने के अपने अधिकार के तहत जगह-जगह झंडे फहरा रहे थे.
- जबलपुर से झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी. 18 मार्च 1923 को देश में पहली बार झंडा फहराया गया था.
- वर्ष 1922 में कांग्रेस की एक समिति का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य था अब तक चलाए गए **असहयोग आंदोलन** की सफलता का आंकलन करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था. इस समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे. सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, विटठ्लभाई पटेल, डॉ. अंसारी, चक्रवती राजगोपालाचारी और कस्तूरी रंगा आयंगर प्रमुख थे. यह समिति 1922 अक्टूबर में जबलपुर आई और गोविंद भवन में ठहरी थी. जनता की ओर से इन नेताओं को विक्टोरिया टाउन हॉल में आयोजित एक समारोह में अभिनंदन पत्र भेंट किया गया.
- इस अवसर पर टाउन हॉल के ऊपर तिरंगा झंडा भी फहराया गया था. इस खबर से लंदन की पार्लियामेंट में तहलका मच गया. भारतीय मामलों के सचिव लार्ड विंटरटन को इस बात की सफाई देने में बड़ा समय लगा.

उन्होंने आश्वासन दिया कि अब कभी ऐसा नहीं होगा. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया.

- मार्च 1923 में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की दूसरी समिति आई जिसमें बाबू राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, जमनालाल बजाज और देवदास गांधी प्रमुख थे. म्युनसिपल कमेटी ने मानपत्र देने का विचार बनाया. कंछेदीलाल जैन कमेटी के म्युनसिपालिटी के अध्यक्ष थे. उन्होंने टाउन हॉल पर झंडा फहराने की अनुमति डिप्टी कमिश्नर हेमिल्टन से मांगी. अनुमति न मिलने से आंदोलन शुरू हुआ जिसे झंडा सत्याग्रह का नाम दिया गया.
- इस आंदोलन की शुरुआत के बाद वर्ष 1923 में पंडित सुंदरलाल नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने जिन्होंने जनता को आंदोलित किया गया कि टाउन हॉल पर झंडा अवश्य फहरेगा.
- 18 मार्च 1923 को पंडित सुंदरलाल ने अपने साब बालमुकुंद त्रिपाठी, बद्रीनाथ दुबे, सुभद्रा कुमारी चौहान, ताजुद्दीन अब्दलु रहीम व माखन लाल चतुर्वेदी को साथ लेकर टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया. इस मसय सीताराम यादव, परमानंद जैन, उस्ताद प्रेमचंद, खुशहाल चंद्र जैन साथ थे. जबलपुर की सफलता से आंदोलित होकर झंडा सत्याग्रह नागपुर पहुंचा जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया.
- 18 जून 1923 को झंडा सत्याग्रह ने झंडा दिवस के रूप में देशव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया.

GS Paper 1 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Important Geophysical phenomena.

TOPIC : SUMMER SOLSTICE

संदर्भ

उत्तरी गोलार्द्ध में **21 जून** को ग्रीष्म अयनांत (summer solstice) घटित होता है. इस दिन सूर्य का अयन **दक्षिण की ओर** होने लगता है और ग्रीष्म ऋतु का आरम्भ हो जाता है. **जून 21 किसी भी वर्ष का सबसे लम्बा दिन होता है**.

अयनांत किसे कहते हैं?

अयनांत शब्द लैटिन भाषा के शब्द "solstitium" से निकला है, जिसका अर्थ है "स्थिर सूर्य". इस दिन मकर रेखा पर सूर्य स्थिर प्रतीत होता है. कुछ लोग इस अयनांत को Sun-turn अर्थात् "सूर्य का मुड़ना" यह नाम देते हैं.

अयनांत क्यों होता है?

अयनांत एक खगोलीय घटना है जो पृथ्वी के अपनी धूरी से एक ओर झुके रहने के कारण और सूर्य की परिक्रमा के समय इसकी चाल के कारण होती है.

जून के अयनांत के समय पृथ्वी अपनी परिक्रमा के समय ऐसी स्थिति में होती है कि जिसमें **उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका हुआ होता है**. पृथ्वी से देखने पर सूर्य दोपहर में **विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में 23 ½ डिग्री हमारे सिरों के ऊपर कर्क रेखा पर स्थित** होता है. उत्तर में सूर्य इस बिंदु से अधिक आगे नहीं जा पाता है.

निहितार्थ

ग्रीष्म अयनांत में विषुवत रेखा के उत्तर के सभी भागों में दिन 12 घंटों से अधिक लम्बा होता है, परन्तु इसके ठीक विपरीत दक्षिण गोलार्द्ध में सारे भूभागों में दिन 12 घंटे से छोटे हैं.

GS Paper 1 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Indian culture will cover the salient aspects of Art Forms, literature and Architecture from ancient to modern times.

TOPIC : GUJARAT TO GET INDIA'S FIRST MARITIME HERITAGE COMPLEX

संदर्भ

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय व पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के **लोथल** में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (National Maritime Heritage Complex – NMHC) के विकास में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

प्रमुख बिंदु

- समझौते के अंतर्गत गुजरात के अहमदाबाद से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित लोथल के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण स्थल के आस-पास के क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय सुविधा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) को विकसित किया जाना है.
- NMHC को विभिन्न अद्वितीय संरचनाओं के साथ लगभग 400 एकड़ के क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा. इनमें राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, लाइट हाउस म्यूजियम, हेरिटेज थीम पार्क, म्यूजियम थीम्ड होटल और मेरिटाइम थीम्ड इको-रिसॉर्ट्स और समुद्री संस्थान आदि शामिल हैं.
- NMHC की अनूठी विशेषता प्राचीन लोथल शहर की फिर से रचना है, जो 2400 ईसा पूर्व से प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है.
- इसके अतिरिक्त, विभिन्न कालों के दौरान भारत की समुद्री विरासत के विकास को विभिन्न दीर्घाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा.
- NMHC में विभिन्न थीम पार्क सार्वजनिक-निजी साझेदारी के जरिये विकसित किए जाएंगे, जो आगंतुकों को एक पूर्ण पर्यटन स्थल का अनुभव प्रदान करेगा.
- संस्कृति मंत्रालय NMHC की स्थापना के लिए तीन वर्षों (प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपये) में समान किश्तों में 15 करोड़ रुपये (राष्ट्रीय संस्कृति कोष के माध्यम से) जारी करेगा.

लोथल के बारे में

- सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल एक महत्त्वपूर्ण बंदरगाह एवं संपन्न व्यापार केंद्र था, जिसके मोतियों, रत्नों और बहुमूल्य गहनों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर क्षेत्रों तक विस्तृत था.
- इसकी खोज वर्ष 1954 में **ए. रंगनाथ राव** द्वारा की गई थी.
- इस नगर की बस्ती एक दीवार से घिरी हुई थी. इसमें एक इमारत मिली है जो कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार एक बन्दरगाह थी. यह इस बात की ओर संकेत करता है कि लोथल एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र रहा होगा जहां विदेशी नावें भी आती होंगी.
- **विशेषताएँ**: बंदरगाह, डॉकयार्ड, धान, बाजरे के साक्ष्य, फारस की मुहरे, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र, युगल समाधियाँ.

यह अवश्य पढ़ें:- हड़प्पा संस्कृति

GS Paper 1 Source : PIB

UPSC Syllabus : Indian culture will cover the salient aspects of Art Forms, Literature and Architecture from ancient to modern times.

TOPIC : SANT KABIR

संदर्भ

जून को **संत कबीर दास** जयंती मनाई . इस अवसर पर देश भर में समारोह आयोजित किये गये. हिंदू चंद्र कैलेंडर (Hindu Lunar Calendar) के अनुसार, कबीर जयंती, ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है.

संत कबीर दास

1. संत कबीर दास 15वीं शताब्दी के भारत के एक बहुत प्रसिद्ध संत, कवि और सामाजिक सुधारक थे.
2. उन्होंने अपनी महान रचनाओं में परमात्मा की एकता और महानता का वर्णन किया है.
3. वे धार्मिक भेद-भाव पर विश्वास नहीं रखते थे तथा सभी धर्मों को सहर्ष रूप से स्वीकार करते थे.
4. कबीर दास अपने समय के प्रतिष्ठित कवि थे और उनकी रचनाओं ने भक्ति आन्दोलन को बहुत हद तक प्रभावित किया.
5. इनकी कुछ रचनाएँ हैं –**सखी ग्रन्थ, अनुराग सागर, बीजक.**
6. उनके नाम पर **कबीर पन्थ** नामक धार्मिक सम्प्रदाय चला जो आज भी चल रहा है. इसके अनुयायी **कबीरपंथी** कहलाते हैं.
7. कबीर दास की विचारधारा उनके गुरु **स्वामी रामानंद** से काफी प्रभावित थी.
8. उनकी मृत्यु **मगहर** नामक स्थान में हुई थी.
9. यहाँ हिन्दुओं ने एक कबीर मंदिर बनाया है और यहाँ मुसलमानों का भी एक मजार है.
10. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मगहर को पर्यटन केंद्र बनाने का निर्णय लिया है.

GS Paper 1 Source : PIB

UPSC Syllabus : Population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies.

TOPIC : 6TH ANNIVERSARY TO COMMEMORATE LAUNCH OF PMAY-U, AMRUT & SMART CITIES MISSION CELEBRATED

संदर्भ

25 जून को **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (PMAY-U), स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) और अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT)** के 6 वर्ष पूर्ण हो गए.

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U)

- प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) एक निर्माण कार्यक्रम है जिसका अनावरण आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (MoHUPA) द्वारा किया गया है.
- सरकार का यह मिशन है कि **2022**, जब भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जायेंगे, तक सभी शहरों में सभी के लिए आवास हो जाए.
- इस योजना के लाभार्थी गरीब लोग, EWS (Economically Weak Sections) के नीचे के लोग और LIG (Low Income Group) के लोग होंगे.
- यह योजना तीन चरणों में पूरी की जायेगी–

1. पहले चरण में अप्रैल 2015 से मार्च 2017 में 100 शहरों में ऐसे आवास बनाए जायेंगे.
2. दूसरे चरण में अप्रैल 2017 से मार्च 2019 में 200 और शहरों को लिया जायेगा.
3. तीसरे चरण में अप्रैल 2019 से मार्च 2022 में बाकी शहर इस योजना में शामिल किये जायेंगे.

- योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को आवास बनाने के लिए **एक लाख** रु. दिया जाता है.
- यदि लाभार्थी अपने आवास का जीर्णोद्धार (renovation) करना चाहे तो उसको **डेढ़ लाख** रु. का ऋण भी दिया जाता है.
- इस ऋण पर **15 वर्ष** तक के लिए 5% की घटी हुई दर पर सूद लिया जाता है.

स्मार्ट सिटी मिशन (SMART CITY MISSION)

- इसके अंतर्गत 100 चुने गये शहरों में आवश्यक आधारभूत ढांचे जैसे- पर्याप्त जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सस्टेनेबल ठोस कचरा प्रबंधन, सतत ऊर्जा आधारित परिवहन, अफॉर्डेबल हाउसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी कनेक्टिविटी तथा ई-गवर्नेंस आदि का विकास करना शामिल है.
- इसका क्रियान्वयन इन शहरों के स्थानीय निकायों द्वारा स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के माध्यम से किया जा रहा है.
- 5 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा लगभग 48,000 करोड़ रु. निर्गत किये गये. इसके अतिरिक्त राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों ने म्युनिसिपल बांड के माध्यम से भी वित्त जुटाए हैं.

अटल मिशन फॉर रेजुबनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत)

- मिशन का उद्देश्य पीने के पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज तथा वर्षा जल निकासी के साथ- साथ सीबरेज एवं सेप्टेज की कवरेज एवं उपचार क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी, गैर-मोटरीकृत शहरी परिवहन एवं हरित स्थान, पार्क आदि सुनिश्चित करना है.
- 5 वर्षों में इस मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लगभग 31,526 करोड़ खर्च किए गये.

GS Paper 2

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

TOPIC : ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES

संदर्भ

पश्चिम अफ्रीकी देश 'माली' में जारी संकट को हल करने के लिए,**'पश्चिम अफ्रीकी देशों के आर्थिक समूह'** (Economic Community of West African States- **ECOWAS**) के द्वारा मध्यस्थता करने का प्रयास किया जा रहा है.

'माली' में क्या हो रहा है?

1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता हासिल करने के बाद से माली में अब तक तक पांच तख्तापलट हो चुके है, और केवल एक बार, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता-अंतरण हुआ है.

हालिया तख्तापलट: नौ महीने पूर्व, बड़े पैमाने पर हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता (Ibrahim Boubacar Keïta) को सत्ता से हटा दिया गया था. गत सप्ताह, एक नए मंत्रिमंडल की घोषणा की गई थी जिसमें दो प्रमुख सैन्य नेताओं को सम्मिलित नहीं किया गया था. इसके बाद सेना ने **राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत** में ले लिया है.

ECOWAS

- पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय (ECOWAS) मूलत: सोलह पश्चिम अफ्रीकी देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक समूह है.
- इसका **मुख्यालय** अबूजा, नाइजीरिया में स्थित है

इकोवास के प्रमुख उद्देश्य हैं –

- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास और सहयोग को प्रोत्साहन देना.
- सभी सदस्य देशों के लोगों की जीवन- दशा में सुधार लाना आर्थिक स्थिरता को बढ़ाना तथा बनाए रखना.
- सदस्य देशों के मध्य संबंध में सुधार लाना, और अफ्रीका के विकास और प्रगति में योगदान देना.

ECOWAS में दो उप-क्षेत्रीय ब्लॉक शामिल हैं:

1. **'पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक और मौद्रिक संघ'** (West African Economic and Monetary Union): यह मुख्य रूप से, **आठ फ्रेंच भाषी** देशों का एक संगठन है.
2. 2000 में स्थापित **'पश्चिम अफ्रीकी मौद्रिक क्षेत्र'** (West African Monetary Zone- WAMZ): इसमें मुख्यतः **अंग्रेजी बोलने वाले छह** देश शामिल हैं.

मेरी राय – मेंस के लिए

विगत कुछ दशकों में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक रिश्तों की डोर काफी मजबूत हुई है. उदाहरण के लिए, आपसी व्यापार काफी तेजी से फल-फूल रहा है. हालांकि इन देशों के साथ आपसी व्यापार में महज कुछ वस्तुओं (कोयला, सोना, और रिफाइंड पेट्रोलियम तेल) का ही वर्चस्व रहा है. इसके साथ ही कई भारतीय कंपनियों ने इन देशों में मुख्य रूप से संसाधन क्षेत्र में भारी-भरकम निवेश भी किया है. पश्चिमी एवं पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी के केंद्र में नि:संदेह ऊर्जा सुरक्षा ही है. हालांकि, पश्चिमी एवं पूर्वी अफ्रीकी देशों को महज संसाधन आयात से परे देखने की भी आवश्यकता है. अफ्रीकी देश न केबल ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, बल्कि भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम तेलों के निर्यात के प्रमुख गंतव्य भी हैं. इसके अलावा, भारत इन देशों की गरीब आबादी को स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इसी तरह इन देशों से दालों का आयात भारत की खाद्य सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही भारत भी ज्ञान को साझा करके एवं इन देशों के किसानों को और अधिक आसानी से नई तकनीक सुलभ कराके अफ्रीका की खाद्य असुरक्षा को दूर करने में अहम भूमिका निभा रहा है. यहाँ तक कि समुद्री सहयोग के मामले में भी भारत के हित सिर्फ ऊर्जा को हासिल करने और संसाधनों की ढुलाई तक ही सीमित नहीं हैं. "ब्लू इकोनॉमी (समुद्र की बदौलत आर्थिक विकास)' पर विशेष जोर देने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है. चूंकि मुख्य रूप से अर्थनीति ही इन अफ्रीकी देशों के साथ भारत के रिश्तों को नया आयाम दे रही है इसलिए भारत और इन देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक एवं सुरक्षा संबंध निश्चित रूप से इन सभी देशों के हित में होंगे. आज का भारत, सभी देशों के साथ निकट संबंध रखने में विश्वास रखता है. आज की तिथि में भारत तेजी से उभरती हुई विश्व शक्ति है. साथ ही अफ्रीका को लेकर उसकी अपेक्षाएँ भी बढ़ी हैं. यही कारण है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और सुरक्षा से जुड़े हितों को देखते हुए अफ्रीकी देशों के साथ और निकटता बढ़ा रहा है, ताकि इन देशों के साथ मिलकर साझा विकास, सुरक्षा और सभी देशों के हितों को पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ सके.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : INDIA EXPANDS NEGATIVE LIST FOR DEFENCE IMPORTS

संदर्भ

हाल ही में रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने 108 वस्तुओं की **दूसरी 'नकारात्मक आयात सूची' (Negative Import List)** जारी की, जिसका नाम परिवर्तित कर अब 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' (Positive Indigenisation List) कर दिया गया है. 101 वस्तुओं वाली 'प्रथम नकारात्मक स्वदेशीकरण' (First Negative Indigenisation) सूची को अगस्त 2020 में अधिसूचित किया गया था.

दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के विषय में

- **खरीद:** सभी 108 वस्तुओं की खरीद अब रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure- DAP), 2020 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से की जाएगी.
- **समय-सीमा :** इसे दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक प्रभावी रूप से लागू करने की योजना है.
- **शामिल वस्तुएँ:**
    - इस सूची में सेंसर, सिम्युलेटर, हथियार और गोला-बारूद जैसे- हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) सिस्टम, टैंक इंजन, **मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल** (MRSAM) आदि को शामिल किया गया है.

इस नीति की आवश्यकता तथा प्रभाव

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, भारत द्वारा 2014 और 2019 के बीच 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा-संबंधी वस्तुओं का आयात किया गया और इस अवधि के दौरान यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश रहा.

1. सरकार, रक्षा क्षेत्र में आयातित वस्तुओं पर निर्भरता को कम करना चाहती है और घरेलू रक्षा विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है.
2. नकारात्मक आयात सूची में सम्मिलित वस्तुओं के आयात की संभावना को नकारते हुए, भारतीय सैन्य बलों की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए घरेलू रक्षा उद्योग को आगे बढ़ने तथा निर्माण करने का अवसर दिया गया है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Related to health.

TOPIC : JANUARY 30 NOW 'WORLD NEGLECTED TROPICAL DISEASES DAY': WHA

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) के 74वें सत्र में, सभी प्रतिनिधियों द्वारा 'संयुक्त अरब अमीरात' द्वारा 30 जनवरी को '**विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (World Neglected Tropical Diseases– NTD) दिवस'** के रूप में घोषित करने हेतु प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है.

उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग

- WHO के अनुसार उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD), वे बीमारियाँ होती हैं, जो उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले गरीब लोगों को प्रभावित करती हैं.
- जापानी इंसेफलाइटिस, डेंगु बुखार, कुष्ठ रोग, क्लेमाइडिया, बुरुलाई अल्सर, चैगास बीमारी आदि NTD के उदाहरण हैं. राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर इन बीमारियों का प्रभाव इतना भयंकर होता है कि इन्हें गरीबी के चिरस्थायीकरण के लिये उत्तरदायी माना जाता है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : India and its neighbourhood- relations.

TOPIC : THOUSANDS OF ROHINGYA PROTEST AT BHASHAN CHAR

संदर्भ

हाल ही में, बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित एक चक्रवात-प्रवण '**भासन चार' (Bhashan Char) द्वीप** पर रहने लायक हालातों को लेकर कई हजार रोहिंग्याओं ने अनियंत्रित विरोध प्रदर्शन किया.

संबंधित प्रकरण

दिसंबर के बाद से, बांग्लादेश द्वारा 18,000 शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में स्थित एक गाद-निर्मित एवं निम्नस्थ भासन चार द्वीप पर स्थानांतरित किया जा चुका है, जहां ये लोग मलिन और तंग परिस्थितियों में रहते हैं.

वर्तमान में मुख्य चिंताएं

1. भासन चार (फ्लोटिंग आइलैंड), जिसे 'चार पिया' (Char Piya) या 'थेंगर चार आइलैंड' (Thengar Char Island) के नाम से भी जाना जाता है, बांग्लादेश के हटिया में स्थित एक द्वीप है.
2. भासन चार द्वीप का निर्माण मात्र 20 वर्ष पूर्व बंगाल की खाड़ी में हिमालयन गाद से हुआ था. बांग्लादेश द्वारा इस विचार को पेश किये जाने के समय से ही भासन चार द्वीप पर मौसमी चरम स्थितियों और आपात स्थिति में मुख्य भूमि से दूरी को लेकर लगातार चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं.

रोहिंग्या कौन हैं?

- रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाला एक समुदाय है जिसमें अधिकांश मुसलमान हैं.
- उस देश में रोहिंग्याओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त नहीं है और उन्हें निवासी विदेशी अथवा सह-नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया.
- नस्ल की दृष्टि से ये म्यांमार में रहने वाले चीनी तिब्बती लोगों से अलग हैं और थोड़ा बहुत भारत के और बांग्लादेश के भारतीय आर्य जनों से मिलते-जुलते हैं.
- इनकी भाषा और संस्कृति सभी देशों से बिल्कुल अलग है.
- म्यांमार में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या बसते हैं पर म्यांमार उन्हें अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है. न ही इस प्रजाति को कोई सरकारी ID या चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है.

रोहिंग्या संकट का इतिहास

अधिकांश रोहिंग्या मुसलमान हैं लेकिन कुछ रोहिंग्या अन्य धर्मों का भी अनुसरण करते हैं. 2017 में रोहिंग्या समुदाय के लोगों के विरुद्ध म्यांमार में हिंसा हुई थी. इस हिंसा के बाद लाखों रोहिंग्या म्यांमार को छोड़ कर कहीं और चले गए. अब भी कई रोहिंग्या म्यांमार में ही रखाइन के राहत शिविरों में दिन काट रहे हैं.

रोहिंग्या समुदाय को सदियों पहले अराकान (म्यांमार) के मुग़ल शासकों ने यहाँ बसाया था, साल 1785 में, बर्मा के बौद्ध लोगों ने देश के दक्षिणी हिस्से अराकान पर कब्ज़ा कर लिया था. उन्होंने हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ कर बाहर भगाने की कोशिश की. इसी के बाद से बौद्ध धर्म के लोगों और इन मुसलमानों के बीच हिंसा और कत्लेआम का दौर शुरू हुआ जो अब तक जारी है.

क्या रोहिंग्या मुसलमान भारत के लिए खतरनाक हैं?

एक रिपोर्ट के अनुसार रोहिंग्या बड़ी संख्या में जम्मू के बाहरी भागों में और जम्मू के साम्बा और कठुआ इलाकों में बस गए हैं. ये इलाके हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अधिक दूर नहीं है जो भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा है.

अता उल्लाह जो Arkan Rohingya Salvation Army का सरगना है, उसका जन्म करॉची, पाकिस्तान में हुआ था. इसकी परवरिश मक्का में हुई. ऐसा कहा जाता है कि रोहिंग्या मुसलमान पाकिस्तान के आतंकवाद संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं. सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन द्वारा रोहिंग्या, जो बांग्लादेश के शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं, को आंतकवादी बनाया जा रहा है और पूरे देश की अशांति फैलाने के लिए इनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है. सऊदी अरबिया का वहाबी ग्रुप इन्हें आंतकवाद की ट्रेनिंग दे रहा है.

भासन चार द्वीप

- बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में 40 किलोमीटर के विस्तार वाला एक द्वीप है जिसे भासन चार अर्थात् **चार पिया** नाम से जाना जाता है.
- इसका निर्माण 2006 में हिमालय से आने वाली गाद से हुआ था.
- इस पर आजकल रोहिंग्या **शरणार्थी** रहते हैं. पिछले दिनों बांग्लादेश ने आदेश दिया है कि रोहिंग्याओं को यहाँ से तभी निकलने दिया जाएगा जब वे सीधे अपने घर लौटेंगे.
- विदित हो कि यह स्थल **मेघना नदी**के मुहाने पर स्थित है जहाँ बाढ़, भूक्षरण और चक्रवात जैसी घटनाएँ होती रहती हैं.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : SAGY

संदर्भ

आधिकारिक आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इस कार्यक्रम के तहत अब तक 2,111 ग्राम पंचायतों की पहचान की गई है और उनमें से केवल 1,618 ने ही अपनी विकास योजनाएं तैयार की हैं.

2,65,000 ग्राम पंचायतों में से कुल 6,433 ग्रामों को वर्ष 2024 तक **आदर्श ग्राम** बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) क्या है?

- सांसद आदर्श ग्राम योजना **2014** में ग्राम विकास के लिए आरम्भ हुई थी.
- इसके अन्दर प्रत्येक सांसद को 2019 तक तीन-तीन गाँवों में भौतिक एवं संस्थागत अवसंरचनाओं के विकास का उत्तरदायित्व लेना था.
- यह परियोजना **लोक नायक जय प्रकाश नारायण की जयंती पर आरम्भ** की गई थी.

कार्यान्वयन और लाभ

1. इस योजना के संचालन के लिए एक ग्राम विकास योजना बनेगी जिसको प्रत्येक चुनी हुई ग्राम पंचायत तैयार करेगी.
2. इस योजना में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि प्रत्येक गरीब परिवार गरीबी से ऊपर आने में समर्थ हो जाए.
3. इस योजना में जहाँ कहीं भी वित्त की कमी होगी उसकी भरपाई सांसद अपनी MPLAD के बजट से करेगा.
4. प्रत्येक गाँव के लिए योजना बनाने में ग्रामीणों का हाथ होगा और इस कार्य का समन्वयन जिला कलेक्टर करेंगे. सम्बंधित सांसद इस प्रक्रिया में अपना सक्रिय योगदान देंगे.
5. इस कार्यक्रम की सफलता के लिए नई तकनीकों को अपनाना और नवाचार लाना आवश्यक होगा. इसके लिए अन्तरिक्ष में स्थित उपग्रहों एवं दूरस्थ सेंसरों का प्रयोग होगा तथा निगरानी के लिए मोबाइल पर आधारित तकनीक का प्रयोग किया जाएगा. साथ ही कृषि तकनीक का उपयोग करते हुए उत्पादकता को बढ़ाई जायेगी.
6. योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर एक प्राधिकृत समिति होगी जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा. इस समिति में सम्बंधित विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञों के अतिरिक्त सिविल सोसाइटी से सम्बंधित कम से कम दो प्रतिनिधि होंगे.
7. SAGY के कार्यान्वयन के लिए जिला कलेक्टर नाभिक अधिकारी होगा. वह प्रत्येक महीने सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करेगा. ऐसी बैठक की अध्यक्षता वह सांसद करेगा जिसने गाँव को गोद लिया है.
8. SAGY सामुदायिक प्रतिभागिता पर बल देता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण समुदाय को सामाजिक रूप से सक्रिय बनाने पर गाँव में अपने-आप कई विकासात्मक गतिविधियों की एक शृंखला शुरू हो सकती है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora.

TOPIC : AS BIRTHS DECLINE, CHINA TO ALLOW COUPLES TO HAVE THIRD CHILD

संदर्भ

हाल ही में जारी किए गए, चीन के जनगणना आंकड़ों से पता चला है, कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर, 1950 के दशक के बाद, सबसे धीमी है और कम होती जा रही है.

1. इसके बाद से, चीन द्वारा प्रत्येक विवाहित जोड़े को तीन बच्चे पैदा करने की अनुमति देने संबंधी घोषणा की गई है.
2. ज्ञातव्य है कि पांच साल पहले वर्ष 2016 में, विवादास्पद **'चीन की एक-बच्चा नीति' (One-Child Policy)** में बदलाव कर इस देश ने दो बच्चों की सीमा लगा दी थी.

चीन में एक बच्चे की नीति क्यों अपनाई गई थी?

यह नीति **माल्थस के सिद्धांत** को देखते हुए अपनाई गई थी जिसके अनुसार, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि अंततः आर्थिक एवं पर्यावरणगत विभीषिका में फलित होती है.

70 के दशक में चीन खाद्य पदार्थों की कमी भी थी और यह भी एक बच्चे की नीति के पीछे एक कारण था.

माल्थस का सिद्धांत क्या है?

जनसंख्या के बारे में एक सुगठित सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला पहला अर्थशास्त्री टॉमस रोबर्ट माल्थस था. उसने प्रायोगिक आँकड़ों को जमा करके जनसंख्या का एक सिद्धांत बनाया था जो उसने अपनी

पुस्तक **"Essay on the Principle of Population (1798)"** में प्रकट किया. इसमें उसने यह तर्क दिया कि यदि जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह संसाधनों से आगे बढ़ जायेगी और ढेर सारी समस्याओं का कारण बनेगी.

विस्तार से पढ़ें > **माल्थस का सिद्धांत**

क्या एक बच्चे की नीति सफल रही?

चीनी अधिकारीयों के अनुसार, इस नीति के कारण जनसंख्या में 400 मिलियन की कमी आई. परन्तु इससे जनसंख्या पर अनपेक्षित दुष्प्रभाव देखने को मिला. इस नीति के अंतर्गत लोगों को दूसरे बच्चे के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य था. परन्तु यह पाया गया कि लोग दूसरे बच्चे में अधिक रूचि प्रदर्शित नहीं कर रहे थे. जिस समय एक बच्चे की नीति आई थी उस समय 11 मिलियन जोड़े दूसरे बच्चे के लिए पात्रता रखते थे. सरकार आशा कर रही थी कि 2014 में 2 मिलियन बच्चे जन्मेंगे, परन्तु ऐसा हो न सका. मात्र 7 लाख जोड़ों ने दूसरे बच्चे के लिए आवेदन दिया और उनमें 6 लाख 20 हजार को ही अनुमति मिली. परिणामस्वरूप, आने वाले वर्षों में जनसंख्या में कमी एक समस्या के रूप में विद्यमान रहेगी.

चीन में बूढ़े लोगों की गिनती बढ़ गई है. वस्तुतः जनसंख्या का एक चौथाई भाग 2030 तक 60 वर्ष की आयु से अधिक का होगा.

एक बच्चे की नीति के लाभ

1. इससे जनसंख्या की समस्या का समाधान करने में सहायता मिलती है.
2. कुछ परिवारों को यह नीति व्यावहारिक प्रतीत होती है.
3. इससे दरिद्रता की दर नीचे आती है.

एक-बच्चा नीति के दोष

1. यह सामान रूप से लागू नहीं हो पाती.
2. इससे मानव अधिकार का उल्लंघन होता है.
3. कामगार लोगों की संख्या घटती जाती है.
4. सांस्कृतिक कारणों से लोग बेटी के स्थान पर बेटा चाहते हैं. फलतः लैंगिक असंतुलन देखने को मिलता है.
5. गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में बढ़ोतरी होती है.
6. एक बच्चे से अधिक बच्चे पैदा करने पर उस परिवार के शेष बच्चे गैर-कानूनी हो जाते हैं और फिर वे कभी भी देश के नागरिक नहीं बनते. पता चलने पर उस परिवार पर अर्थदंड लगाया जाता है.
7. यह नीति लोगों की व्यक्ति मान्यताओं और विचारों का हनन करती है.

भारत में ऐसी नीति लागू करना कहा तक ठीक है?

- यदि इस प्रकार की नीति भारत में लागू की जाती है तो उसके परिणाम चीन की तुलना में अधिक विनाशकारी हो सकते हैं.
- जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर (MIR), जच्चा मृत्यु दर जैसे मूलभूत विकास संकेतकों के मामले में भारत चीन से कोसों पीछे है. बेटे की चाह, पूरे देश में एक समान विकास न होना आदि तत्त्व भी ऐसी नीति लागू करने में अड़चन पैदा करेंगे.
- सरकार एक बच्चे की नीति लागू करने के लिए किसी घर में प्रवेश करेगी तो इसका भीषण विरोध हो सकता है.
- परिवार छोटा रखने का काम स्त्रियों का माना जाता है और इसके लिए गर्भनिरोध के उपाय उन पर ही लागू होते हैं जबकि इसमें पति को खुली छूट मिल जाती है. यह पितृसत्तामात्क परिवेश भी एक बच्चे की नीति के लिए बाधा हैं.
- मात्र परिवार छोटा करने से बात नहीं बनेगी. वास्तविक लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकताओं और सेवाओं की सुविधा प्रधान करना होना चाहिए.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : MODEL TENANCY ACT

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा '**आदर्श किरायेदारी अधिनियम**' (Model Tenancy Act- MTA) को मंजूरी दे दी गई.

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, नए कानून बनाकर 'आदर्श किरायेदारी अधिनियम' लागू कर सकते हैं या वे अपने विद्यमान किरायेदारी कानूनों में अपने अनुसार संशोधन कर सकते हैं.

आदर्श किरायेदारी अधिनियम, 2019 के के विषय में जानकारी

- अधिनियम के अनुसार यदि कोई मकान मालिक किराए में संशोधन चाहता है तो उसे इसके लिए **तीन महीनों की लिखित सूचना** देनी होगी.
- प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर को **किराया प्राधिकारी नियुक्त** किया जाएगा.
- जो किराएदार विहित समय से अधिक टिके रहेंगे उनपर भारी **अर्थदंड** लगाया जाएगा. उन्हें किराए का दुगुना और बाद में चौगुना तक देना होगा.
- किराएदार को जो अग्रिम सिक्यूरिटी राशि जमा करनी है वह **अधिकतम दो महीने के किराए के बराबर** होगी.
- मकान मालिक और किराएदार दोनों को किराया समझौते की **एक प्रति जिला किराया प्राधिकारी को देनी होगी**.
- क्योंकि **भूमि राज्य का विषय है** इसलिए प्रस्तावित कानून को अंगीकृत करने का काम राज्यों पर छोड़ दिया गया है.
- राज्यों को **किराया न्यायालय और किराया पंचाट** गठित करने होंगे.
- यदि मकान मालिक मरम्मत करने से मन करता है तो किराएदा र मरमत्त करके उसका पैसा किराए से काट लेगा.
- कोई भी मकान मालिक किराए पर उठाये हुए परिसर के अन्दर बिना **24 घंटे पूर्व की सूचना** के घुस नहीं सकता है.
- यदि मकान मालिक और किराएदार के बीच **कोई विवाद है** तो मकान मालिक बिजली और पानी काट नहीं सकता है.
- यदि मकान मालिक बिजली-पानी काटता है तो किराएदार किराया प्राधिकारी को इसकी सूचना देकर क्षतिपूर्ति की माँग कर सकता है.
- यदि किराया प्राधिकारी को लगे कि आवेदन यों ही और तंग करने के लिए दिया गया है तो वह मकान मालिक या किरायादार पर अर्थदंड लगा सकता है.

माहात्म्य

प्रस्तावित कानून का महत्त्व यह है कि इससे कई मामले व्यवहार न्यायालयों में जाने से रुक जाएँगे और इस प्रकार उन न्यायालयों का भार हल्का हो जाएगा. साथ ही कानूनी पचड़ों में फंसी किराए पर दी गई परिसम्पत्तियाँ मुक्त हो सकेंगी. इस प्रकार प्रस्तावित विधेयक में किराएदार और मकान मालिक दोनों के हितों पर ध्यान दिया गया है. यह प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों एवं शहरी निर्धनों सहित समाज के विभिन्न वर्गों हेतु समावेशी तथा सतत पारिस्थितिक-तंत्र को बढ़ावा देगा.

चुनौतियाँ

भारत में अधिकांश किराएदारियां अनौपचारिक हैं, इस प्रकार वे अपंजीकृत बनी हुई हैं. अधिनियम मौजूदा व्यवस्था को औपचारिक बनाता है; जिससे किराए भी बढ़ सकते हैं. चूँकि यह अधिनियम राज्यों पर बाध्यकारी नहीं है, इसलिए राज्यों द्वारा आदर्श अधिनियम को लागू नहीं करने की संभावना भी है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Related to health.

TOPIC : H10N3 BIRD FLU

संदर्भ

हाल ही में, चीन में **'H10N3 बर्ड फ्लू' स्ट्रेन (H10N3 bird flu strain)** से मनुष्य के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला दर्ज किया गया है.

H10N3 बर्ड फ्लू' स्ट्रेन

- H10N3 इंफ्लूएंज़ा ए वायरस का एक उप-प्रकार है जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू वायरस के रूप में जाना जाता है.
- H10N3 मुर्गियों में वायरस का एक कम रोगजनक या अपेक्षाकृत कम गंभीर कारक है और इसके बड़े पैमाने पर फैलने का जोखिम बहुत कम है. जानवरों में इस फ्लू का संक्रमण **कोविड-19** के समान श्वसन कणों से हो सकता है.
- यह स्ट्रेन सामान्य वायरस नहीं है, पिछले 40 वर्षों (2018 तक) में वायरस के लगभग 160 आइसोलेट्स की सूचना मिली है, वह भी ज़्यादातर एशिया और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में जंगली पक्षियों या जलपक्षी में. अभी तक मुर्गियों में किसी भी स्ट्रेन का पता नहीं चला है.
- चीन में एवियन इंफ्लूएंज़ा के कई अलग-अलग उपभेद हैं और कुछ छिटपुट रूप से उन लोगों को संक्रमित करते हैं जो आमतौर पर मुर्गी पालन करते हैं.
- हालाँकि वर्ष 2016-2017 के दौरान H7N9 स्ट्रेन से लगभग 300 लोगों की मौत होने के बाद से बर्ड फ्लू के कारण मानव संक्रमण के मामलों की संख्या ज़्यादा नहीं है.

बर्ड फ्लू

- बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस **H5N1** के कारण होती है.
- यह विषाणु जिसे **इन्फ्लूएंजा ए (Influenza- A) या टाइप ए (Type- A)** विषाणु कहते हैं, सामान्यतः पक्षियों में पाया जाता है. परन्तु कभी-कभी यह मानव सहित अन्य कई स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है. जब यह मानव को संक्रमित करता है तो इसे इन्फ्लूएंजा (श्लेष्मिक ज्वर) कहा जाता है.
- बर्ड फ्लू संक्रमण चिकन, टर्की, गीस, मोर और बत्तख जैसे पक्षियों में तीव्रता से फैलता है. इसलिए बर्ड फ्लू के दौरान इन पक्षियों को न खाने की सलाह चिकित्सकों द्वारा दी जाती है.
- विदित हो कि यह इन्फ्लूएंजा वायरस इतना खतरनाक होता है कि इससे इंसान व पक्षियों की बहुत कम समय में ही मौत हो जाती है.
- वैसे, अभी तक बर्ड फ्लू का मुख्य कारण पक्षियों को ही माना जाता है, परन्तु कई बार यह इंसान से इंसान में फैलता है.

लक्षण

बर्ड फ्लू के लक्षण भी सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं, परन्तु सांस लेने में समस्या और हर वक्त उल्टी होने का अनुभव इसके खास लक्षण हैं.

बचाव

- बीमारी के प्रकोप से बचाने के लिये सख्त जैव-सुरक्षा (Biosecurity) उपाय अपनाने और अच्छी स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने की आवश्यकता होती है.
- यदि जानवरों में इसके संक्रमण का पता चलता है, तो वायरस से संक्रमित और संपर्क वाले जानवरों को चुनकर पृथक करने की नीति का अनुपालन किया जाना चाहिये ताकि वायरस के तीव्रता से प्रसार को नियंत्रित किया जा सके और इसे नष्ट करने के प्रभावी उपाय अपनाए जा सकें.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies.

TOPIC : NATIONAL COMMISSION FOR PROTECTION OF CHILD RIGHTS

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्वतः संज्ञान लेते हुए**, महामारी के कारण अपने निकटस्थ लोगों को खोने वाले और सदमा झेलने वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के तरीकों की जाँच की जा रही है.

1. इस संबंध में, 28 मई को, न्यायालय ने केंद्र सरकार को, महामारी की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कल्याणकारी उपाय करने का निर्देश दिया था.
2. **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)** और राज्यों को, तत्काल देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को चिह्नित करते हुए संबंधित जानकारी को संकलित करने के लिए भी कहा गया था.

'बाल स्वराज' नामक एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर, NCPCR ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ दीं है:

1. देश में लगभग 10,000 बच्चों को तत्काल देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है.
2. इनमें मार्च 2020 से कोविड-19 महामारी के दौरान, 'शून्य' से 17 वर्ष तक की आयु के अनाथ या परित्याग किये गये बच्चे सम्मिलित हैं.
3. इन बच्चों के लिए तस्करी और देह व्यापार में धकेले जाने का जोखिम बहुत अधिक है.

विशेष ध्यान देने की जरूरत

प्रलयकारी कोविड-19 महामारी ने समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति को दीन-हीन बना कर रख दिया है. ऐसे कई बच्चे हैं जो, या तो परिवार में कमाने वाले या अपने माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण अनाथ हो गए हैं. इन बच्चों को अधिकारियों की ओर से तत्काल और विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

1. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना मार्च **2007 में बाल अधिकार अधिनियम, 2005** के तहत की गई थी.
2. यह **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत काम करता है.
3. "बाल" शब्द की परिभाषा में 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है.
4. कमीशन को यह काम दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी कानून, नीतियाँ , कार्यक्रम एवं प्रशासनिक

प्रणाली भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किये गये समझौतों में वर्णित बाल अधिकारों के अनुकूल हों.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : 13 MORE DISTRICT COLLECTORS EMPOWERED TO GRANT CITIZENSHIP TO APPLICANTS FROM 3 COUNTRIES

संदर्भ

हाल ही में 13 अन्य जिलों को तीन देशों के आवेदकों को नागरिकता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ है. गृह मंत्रालय ने **नागरिकता अधिनियम, 1955** के तहत वर्ष 2009 के नियमों के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की है.

इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर-मुस्लिमों, जो पांच राज्यों यथा गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा तथा पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं, को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु सशक्त बनाया है. गैर-मुस्लिमों में हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध शामिल हैं.

मुख्य बिंदु

- यह अधिसूचना पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उन वैध प्रवासियों (जिन्होंने पासपोर्ट / वीजा के आधार पर प्रवेश किया है) को लाभान्वित करने का प्रयोजन रखती है, जो पहले ही नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (पंजीकरण द्वारा) और धारा 6 (देशीयकरण द्वारा) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं.
- नागरिकता एक **केंद्रीय विषय** है और गृह मंत्रालय समय-समय पर नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्यों को शक्तियां प्रत्यायोजित करता है.
- नागरिकता अधिनियम, 1955 जन्म (धारा 3), अजनन (descent) (धारा 4), पंजीकरण (धारा 5), और देशीयकरण (धारा 6) के आधार पर भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण का प्रावधान करता है.
- नागरिकता अधिनियम, 1955 भारतीय नागरिकता के पर्यवसान के 3 तरीके निर्धारित करता है जैसे – स्वैच्छिक त्यजन (Renunciation) पर्यवसान (Termination) और वंचित (Deprivation) किया जाना.
- यह अधिसूचना नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2020 से संबंधित नहीं है, जो अभी लागू नहीं हुआ है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : CENTRE TELLS STATES TO SPLIT RURAL JOBS SCHEME WAGES INTO SEPARATE CATEGORIES FOR SCS, STS, OTHERS

संदर्भ

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों से इस वित्तीय वर्ष **से 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम'** (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act- **MGNREGA**) योजना के अंतर्गत किये जाने वाले वेतन भुगतान को, **अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जातियों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित** करने के लिए कहा है.

कृपया ध्यान दें, वर्तमान में, मनरेगा योजना के तहत मजदूरी के लिए केवल एक प्रणाली है, अर्थात् मजदूरी भुगतान के लिए कोई श्रेणीवार प्रावधान नहीं है.

इस निर्णय के पीछे तर्क

1. बजटीय परिव्यय से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त होने वाले लाभों का आकलन करने और उन्हें उजागर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
2. इस निर्णय का उद्देश्य काफी हद तक, केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए किए जा रहे कार्यों पर, प्रकाश डालना है.

इस निर्णय के विरुद्ध चिंताएँ

1. इससे भुगतान प्रणाली और जटिल हो सकती है.
2. इससे योजना के वित्त पोषण में कमी आ सकती है.
3. इससे वेतन भुगतान में देरी हो सकती है.
4. इससे मनरेगा कार्यक्रम को एससी/एसटी की अधिक आबादी वाले जिलों तक भी सीमित किया जा सकता है.

मनरेगा क्या है?

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष **2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (NREGA- नरेगा)** के रूप में प्रस्तुत किया गया था. वर्ष 2010 में नरेगा (NREGA) के **नाम में बदलाव** किया गया और मनरेगा (MGNREGA) रख दिया गया.
- ग्रामीण भारत को 'श्रम की गरिमा' से परिचित कराने वाला मनरेगा रोज़गार की कानूनी स्तर पर गारंटी देने वाला **विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम** है.
- मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत हर भारतीय परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये **100 दिन** का गारंटीयुक्त रोज़गार, दैनिक बेरोज़गारी भत्ता एवं परिवहन भत्ता (5 किमी. से अधिक दूरी की दशा में) का प्रावधान किया गया है. विदित हो कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत **150 दिवसों के रोज़गार का प्रावधान** है.
- मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है. आज की तिथि में इस कार्यक्रम में पूर्णरूप से शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिलों को छोड़कर देश के सभी जिलें सम्मिलित हैं. मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाले वेतन के निर्धारण का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास निहित है.
- जनवरी 2009 से केंद्र सरकार सभी राज्यों हेतु अधिसूचित की गई मनरेगा मजदूरी दरों को हर वर्ष संशोधित करती है.

मनरेगा की प्रमुख विशेषताएँ

- पूर्व की रोज़गार गारंटी योजनाओं के ठीक उलट मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के वयस्क युवाओं को रोज़गार का कानूनी अधिकार दिया जाता है.
- प्रावधान के अनुसार, मनरेगा लाभार्थियों में **1/3 महिलाओं का होना अनिवार्य** है. साथ ही विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है.
- मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948** के अंतर्गत राज्य में खेतिहर मज़दूरों हेतु निर्दिष्ट मजदूरी के अनुसार ही किया जाता है, जब तक कि केंद्र सरकार मजदूरी दर को अधिसूचित नहीं करती और यह **60 रुपए प्रतिदिन से कम** नहीं हो सकती.
- इसके प्रावधान के अनुसार, आवेदन जमा करने के **15 दिनों के अंदर** या जिस दिन से कार्य की मांग की जाती है, आवेदक को रोज़गार दिया किया जाएगा.
- **पंचायती राज संस्थानों** को मनरेगा के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उत्तरदायी बनाया गया है.
- मनरेगा में सभी कर्मचारियों हेतु बुनियादी सुविधाओं जैसे- पेय जल और प्राथमिक चिकित्सा आदि के प्रावधान भी किये गए हैं.
- मनरेगा के अतर्गत आर्थिक बोझ **केंद्र एवं राज्य सरकार** द्वारा साझा किया जाता है.
- मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कुल तीन क्षेत्रों पर धन व्यय किया जाता है, वे क्षेत्र हैं – (1) अकुशल, अर्द्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी (2) आवश्यक सामग्री (3) प्रशासनिक लागत.
- केंद्र सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्द्ध-कुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, सामग्री की लागत का 75% तथा प्रशासनिक लागत का 6% वहन करती है, वहीं शेष लागत का वहन राज्य सरकार करती है.

मनरेगा की उपलब्धियाँ

- मनरेगा विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसने ग्रामीण श्रम में एक सकारात्मक परिवर्तन को प्रेरित किया है. आँकड़ों की मानें तो कार्यक्रम के प्रारम्भिक 10 सालों में कुल **3.14 लाख करोड़ रुपए खर्च** किये गए.
- मनरेगा कार्यक्रम ने ग्रामीण गरीबी को घटाने हेतु अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है.
- आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा ने ग्रामीण गरीब महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक सशक्त साधन के रूप में कार्य किया है. आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा के जरिये उत्पन्न कुल रोज़गार में से 56 प्रतिशत महिलाओं के लिये था.
- आँकड़ों को देखा जाए तो वर्ष 2013-14 में मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 95 करोड़ थी जो कि वर्ष 2014-15 में घटकर 6.71 करोड़ रह गई परन्तु उसके पश्चात् यह बढ़कर क्रमशः वर्ष 2015-16 में 7.21 करोड़, वर्ष 2016-17 में 7.65 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में 7.76 करोड़ हो गई.

- इस कार्यक्रम में कार्यरत व्यक्तियों के आयु-वार आँकड़ों के विश्लेषण से हमें ज्ञात होता है कि वित्त वर्ष 2017-18 के पश्चात् 18-30 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है.
- मनरेगा ने आजीविका के अवसरों के सृजन के जरिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में भी सहायता की है.
- विदित हो कि मनरेगा को **2015 में वर्ल्ड बैंक ने विश्व के सबसे बड़े लोकनिर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता** दी थी.
- **नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER)** के एक प्रतिवेदन के अनुसार, गरीब व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, जैसे – मज़दूर, आदिवासी, दलित एवं छोटे सीमांत कृषकों के मध्य गरीबी कम करने में मनरेगा की बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है.

मनरेगा से संबंधित चुनौतियाँ

- पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के अंतर्गत **आवंटित बजट काफी कम** रहा है, जिसका प्रभाव मनरेगा में काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन पर पड़ता है. वेतन में कमी के चलते इसका प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीणों की शक्ति पर पड़ता है और वे अपनी मांग में कमी कर देते हैं.
- एक आँकड़े से पता चलता है कि मनरेगा के अतर्गत किये जाने वाले 78% **भुगतान समय पर नहीं** किये जाते और 45% भुगतानों में विलंबित भुगतानों के लिये दिशा-निर्देशों के अनुसार मुआवज़ा सम्मिलित नहीं था, जो अर्जित मजदूरी का 0.05% प्रतिदिन है. आँकड़ों की मानें तो वित्त वर्ष 2017-18 में अदत्त मजदूरी 11,000 करोड़ रुपए थी.
- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948** के आधार पर मनरेगा की मजदूरी दर निर्धारित न करने के चलते **मजदूरी दर बहुत ही स्थिर** हो गई है. आज की तिथि में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के अतर्गत मिलने वाली मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से बहुत ही कम है. यह स्थिति कमज़ोर वर्गों को वैकल्पिक रोज़गार खोजने को मजबूर कर देता है.
- वर्ष 2012 में कर्नाटक में मनरेगा से सम्बंधित एक **घोटाला** चर्चा में आया था जिसमें करीब 10 लाख फर्ज़ी मनरेगा कार्ड निर्मित किये गए थे. इसके चलते सरकार को तकरीबन 600 करोड़ रुपए की हानि हुई थी. **भ्रष्टाचार** मनरेगा की एक बड़ी चुनौती है जिससे निपटना जरूरी है. ज्यादातर यह देखा जाता है कि इसके अंतर्गत आवंटित धन का अधिकतर भाग मध्यस्थों के पास चला जाता है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : CVC LAYS DOWN RULES FOR POST-RETIREMENT HIRING OF OFFICIALS BY GOVERNMENT ORGANISATIONS

संदर्भ

केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission – CVC) द्वारा संविदा या परामर्श के आधार पर किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त करने से पहले सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकारी संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गई है.

प्रक्रिया के अनुसार

1. **प्रयोज्यता:** केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं और समूह ए अधिकारियों या केंद्र के स्वामित्व या नियंत्रण वाले अन्य संगठनों में, इन अधिकारियों के समकक्षों को रोजगार देने से पहले, नियोक्ता संस्थाओं द्वारा, जिन संस्थानों से अधिकारी सेवानिवृत्त हुए थे, वहां से सतर्कता स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए.,
2. यदि कोई सेवानिवृत्त अधिकारी एक से अधिक संगठनों में कार्य कर चुका है, तो उसके सेवानिवृत्ति होने के पहले 10 वर्षों में तैनाती वाले सभी संस्थानों से सतर्कता स्वीकृति प्राप्त करनी होगी.
3. अनापत्ति स्वीकृति माँगती से संबंधित संप्रेषण की एक प्रति CVC को भी भेजी जानी चाहिए. यदि स्पीड पोस्ट द्वारा संप्रेषण भेजने के 15 दिनों के भीतर पूर्व नियोक्ता (ओं) से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो एक अनुस्मारक भेजा जा सकता है. यदि 21 दिनों के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है, तो सतर्कता स्वीकृति को स्वीकृत समझा जाएगा.
4. यदि कोई कर्मचारी सतर्कता से संबंधित किसी मामले में लिप्त पाया जाता है या सतर्कता की दृष्टि से उसे सही घोषित नहीं किया जाता है, तो इसके द्वारा किये जाने वाले सभी परिणामी कार्यों के लिए पूर्ववर्ती नियोक्ता संस्था जिम्मेदार होगी.

इन नियमों की आवश्यकता

1. 'एक समान प्रक्रिया' के अभाव में कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमे दागी अतीत वाले अधिकारी या जिनके खिलाफ मामले लंबित होते हैं, उन्हें सेवा में नियोजित कर लिया जाता है.
2. ऐसी स्थिति से अनावश्यक शिकायतों/पक्षपात के आरोपों संबंधी मामले पैदा होते हैं, इसके अलावा ये स्थिति सरकारी संगठनों के कामकाज को नियंत्रित करने वाले, निष्पक्षता और ईमानदारी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी होती है.

CVC क्या है?

- यह सतर्कता से सम्बंधित देश की सर्वोच्च संस्था (vigilance institution) है.
- यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है.
- यह **एक संवैधानिक संस्था नहीं है** अपितु **Santhanam committee** की सिफारिशों के आधार पर एक कार्यकारी आदेश से इसका गठन 1964 में किया गया.
- इस आयोग में एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त होते हैं.
- इनका चयन प्रधान मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्षी के नेता मिल कर करते हैं और उस पर राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं.
- यदि कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता इस चयन में भाग लेता है.
- इनका कार्यकाल 4 साल का अथवा आयुक्त के 65 वर्ष के हो जाने तक होता है.
- दुर्व्यवहार और अयोग्यता साबित हो जाने पर राष्ट्रपति केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्त को हटा सकता है.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : CENTRE TO HIRE PRIVATE CONSULTANTS TO REVAMP COMPETENCY OF BUREAUCRACY

संदर्भ

केंद्र सरकार नौकरशाही की क्षमता में सुधार के लिए निजी परामर्शदाता (private consultant) नियुक्त करेगी. नियोजित परामर्शदाता केंद्र सरकार के लिए भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षताओं का ढांचा (Framework of Roles, Activities & Competencies: FRAC) अभिकल्पित एवं विकसित करेगा. यह "भविष्य हेतु उपयुक्त लोक सेवा" निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो व्यापक सामाजिक व आर्थिक अधिदेश को वितरित कर सकती है.

मुख्य बिंदु

- FRAC व्यावहारिक विशेषताओं, कार्यात्मक कौशल और डोमेन (प्रक्षेत्र) ज्ञान में वांछित दक्षताओं के साथ प्रत्येक सरकारी पद के अनुरूप भूमिकाओं और गतिविधियों का मानचित्रण करेगा.
- नियोजित परामर्शदाता, सरकार को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधन संस्थान (Institute of Secretariat Training and Management) में एक FRAC उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और संचालित करने तथा FRAC के लिए रणनीति एवं परिचालन प्रक्रियाओं को विकसित करने में मदद करेगा.
- यह प्रयास **मिशन कर्मयोगी**– राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (Mission Karmyogi – National Programme for Civil Services Capacity Building: NPCSCB) परियोजना का हिस्सा होगा, जिसकी घोषणा विगत सितंबर माह में की गई थी.
- प्रस्तावित परियोजना में मौजूदा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, नीतिगत सक्रियता, प्रत्येक पद से संबंधित प्रत्येक भूमिका और गतिविधि के लिए आवश्यक दक्षताओं का विवरण निर्धारित करना तथा लोक सेवाओं के मध्य जीवन भर सीखने की संस्कृति के लिए एक मजबूत उत्प्रेरक जैसी पहलें शामिल हैं.

अपेक्षित लाभ

शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता; नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण; भारतीय लोक सेवकों को भविष्य के लिए तैयार करना; सामान्यीकरण और विशेषज्ञता के मध्य के अंतराल को समाप्त करना; कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करना आदि.

मिशन कर्मयोगी

मिशन कर्मयोगी सरकारी कर्मचारियों को एक आदर्श कर्मयोगी के रूप में देश सेवा के लिए विकसित करने का प्रयास है ताकि वे सृजनात्मक और रचनात्मक बन सकें और तकनीकी रूप से सशक्त हों. इससे कर्मचारियों के व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन को समाप्त करने में मदद मिल सकेगी और उनका

वैज्ञानिक तरीके से उद्देश्यपरक और समयोचित मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके. मिशन कर्मयोगी का गठन सटीक दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य को ध्यान में रखकर सिविल सेवा का निर्माण करने के लिए किया गया है. यह नए भारत की दृष्टि से जुड़ा हुआ है और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है. मिशन कर्मयोगी अभियान सिविल सेवा क्षमता निर्माण से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा. यह न केवल व्यक्तिगत क्षमता निर्माण पर बल्कि संस्थागत क्षमता निर्माण और प्रक्रिया पर भी केंद्रित है.

GS Paper 2 Source :PIB

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : INDIAN RAILWAYS' RDSO FIRST TO BE DECLARED SDO UNDER "ONE NATION ONE STANDARD" MISSION

संदर्भ

रेलवे मंत्रालय की एकमात्र अनुसंधान एवं विकास शाखा, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (Research Design and Standards Organisation: RDSO) को अब **भारतीय मानक ब्यूरो (**Bureau of Indian Standards – **BIS)** द्वारा एक "मानक विकासशील संगठन' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है. इस प्रकार यह संगठन (RDSO) **"एक राष्ट्र, एक मानक" (One Nation One Standard – ONOS) योजना** में शामिल होने वाला प्रथम मानक निकाय बन गया है.

मुख्य तथ्य

- यह RDSO को विश्व व्यापार संगठन-व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाओं (WTO-TBT) के अंतर्गत उल्लिखित सर्वोत्तम प्रथाओं के नियम (code of good practices) के अनुसार अपनी मानक निर्माण प्रक्रियाओं को पुनः निर्धारित करने में मदद करेगा.
- यह मान्यता **तीन वर्ष के लिए वैध** होगी.
- BIS द्वारा ONOS योजना देश में विभिन्न मानक विकास संगठनों द्वारा अपनाए गए मानकों के समन्वय के लिए आरंभ की गई है. वर्तमान में, BIS एकमात्र राष्ट्रीय निकाय है, जो मानकों को निर्धारित करता है. परन्तु विभिन्न संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSUs) भी अपने विशिष्ट डोमेन में मानक विकसित करते हैं.

एक राष्ट्र, एक मानक

'एक राष्ट्र एक मानक' मिशन के विचार की कल्पना पहली बार वर्ष 2019 में की गई थी, इसकी परिकल्पना देश में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को सुनिश्चित करने के लिये 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना की तर्ज पर की गई थी.

भारतीय मानक ब्यूरो

- BIS भारत सरकार द्वारा Bureau of Indian Standards Act, 1986 के तहत कार्यादेश के माध्यम से गठित एक निकाय (statutory organization) है.
- पहले इस निकाय का नाम भारतीय मानक संस्थान (ISI) था.
- यह भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करता है.
- BIS का **पदेन अध्यक्ष (ex-officio)** उक्त मंत्रालय का मंत्री होता है.
- इस निकाय में अन्य **25 सदस्य होते हैं** जो केंद्र एवं राज्य सरकारों के उद्योग, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों से लिए जाते हैं.
- भारतीय मानक ब्यूरो भारत के लिए विश्व व्यापार संगठन – TBT (***WTO-TBT***) पूछताछ केंद्र के रूप में कार्य करता है.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

BSI की अन्य पहलें

- **BSI-केयर एप :** इस एप के माध्यम से उपभोक्ता ISI-चिह्नित और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रमाणिकता की जाँच कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
- **कोविड-19 मानक :** BSI ने कवर-ऑल और वेंटिलेटर के लिये कोविड-19 मानकों को विकसित किया है और एन95 मास्क तथा सर्जिकल मास्क के लिये लाइसेंस प्रदान करने हेतु मानदंड जारी किये हैं, जिसके परिणामस्वरूप ISI-चिह्नित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (PPEs) का उत्पादन बढ़ा है.
- **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश :** BSI मानकों को अनिवार्य बनाने के लिये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
- **उपभोक्ता जुड़ाव के लिये पोर्टल :** BSI उपभोक्ता जुड़ाव को लेकर एक पोर्टल विकसित कर रहा है, जो उपभोक्ता समूहों के ऑनलाइन पंजीकरण, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उनके अनुमोदन एवं शिकायत प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources.

TOPIC : SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL INDEX

संदर्भ

NITI Aayog ने वर्ष 2020-21 का **सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक** निर्गत कर दिया है.

सूचकांक के नवीनतम निष्कर्ष

1. देश के समग्र एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है, और यह वर्ष 2019 में 60 अंकों से बढ़कर 2020-21 में 66 हो गया है.
2. यह सुधार, साफ पानी एवं स्वच्छता, और 'सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा' लक्ष्यों के तहत सुविधाएं प्रदान करने में प्रदर्शन में सुधार का परिणाम है.
3. केरल ने 75 अंक हासिल करते हुए अपनी शीर्ष रैंक बरकरार रखी, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ने 74 अंक हासिल करते दूसरा स्थान हासिल किया.
4. इस वर्ष के**भारत सूचकांक** में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे.
5. चंडीगढ़ ने 79 अंक हासिल करते हुए**केंद्र-शासित प्रदेशों में अपना शीर्ष** स्थान बनाए रखा, इसके बाद दिल्ली (68) का स्थान रहा.

Top 5 positions		Bottom 5 positions	
State	Score	State	Score
Kerala	75	Chhattisgarh, Nagaland, Odisha	61
Himachal Pradesh, Tamil Nadu	74	Arunachal Pradesh, Meghalaya, Rajasthan, Uttar Pradesh	60
Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Uttarakhand	72	Assam	57
Sikkim	71	Jharkhand	56
Maharashtra	70	Bihar	52

पृष्ठभूमि

- सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक (SDG India Index) को केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टिट्यूट और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर तैयार किया था.
- इस सूचकांक में **17 सतत विकास लक्ष्यों में से 13 के विषय में** किये गये उनके कुल प्रदर्शन के आधार पर भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र-शाषित क्षेत्र के लिए एक समग्र स्कोर दिया जाता है. यह स्कोर 0 से 100 के बीच में कहीं भी हो सकता है. इस स्कोर से पता चलता है कि दिए गये लक्ष्यों के मामले में इन राज्यों/केंद्र शाषित क्षेत्रों ने क्या औसत प्रगति की है.
- इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना है जिससे वे आपस में होड़ करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें.
- सूचकांक का यह लाभ भी है कि इसके आधार पर केंद्र सरकार राज्यों की प्रगति पर तत्क्षण (real-time) निगरानी रख सकती है.

SDG भारत सूचकांक की महत्ता

SDG भारत सूचकांक (SDG India Index) संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं प्रधानमन्त्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किये जा रहे प्रयासों के बीच एक पुल का काम करता है. विदित हो कि प्रधानमंत्री ने "सब का साथ, सब का विकास" का नारा दिया है जिसमें सतत विकास के पाँच वैश्विक लक्ष्यों का कार्यान्वयन शामिल है. ये पाँच लक्ष्य **"पाँच P"** कहलाते हैं
– **P**eople, **P**lanet, **P**rosperity, **P**artnership and **P**eace.

सतत विकास लक्ष्य

सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की एक सूची है जिसे 2015 में तैयार किया गया था. इसमें वर्णित 17 लक्ष्यों को 2030 तक सभी सदस्य देशों द्वारा पूरा किया जाना है. ये लक्ष्य हैं –

1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति
2. भूख की समाप्ति,खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करना

3. सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को प्रोत्साहित करना
4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना
5. लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना
6. सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना
7. सस्ती,विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना.
8. सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास,पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और बेहतर कार्य कोप्रोत्साहित करना
9. लचीले बुनियादी ढांचे,समावेशी और सतत औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करना
10. देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना
11. सुरक्षित,लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण
12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना
13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना
14. स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों,समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग
15. सतत उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों,सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना
16. सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके
17. सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्ति कार्यान्वयन के साधनों को दृढ़ बनाना.

GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Structure, organization and functioning of the Judiciary

TOPIC : NATIONAL LITIGATION POLICY: NLP

संदर्भ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि एक बार न्यायालय या अधिकरण द्वारा निर्णय दिए जाने के उपरांत प्राधिकारियों द्वारा नागरिकों को समान मुद्दे पर बार-बार याचिका का आश्रय लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए. यह उल्लेख किया गया है कि **राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति** (National Litigation Policy: **NLP**) के अंतर्गत, यदि तथ्य समान हैं और एक सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा पहले ही निर्णय दिए जा चुके हैं, तो पश्चातवर्ती समान मामलों में उनके द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए.

मुख्य तथ्य

- NLP वर्ष 2010 में सरकारी मुकदमों के प्रबंधन के लिए रणनीति निर्धारित करने की कोशिश के साथ तैयार की गई थी.
- इसने हर विभाग पर विधिक बोझ की निगरानी के लिए एक आंतरिक निगरानी प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया था. साथ ही, राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तरों पर मुकदमों के पर्यवेक्षण हेतु अंतर-मंत्रालयी निकायों की अनुशंसा की थी.
- जिला न्यायालयों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक कुल 3.14 करोड़ मामलों में से 4% मामलों में केंद्र और राज्य सरकारें वादी हैं.
- इसके अतिरिक्त हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि "तुच्छ" मामलों की बढ़ती संख्या NLP को "निष्क्रिय" बना रही है.
- यह तर्क दिया गया है कि 90% मामले तुच्छ प्रकृति के थे.
- उच्चतम न्यायालय में 67,898 वाद लंबित हैं. इनमें से 49,000 से अधिक मामले नए हैं, जिन पर अभी भी सुनवाई के लिए विचार किया जाना है.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Important international organisations.

TOPIC : CEM- INDUSTRIAL DEEP DECARBONIZATION INITIATIVE

संदर्भ

भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर, ऊर्जा प्रमुखों की 12वीं बैठक में **'क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (CEM)** – इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनीशियेटिव' (Industrial Deep Decarbonization *Initiative* – **IDDI**) के अंतर्गत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने के लिये नई कार्य-प्रक्रियाओं की शुरुआत की है.

IDDI

IDDI एक वैश्विक गठबंधन है जिसमें सार्वजनिक और निजी संगठन शामिल हैं जो कम कार्बन औद्योगिक सामग्री की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. IDDI कार्बन आकलन को मानकीकृत करने और सरकारों के सहयोग से महत्वाकांक्षी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के खरीद लक्ष्यों को स्थापित करने के लिए काम करता है. यह कम कार्बन उत्पाद और डिजाइन औद्योगिक दिशानिर्देशों में निवेश को भी प्रोत्साहित करता है. IDDI का समन्वय UNIDO द्वारा किया जाता है जबकि भारत और यूके द्वारा सह-नेतृत्व किया जाता है. इस पहल के अतिरिक्त सदस्य जर्मनी और कनाडा हैं.

क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (CEM)

1. 'क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल' की स्थापना दिसंबर **2009** में कोपेनहेगन में आयोजित पार्टियों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क कन्वेंशन में की गई थी.
2. यह, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, अनुभव और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में पारगमन करने को प्रोत्साहित करने हेतु एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है.
3. भारत सहित 29 देश क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल (CEM) में शामिल हैं.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : LONG TERM VISAS – LTVS

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट करते हुए कहा है, कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर-मुस्लिम छह अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासी, **दीर्घकालिक वीजा (long-term visas– LTVs)** के लिए आवेदन करते समय, भारत में अपने प्रवास-अवधि के प्रमाण के रूप में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register– NPR) नामांकन पर्ची भी प्रस्तुत कर सकते हैं.

पृष्ठभूमि

- तीन देशों के छह समुदाय – हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई और बौद्ध- के लिए **'नागरिकता अधिनियम', 1955 की धारा 5 और 6** के तहत देशीयकरण (Naturalisation) या पंजीकरण (Registration) के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु दीर्घकालिक वीजा (long-term visas- LTVs) के लिए आवेदन करना एक पूर्व-शर्त है.
- भारत में प्रवास-अवधि को साबित करने के लिए 10 से अधिक दस्तावेजों की एक साक्ष्य सूची तैयार की गई है. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) नामांकन पर्ची भी इस साक्ष्य सूची में शामिल है.
- पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों के लिए दीर्घकालिक वीजा (LTV) देने का विशेष प्रावधान पहली बार वर्ष 2011 में किया गया था.

दीर्घकालिक वीजा

- दीर्घकालिक वीजा के माध्यम से गैर-भारतीय मूल के विदेशियों को लगातार 180 दिनों (छह महीने) से अधिक समय तक भारत में रहने की अनुमति दी जाती है.
- यह मुख्य रूप से छात्रों या रोजगार, व्यापार के लिए प्रदान किया जाता है.
- दीर्घकालिक वीजा (180 दिनों से अधिक) के लिए भारत में आने के 14 दिनों के भीतर निवास के क्षेत्र में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता होती है.
- देर से पंजीकरण के लिए यूएस $30 का जुर्माना लगाया जाता है.
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक "पंजीकरण का प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है, जिसका उपयोग निवास परमिट प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है. निवास परमिट उन विदेशियों के लिए एक आवश्यकता है जो भारत में काम करना चाहते हैं.

दीर्घकालीन वीजा के लाभ

1. पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदायों के दीर्घकालीन वीजा (LTV) धारक व्यक्तियों के लिए अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर खरीदने की अनुमति होती है और कि वे कोई एक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं.
2. दीर्घकालीन वीजा धारक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होते हैं. यह वीजा, धारकों के लिए देश में संपत्ति खरीदने की भी अनुमति देता है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India's interests.

TOPIC : BRICS

संदर्भ

ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में, मंत्रियों ने यह स्वीकार किया कि मौजूदा परस्पर संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान पुनर्स्थापित की गई और बेहतर बहुपक्षीय प्रणाली के माध्यम से ही किया जाना चाहिए.

विदेश मंत्रियों ने बहुपक्षीय सुधारों पर छह सिद्धांतों पर सहमति व्यक्त की.

ये सिद्धांत निम्नलिखित का आह्वान करते हैं –

3. विकासशील और अल्पविकसित देशों की अधिक सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक अभिशासन के साधनों को अधिक समावेशी, प्रतिनिधिक एवं सहभागी बनाना.
4. संप्रभु स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए सभी के लाभ के लिए समावेशी परामर्श और सहयोग.
5. बहुपक्षीय संगठनों को अधिक प्रतिक्रियाशील, प्रभावी, पारदर्शी, लोकतांत्रिक, उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय बनाना.
6. सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल और तकनीकी उपकरणों सहित नवोन्मेषी व समावेशी समाधानों का उपयोग करना.
7. नई व उभरती, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक चुनौतियों से उत्तम रीति से निपटने हेतु भिन्न-भिन्न देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षमताओं को मजबूत करना.
8. अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा, सामाजिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा लोगों के साथ प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना.

BRICS क्या है?

- BRICS विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले पाँच बड़े देशों – ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका – का संघ है. इसका नाम इन देशों के पहले अक्षरों को मिला कर बना है.
- BRICS की पहली बैठक जून 2009 रूस के Yekaterinburg शहर में हुई थी.
- 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले इसे "BRIC" के नाम से जाना जाता था.
- यह नाम 2001 में Goldman Sachs संस्था के अर्थशास्त्री Jim O'Neill द्वारा सुझाया गया था.
- इसकी बैठक हर वर्ष होती है जिसमें राजनीतिक एवं सामाजिक-आर्थिक सहयोग के क्षेत्र के विषय में चर्चा होती है.
- BRICS की अध्यक्षता एक देश के पास न होकर प्रतिवर्ष बदलती रहती है और बदलने का एक क्रम भी BRICS के नाम के अनुसार ही होता है अर्थात् पहले B=Brazil, R=Russia आदि आदि…
- BRICS में सम्बंधित देशों के प्रमुखों की बैठक तो होती है, साथ ही कई क्षेत्रीय (sectoral) बैठकें भी होती हैं जिनकी संख्या पिछले दस वर्षों में 100 पहुँच चुकी है.
- BRICS देशों के बीच में सहयोग का कार्यक्रम तीन स्तरों अथवा ट्रैकों (TRACKS) पर चलता है. ये ट्रैक हैं –

1. Track I = सम्बंधित देशों के बीच में औपचारिक कूटनीतिक कार्यकलाप,
2. Track II = सरकार से सम्बद्ध संस्थानों, यथा – सरकारी उपक्रम एवं व्यवसाय परिषदों के माध्यम से किये गये कार्यकलाप,
3. Track III = सिविल सोसाइटी के साथ और "जन से जन" स्तर पर किये गए कार्यकलाप.

BRICS और भारत

हालांकि, भारत को व्यापक रूप से एक मजबूत, उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है, लेकिन BRICS के अन्य सदस्यों से तुलना करने के लिए इसकी आर्थिक क्षमता ही एकमात्र मानदंड नहीं होना चाहिए. समग्र GDP, सामाजिक असमानताओं एवं बुनियादी स्वास्थ्य और अन्य कल्याण सेवाओं तक पहुँच के मामले में, भारत अन्य BRICS राष्ट्रों से पीछे है. कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां भारत अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों की वृद्धि हेतु, इस फोरम का उपयोग कर सकता है –

- भारत द्वारा विदेशी निवेशकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए, अपने बुनियादी डांचे में सुधार हेतु अत्यधिक वित्त की आवश्यकता है. विश्व बैंक और IMF के अतिरिक्त, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी एक महत्त्वपूर्ण संगठन है, जो भारत को बुनियादी ढांचे हेतु ऋण प्रदान कर सकता हैं.
- भारत की शक्ति श्रम, सेवा, जेनेरिक दवाइयों और सूचना प्रौद्योगिकी में निहित है. इसके साथ ही अन्य BRICS भागीदारों के साथ अन्य पर्याप्त सहक्रियाएं हैं, जिनका उपयोग कर इन क्षेत्रों में अंतर-BRICS संबंधों को और मजबूत बनाया जा सकता है.
- BRICS के सभी सदस्यों छवारा तीव्र शहरीकरण की चुनौती का सामना किया जा रहा है. इससे निपटने के लिए भारत ने BRICS सहयोग तंत्र में अर्थवनाईज़ैशन फोरम को शामिल किया है, जिसके माध्यम से एक-दूसरे के अनुभव से सबक लेकर BRICS सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है.
- पूर्व सोवियत संघ के विघटन के पश्चात्, रूस के साथ भारत के महत्त्वपूर्ण संबंधों में कमी आती जा रही थी. BRICS एक महत्त्वपूर्ण मंच है, जिसके द्वारा भारत रूस के साथ अपने सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी वार्ता को आगे बढ़ा सकता है.
- BRICS में सदस्य देशों के मध्य अधिक साझेदारी और सहयोग का वादा किया गया है. यह द्विपक्षीय मुद्दों को हुल करने के लिए भी मंच विकसित कर सकता है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

TOPIC : SYRIA HAS LIKELY USED CHEMICAL WEAPONS 17 TIMES: OPCW

संदर्भ

'रासायनिक हथियार निषेध संगठन' (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons- **OPCW**) के प्रमुख ने 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' को सूचित करते हुए कहा है, कि OPCW के विशेषज्ञों द्वारा सीरिया के विरुद्ध लगाए गए 77 आरोपों की जाँच की गई है, और इनके निष्कर्षों के अनुसार, 17 मामलों में सीरिया ने रासायनिक हथियारों का संभावित या निश्चित रूप से प्रयोग किया है.

पृष्ठभूमि

पश्चिमी देशों द्वारा, रासायनिक हथियारों के एक घातक हमले के लिए, दमिश्क को दोषी ठहराए जाने के बाद, सितंबर 2013 में सीरिया पर, उसके करीबी सहयोगी रूस द्वारा 'रासायनिक हथियार अभिसमय' (Chemical Weapons Convention- CWC) में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया था.

OPCW क्या है?

यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो **संयुक्त राष्ट्र** के तत्त्वाधान में काम करता है.

- 1997 में एक **रासायनिक हथियार संधि** (Chemical Weapons Convention – CWC) हुई थी.
- रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) उसी संधि के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए गठित किया गया है.
- रासायनिक हथियारों को समाप्त करने की दिशा में इसके द्वारा किए गये व्यापक कार्य के लिए 2013 में इस संगठन को **नोबेल शांति पुरस्कार** दिया गया.

उद्देश्य

रासायनिक हथियार संधि (Chemical Weapons Convention – CWC) में **चार प्रमुख प्रावधान** किये गये हैं –

- सभी रासायनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट किया जाए.
- रासायनिक उद्योग पर नजर रखना जिससे कि फिर से रासायनिक हथियार न बनने लगें.
- रासायनिक हथियार के खतरों से देशों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करना.
- संधि के प्रावधानों को लागू करने में सभी देशों का सहयोग लेना और रसायनों के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना.

रासायनिक हथियार संधि में किये गये निषेध

- रासायनिक हथियारों का निर्माण करना, उत्पादन करना, अधिग्रहण करना, भंडारण करना.
- रासायनिक हथियारों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से स्थानांतरित करना.
- रासायनिक हथियारों का सैन्य प्रयोग करना.
- संधि द्वारा निषिद्ध गतिविधियों में अन्य देशों को लिप्त करना अथवा सहायता पहुँचाना अथवा प्रोत्साहित करना.
- दंगा नियंत्रण में रासायनिक हथियारों का उपयोग करना.

बालक की आयु	भावी दत्तक माता-पिता की अधिकतमसंयुक्त आयु	अविवाहित भावी दत्तक माता-पिताकी अधिकतम आयु
4 वर्ष तक	90 वर्ष	45 वर्ष
4 वर्ष से अधिक किंतु 8 वर्ष तक	100 वर्ष	50 वर्ष
8 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष तक	110 वर्ष	55 वर्ष

और **'किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम'** अर्थात् **'जेजे एक्ट' 2015** का उल्लंघन है.

3. इस अधिनियम के अंतर्गत, बच्चों के नाम, स्कूल, उम्र, पता या किसी भी जानकारी के संबंध में पहचान को उजागर करने को निषिद्ध किया गया है.

बच्चे के दत्तकग्रहण के लिए कौन व्यक्ति पात्र होता है?

- भावी दत्तक माता-पिताको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए, वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए, बच्चे को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, बिना किसी जीवन संकट की चिकित्सकीय स्थिति के होना चाहिए.
- कोई भी दत्तक माता-पिता, अपनी वैवाहिक स्थिति और उसका कोई जैविक पुत्र या पुत्री है या नहीं, का लिहाज किए बिना, बच्चे को अपना सकते हैं.
- अविवाहित महिला किसी भी लिंग के बच्चे को अपनाने के लिए पात्र हैं.
- अविवाहित पुरुष किसी लड़की को अपनाने के पात्र नहीं होंगे.
- दंपतियों के मामले में, दोनों अभिभावकों की स्वीकृति आवश्यक होगी.
- दंपति को दत्तकग्रहण के लिए कोई भी बच्चा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उनका वैवाहिक जीवन कम से कम दो वर्षतक का न हो.
- पंजीकरण की तारीख को भावी दत्तक माता-पिता की आयु की गणना पात्रता के निर्णय हेतु की जाएगी और विभिन्न आयु समूहों के बच्चों के लिए आवेदन करने के लिए भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता निम्नवत होगी :

- बच्चे तथा भावी दत्तक माता-पिता के बीच न्यूनतम आयु का अंतर 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए. पात्रता की आयु भावी दत्तक मता-पिता के पंजीकरण की तारीख होगी.
- 4 बच्चों से अधिक वाले दंपतियों के दत्तकग्रहण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : SUPREME COURT URGED TO STOP ILLEGAL ADOPTIONS

संदर्भ

कोविड महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को निजी व्यक्तियों और संगठनों के द्वारा अवैध रूप से गोद लेने संबंधी बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इस विषय पर **'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग'** (National Commission for Protection of Child Rights – **NCPCR**) द्वारा खतरे की घंटी बजाने के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए सहमत हो गया है.

संबंधित प्रकरण

'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (NCPCR) के आँकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2021 से 5 जून, 2021 के दौरान 3,621 बच्चे अनाथ हो गए, 26,176 बच्चों ने माता या पिता को खो दिया और 274 बच्चों का परित्यक्त कर दिया गया है. इस अवधि के दौरान महामारी की दूसरी लहर अपने सबसे विकराल रूप में थी और यह पूरे देश में मौत के निशान छोड़ गई है.

1. NCPCR को मई महीने में, निजी व्यक्तियों और संगठनों द्वारा, गोद लेने के लिए परिवारों और बच्चों की सहायता करने का दिखावा करते हुए, इन बच्चों के संदर्भ में जानकारी एकत्र करने की कई शिकायतें मिली थीं.
2. सोशल मीडिया पर बच्चों को गोद लेने संबंधी पोस्ट प्रसारित की जा रही हैं. यह स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी है

'जेजे एक्ट' क्या है?

उद्देश्य: विधि का अभिकथित उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देख-रेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित मामलों का व्यापक रूप से समाधान करना.

1. अधिनियम के तहत, प्रत्येक जिले में **'किशोर न्याय बोर्ड' और 'बाल कल्याण समितियां' स्थापित करने** का निर्देश दिया गया है. इन संस्थाओं में कम से कम एक महिला सदस्य होनी अनिवार्य है.
2. इसके अलावा, इसके तहत **'केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण' (Central Adoption Resource Authority– CARA)** को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है, जिससे यह प्राधिकरण अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होगा.
3. इस अधिनियम में बालकों के खिलाफ होने वाले कई नए अपराधों (जैसे, अवैध रूप से गोद लेना, आतंकवादी समूहों द्वारा बालकों का उपयोग, विकलांग बालकों के खिलाफ अपराध, आदि), जो किसी अन्य कानून के तहत पर्याप्त रूप से आच्छादित नहीं है, को शामिल किया गया है.
4. राज्य सरकार द्वारा, स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होने वाले सभी बाल देखभाल संस्थानों के लिए क़ानून के प्रारंभ होने की तारीख से 6 महीने के अन्दर अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)

1. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना मार्च **2007 में बाल अधिकार अधिनियम, 2005** के तहत की गई थी.
2. यह **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत काम करता है.
3. "बाल" शब्द की परिभाषा में 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया गया है.
4. कमीशन को यह काम दिया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी कानून, नीतियाँ , कार्यक्रम एवं प्रशासनिक प्रणाली भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किये गये समझौतों में वर्णित बाल अधिकारों के अनुकूल हों.

मेरी राय – मेंस के लिए

यह समय, रिश्तेदारों द्वारा देखभाल उपलब्ध कराए जाने पर ध्यान केंद्रित करने का है. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सभी संबंधित राज्य विभागों को तत्काल ही रिश्तेदार-देखभाल कार्यक्रम (kinship care programme) शुरू कर देना चाहिए और इसे 'जेजे अधिनियम' के तहत 'पालक-देखभाल प्रावधानों' (foster care provisions) का हिस्सा बनाया जाना चाहिए.

गोद लेना, कई विकल्पों में से एक विकल्प है परन्तु यह एकमात्र विकल्प नहीं है. ऐसे अनाथ बच्चों की देखभाल करने के लिए उनके चाचा-चाची अथवा अन्य कोई निकट संबंधी भी हो सकते हैं. बच्चे अपने स्वयं के परिवार के साथ संपर्क करने और अपनी पैतृक संपति में ही रहने की मांग कर सकते हैं. ऐसी परिस्थितियों में संबंधित बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना बहुत जरूरी हो जाता है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

TOPIC : SHANGHAI COOPERATION ORGANISATION

संदर्भ

शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation – SCO) के सदस्यों के बीच संचार मीडिया के क्षेत्र में संघों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, मंत्रिमंडल ने "संचार मीडिया के क्षेत्र में सहयोग" पर समझौते को अनुमोदन प्रदान किया है.

शंघाई सहयोग संगठन

शंघाई सहयोग संगठन एक राजनैतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग संगठन है जिसकी शुरुआत चीन और रूस के नेतृत्व में यूरेशियाई देशों ने की थी. दरअसल इसकी शुरुआत चीन के अतिरिक्त उन चार देशों से हुई थी जिनकी सीमाएँ चीन से मिलती थीं अर्थात् रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान. इसलिए इस संघठन का प्राथमिक उद्देश्य था कि चीन के अपने इन पड़ोसी देशों के साथ चल रहे सीमा-विवाद का हल निकालना. इन्होंने अप्रैल 1996 में शंघाई में एक बैठक की. इस बैठक में ये सभी देश एक-दूसरे के बीच नस्ली और धार्मिक तनावों को दूर करने के लिए आपस में सहयोग करने पर राजी हुए. इस सम्मेलन को **शंघाई 5** कहा गया.

इसके पश्चात् 2001 में शंघाई 5 में उज्बेकिस्तान भी सम्मिलित हो गया. 15 जून 2001 को शंघाई सहयोग संगठन की औपचारिक स्थापना हुई.

शंघाई सहयोग संगठन के मुख्य उद्देश्य

शंघाई सहयोग संगठन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. सदस्यों के बीच राजनैतिक, आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ाना.
2. तकनीकी और विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र, ऊर्जा, यातायात और पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग करना.
3. पर्यावरण का संरक्षण करना.
4. मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक-दूसरे को सहयोग करना.
5. आंतकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटना.

अधिक जानकारी के लिए पढ़ें – **SCO in Hindi**

GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

TOPIC : GLOBAL CORPORATE TAX DEAL

संदर्भ

हाल ही में, समृद्ध देशों के समूह **G7** के वित्त मंत्रियों द्वारा एक नए **वैश्विक कॉर्पोरेट कर समझौते (Global Corporate Tax Deal)** पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

इस समझौते पर अब जुलाई में होने वाली G20 समूह के वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी.

उद्देश्य

इसका उद्देश्य विश्व की कुछ सबसे बड़ी कम्पनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सीमा पर त्रुटियों (cross-border tax loopholes) का निवारण करना और उन देशों में ही करों का भुगतान सुनिश्चित करना है जहाँ व्यवसाय संचालित होता है.

प्रमुख बिंदु

- समझौते के अनुसार, G7 देश कम-से-कम 15 प्रतिशत की वैश्विक न्यूनतम **कॉर्पोरेट कर दर** का समर्थन करेंगे और उन देशों में करों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये उपाय किये जाएँगे, जहाँ व्यवसाय संचालित होते हैं.
- यह कंपनियों के विदेशी लाभ पर लागू होगा. ऐसे में यदि सभी देश वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर पर सहमत होते हैं, तब भी सरकारों द्वारा स्थानीय कॉर्पोरेट कर की दर स्वयं ही निर्धारित की जाएगी.
- परन्तु यदि कंपनियाँ किसी विशिष्ट देश में कम दरों का भुगतान करती हैं, तो उनकी घरेलू सरकारें अपने करों को सहमत न्यूनतम दर पर ला सकती हैं, जिससे लाभ को **टैक्स हेवन** में स्थानांतरित करने का लाभ समाप्त हो जाता है.

कॉर्पोरेट कर

कॉर्पोरेट कर अथवा निगम कर उस शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है, जो उद्यम अपने व्यवसायों से लाभ कमाते हैं.

टैक्स हेवन

'टैक्स हेवन' का आशय आमतौर पर एक ऐसे देश से होता है, जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में विदेशी व्यक्तियों तथा व्यवसायों को बहुत कम या न्यूनतम कर देयता प्रदान करता है.

इस योजना से संबंधित मुद्दे/समस्याएँ

1. टैक्स हेवन या निम्न काराधान वाले देशों की तुलना में भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने हेतु निगम कर दरों (corporate tax rates) को कृत्रिम रूप से कम रखना हमेशा ही बहुत कठिन रहा है.
2. यह योजना, संप्रभु राष्ट्रों के **अपने देश की कर-नीति निर्धारित करने के अधिकार का अतिक्रमण** करती है.
3. एक 'वैश्विक न्यूनतम दर', मुख्य रूप से देशों के उस उपकरण से वंचित कर देगी, जिसका उपयोग वे अपने अनुकूल नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं.
4. साथ ही, कर-चोरी से निपटने के लिए 'वैश्विक न्यूनतम टैक्स दर' की भूमिका बहुत कम रहेगी.

क्या इससे 'टैक्स हैवन' का अंत हो जाएगा?

यदि यह समझौता टैक्स हेवन्स को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है, तो अपने टैक्स-बिल में कटौती करने की तरकीब लगाने वाली कंपनियों के लिए, इन टैक्स हेवन्स को कम-लाभदायक अवश्य बना देगा और साथ ही, पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन पर ध्यान देने वाले निवेशकों में इन कंपनियों की साख को भी कम करेगा.

भारत का पक्ष

- यद्यपि कराधान अंततः एक संप्रभु गतिविधि है और राष्ट्र की आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करती है, किंतु भारत सरकार कॉर्पोरेट कर संरचना को लेकर विश्व स्तर पर हो रही वार्ताओं में हिस्सा लेने पर सहमत है.
- भारत को वैश्विक न्यूनतम 15 प्रतिशत कॉर्पोरेट कर दर समझौते से लाभ होने की संभावना है, क्योंकि भारत की प्रभावी घरेलू कर दर, 15 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक है, और इस तरह भारत अधिक निवेश आकर्षित करता रहेगा.
- सितंबर 2019 में सरकार ने कंपनियों के लिये कॉर्पोरेट कर की दर को घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया था. इसके अलावा नई विनिर्माण फर्मों के लिये 15 प्रतिशत की दर की पेशकश की गई थी.
- भारतीय घरेलू कंपनियों के लिये प्रभावी कर दर, अधिभार और उपकर सहित, लगभग 25.17 प्रतिशत है.

G7 शिखर सम्मेलन क्या है?

1. यह 7 प्रमुख राष्ट्रों के प्रमुखों की बैठक है. पहले इसमें 8 देश थे. इसकी स्थापना 1975 में हुई थी.
2. इसमें विश्व के 7 प्रमुख सशक्त देश शामिल होते हैं – अमेरिका, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली. इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ के नेतागण भी इस बैठक में बुलाये जाते हैं. वे आपसी सहमति से नीतियाँ बनाते हैं और फिर सम्बंधित मुद्दों का समाधान ढूँढते हैं.
3. इस सम्मलेन में विश्व भर के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती है. जहाँ यह सम्मलेन होता है उसी देश का राष्ट्र प्रमुख बैठक की अध्यक्षता करता है और **उसे यह अधिकार होता है** कि वह अपनी इच्छा से किसी एक और देश को बैठक में आमंत्रित करे.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

TOPIC : CHINA HOSTS ASEAN MINISTERS

संदर्भ

चीन, हाल ही में प्रस्तावित, **आसियान समूह** के दस देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है. यह बैठक चीन और आसियान के संबंधों के 30 वर्ष पूर्ण होने के प्रायः पर आयोजित की जा रही है.

आसियान को एक ऐसे प्रमुख स्थान के रूप में देखा जा रहा है जहां चीन और क्वाड पहल, एक-दूसरे को अपना प्रभाव दिखा सकते हैं.

चीन की चिंताएँ

चूँकि दक्षिण पूर्व एशिया अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है, अतः ऐसी संभावनाएं हैं, कि चीन का मुकाबला करने के लिए, क्वाड सदस्य, आसियान राष्ट्रों को अपने समूह में सम्मिलित कर सकते हैं.

हाल ही में, चीन ने क्वाड को 'एशियाई NATO' भी बताया था.

ASEAN के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ

1. ASEAN का full-form है – Association of Southeast Asian Nations.
2. ASEAN का headquarters जकार्ता, Indonesia में है.
3. आसियान में **10 सदस्य देश** (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम) हैं और **2 पर्यवेक्षक देश** हैं (Papua New Guinea और East Timor).
4. ASEAN देशों की साझी आबादी 64 करोड़ से अधिक है जो कि यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा है.
5. अगर ASEAN को एक देश मान लें तो यह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है.
6. इसकी GDP 28 हजार करोड़ डॉलर से अधिक है.
7. आसियान के chairman Lee Hsien Loong हैं जो ब्रूनेई से हैं.
8. आसियान में महासचिव का पद सबसे बड़ा है.पारित प्रस्तावों को लागू करने का काम महासचिव ही करता है. इसका कार्यकाल 5 साल का होता है.
9. क्षेत्रीय सम्बन्ध को मजबूत बनाने के लिए 1997 में**ASEAN +3 का गठन**किया गया था जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया और चीन को शामिल किया गया.
10. बाद में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैण्ड को भी इसमें शामिल किया गया. फिर इसका नाम बदलकर**ASEAN +6**कर दिया गया.
11. 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आसियान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया.

12. आसियान की बढ़ती महत्ता को देखते हुए अब कई देश इसके साथ करार करना चाहते हैं.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Parliament and State Legislatures – structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these.

TOPIC : MONSOON SESSION OF PARLIAMENT LIKELY TO BEGIN IN JULY

संदर्भ

संसद का **मानसून सत्र** जुलाई में तय समय पर प्रारम्भ होने की आशा है.

संसद के बजट सत्र, 2021, जिसकी शुरुआत 29 जनवरी 2021 (शुक्रवार) को हुई थी, को 25 मार्च 2021 (गुरुवार) को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था और संवैधानिक मानदंडों के अंतर्गत, अगला सत्र **छह महीने की अवधि के भीतर** आयोजित किया जाना अनिवार्य होता है. यह अवधि 14 सितंबर को समाप्त हो रही है.

पृष्ठभूमि

पिछले साल मार्च में महामारी शुरू होने के बाद से, संसद के तीन सत्रों की अवधि में कटौती की गई है. इनमें से पहला सत्र वर्ष 2020 का बजट सत्र था. पिछले साल का शीतकालीन सत्र का समय भी कम किया गया, और मानसून सत्र, जो आमतौर पर जुलाई में शुरू होता है, पिछले साल सितंबर में शुरू हुआ था.

संसद के सत्र (PARLIAMENT SESSIONS)

- संसद के सत्र के संबंध में **संविधान के अनुच्छेद 85 में** प्रावधान किया गया है.
- संसद के **किसी सत्र को बुलाने की शक्ति** सरकार के पास है. इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा लिया जाता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है.
- भारत में कोई **निश्चित संसदीय कैलेंडर** नहीं है. संसद के **एक वर्ष में तीन सत्र** होते हैं.
- सबसे लंबा, बजट सत्र (पहला सत्र) **जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त** हो जाता है. इस सत्र में एक **अवकाश** होता है ताकि संसदीय समितियाँ **बजटीय प्रस्तावों** पर चर्चा कर सकें.
- दूसरा सत्र **तीन सप्ताह का मानसून सत्र** है, जो आमतौर पर **जुलाई माह में शुरू होता है और अगस्त में खत्म** होता है.
- शीतकालीन सत्र यानी तीसरे सत्र का आयोजन **नवंबर से दिसंबर** तक किया जाता है.

नोट

बजट अधिवेशन (फरवरी-मई), मानसून अधिवेशन (जुलाई-अगस्त) और शीतकालीन अधिवेशन (नवंबर-दिसंबर). किंतु, राज्यसभा के मामले में, बजट के अधिवेशन को दो अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है. इन दो अधिवेशनों के बीच तीन से चार सप्ताह का अवकाश होता है. इस प्रकार **राज्यसभा के एक वर्ष में चार अधिवेशन** होते हैं.

संसद सत्र आहूत करना (Summoning of Parliament)

- सत्र को आहूत करने के लियेराष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय-समय पर सम्मन जारी करता है, परंतु संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिये. अर्थात् संसद को कम-से-कम वर्ष में दो बार मिलना चाहिये.

स्थगन (Adjournment)

- संसद की बैठक कोस्थगन या अनिश्चितकाल के लिये स्थगन या सत्रवसान या विघटन (लोकसभा के मामले में) द्वारा समाप्त किया जा सकता है. स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिये निलंबित किया जा सकता है.

सत्रावसान (Prorogation)

- सत्रावसान द्वारा न केवल बैठक बल्कि सदन के **सत्र को भी समाप्त किया जाता** है. सत्रावसान की कार्रवाई राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. सत्रावसान और फिर से इकट्ठे होने (**Reassembly**) तक के समय को अवकाश कहा जाता है. सत्रावसान का आशय **सत्र का समाप्त होना है, न कि विघटन** (लोकसभा के मामले में क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है).

कोरम (Quorum)

- **कोरम** या गणपूर्ति **सदस्यों की न्यूनतम संख्या** है, जिनकी उपस्थिति के चलते सदन का कार्य संपादित किया जाता है. यह **प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का दसवाँ हिस्सा** होता है. अर्थात् किसी कार्य को करने के लिये **लोकसभा** में कम-से-कम **55 सदस्य** तथा **राज्यसभा** में कम-से-कम **25 सदस्यों** का होना जरूरी है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Functions and responsibilities of the Union and the States, issues and challenges pertaining to the federal structure, devolution of powers and finances up to local levels and challenges therein.

TOPIC : RENGMA NAGAS DEMAND AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL

संदर्भ

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्बी-आंगलोंग स्वायत्त परिषद् (Karbi Anglong Autonomous Council- KAAC) को एक 'क्षेत्रीय परिषद्' (Territorial Council) में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है, इसी बीच असम के रेंगमा नागाओं (Rengma Nagas) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर केंद्र एक **स्वायत्त जिला परिषद्** (Autonomous District Council) का गठन करने की मांग की है.

संबंधित प्रकरण

असम सरकार, कार्बी-आंगलोंग क्षेत्र में स्थित प्रभावी उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौता करने की कगार पर है, इसी बीच **NSCN-IM** नामक नागा संगठन ने कहा है, कि रेंगमा नागाओं को पीड़ित करने वाला कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं होगा.

1. इस सारे प्रकरण के केंद्र में कार्बी आंगलोंग क्षेत्र है, जिसे पहले **'रेंगमा हिल्स' (Rengma Hills)**के नाम से जाना जाता था. रेंगमा हिल्स को निहित स्वार्थों के चलते बाहरी लोगों के आक्रामक अंतः प्रवाह का शिकार बनाया जाता रहा है.
2. नागालैंड राज्य के निर्माण के समय वर्ष 1963 में, रेंगमा हिल्स को असम और नागालैंड के बीच विभाजित कर दिया गया था.

स्वायत्त जिला परिषद् क्या हैं?

संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र हैं जो तकनीकी रूप से अनुसूचित क्षेत्रों से अलग होते हैं. यद्यपि ये क्षेत्र राज्य के कार्यकारी अधिकार क्षेत्र में आते हैं, परन्तु कतिपय विधायी एवं न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इनमें जिला परिषदों एवं क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान किया गया है. प्रत्येक जिला एक स्वायत्त जिला होता है और राज्यपाल अधिसूचना निर्गत कर के इन जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है अथवा उन्हें विभाजित कर सकता है.

अपनी अधिसूचना के माध्यम से राज्यपाल निम्नलिखित काम कर सकता है –

1. कोई भी क्षेत्र सम्मिलित कर सकता है
2. कोई भी क्षेत्र को भारत कर सकता है
3. नया स्वायत्त जिला बना सकता है
4. स्वायत्त जिले का क्षेत्र बढ़ा सकता है
5. स्वायत्त जिले का क्षेत्र घटा सकता है
6. स्वायत्त जिले का नाम बदल सकता है
7. किसी स्वायत्त जिले की सीमाओं को परिभाषित कर सकता है

जिला परिषदों एवं क्षेत्रीय परिषदों की बनावट

1. जिला परिषद् में अधिक से अधिक 30 सदस्य होंगे जिनमें अधिकतम चार व्यक्ति को राज्यपाल नामित करेगा और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएँगे.
2. स्वायत्त क्षेत्र के रूप में सृजित प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक अलग क्षेत्रीय परिषद् होगी.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies.

TOPIC : ELECTION COMMISSIONER

संदर्भ

हाल ही में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे को नया **'निर्वाचन आयुक्त' (Election Commissioner)** नियुक्त किया गया है.

पांडे की नियुक्ति से तीन सदस्यीय आयोग के रूप में 'निर्वाचन- दल' की पूर्ण शक्ति बहाल हो जाएगी.

निर्वाचन आयोग

भारत एक प्रजातन्त्रात्मक देश है. यहाँ प्रत्यक्ष मतदान द्वारा व्यवस्थापिका का संगठन किया जाता है. आम चुनाव के निष्पक्षतापूर्वक सम्पादन हेतु एक **निर्वाचन आयोग** की स्थापना संविधान के **अनुच्छेद 324** के अनुसार की गई है. निर्वाचन आयोग पर कार्यपालिका अथवा न्यायपालिका किसी का भी नियंत्रण नहीं होता है और यह आयोग निष्पक्षतापूर्वक अपने कार्य को संपन्न करता है. निर्वाचन आयोग/चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य दो चुनाव आयुक्त होते हैं. Chief Election Commissioner of India प्रायः Indian Civil Services के मेम्बर या IAS होते हैं.

नियुक्ति

भारत के **संविधान के अनुच्छेद 324(2)** के अधीन इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. इसकी सहायता पहुँचाने के लिए राष्ट्रपति अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी करता है. मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़कर भारत में चुनाव आयुक्तों की संख्या कितनी हो यह निर्धारित करना राष्ट्रपति का ही कार्य है. मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने के लिए उस प्रणाली को अपनाना होता है जिस प्रणाली को उच्चतम न्यायलाय के न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए अपनाना होता है. निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति तभी पदच्युत करता है जब मुख्य चुनाव आयुक्त उससे इस प्रकार की सिफारिश करता है.

1. मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है (इनमें से जो भी पहले हो).
2. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों का वेतन और पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी इतनी ही होती है.
3. चुनाव आयुक्त अपना कार्य स्वयं के निर्णय और विवेक से करती है. यदि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच यदि किस बात पर मतभेद हो तो ऐसे मामले बहुमत की राय के अनुसार तय किये जाते हैं.

भारत के संविधान ने यह सुनिश्चित किया है कि आयोग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा. मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामान संसद द्वारा महाभियोग (impeachment) के जरिए ही हटाया जा सकता है. दूसरे शब्दों में जब तक दो-तिहाई लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अवास्तविक आचरण या अनुचित कार्रवाइयों के लिए वोट न कर दें, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया नहीं जा सकता.

निर्वाचन आयोग के कार्य

भारत निर्वाचन आयोग/चुनाव आयोग भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधान सभाओ, विधान परिषदों, निगमों, नगरपालिकाओं, जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों आदि के निर्वाचनों का सञ्चालन करता है.

निर्वाचन आयोग/चुनाव आयोग मुख्य रुप से निम्नलिखित कार्य संपन्न करता है: –

1. भारत के राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का चुनाव करना
2. लोकसभा और विधान मंडलों के मतदाताओं की सूची तैयार करवाना और उनका निरीक्षण करना
3. लोकसभा, राज्यसभाओं और विधानमंडलों के निर्वाचन की व्यवस्था, नियंत्रण और निरितिक्षण करना
4. चुनाव के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद अथवा संदेह उत्पन्न हों तो उनके निर्णय के लिए चुनाव न्यायालयों (Election Tribunals) की नियुक्ति करना
5. चुनाव आयुक्त को अपने कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादन करने के लिए बहुत से अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है. आयोग के आवेदन पर इन कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है.

GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the Centre and States and the performance of these schemes; mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections.

TOPIC : SMART KITCHEN PROJECT OF KERALA

संदर्भ

केरल सरकार द्वारा एक '**स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट**' (Smart Kitchen project) प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है. इस योजना का ध्येय रसोई-घरों का आधुनिकीकरण करना तथा घरेलू काम-काज में गृहणियों के सामने आने वाली कठिनाईयों को कम करना है.

स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट

1. इस योजना का कार्यान्वयन, एक राज्य द्वारा संचालित चिट-फंड एवं ऋण-दाता फर्म **'केरल राज्य वित्तीय उद्यम' (KSFE)** द्वारा किया जाएगा.
2. इस योजना के अंतर्गत, KSFE द्वारा घरेलू गैजेट या उपकरण खरीदने हेतु सभी वर्गों की महिलाओं लिए सुलभ ऋण (Soft Loans) प्रदान कराया जाएगा.
3. इस ऋण/लागत पर लगने वाले ब्याज को लाभार्थी, स्थानीय स्वशासी निकाय और राज्य सरकार के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा.

योजना का माहात्म्य

1. **जेंडर बजटिंग (Gender budgeting):** सरकार का मानना है कि श्रम में महिलाओं की बेहतर भागीदारी के लिए, इन पर पड़ने वाले घर के कामों के बोझ को कम करना होगा.
2. **महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना:** रसोई में मशीनीकरण बढ़ाकर, श्रम में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Issues related to education.

TOPIC : QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS

संदर्भ

अग्रणी वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक **'क्यूएस (क्वाक्वेरेली साइमंड्स)'** अर्थात (QS – Quacquarelli Symonds) द्वारा विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 18वाँ संस्करण निर्गत किया गया है.

'क्वाक्वेरेली साइमंड्स' (QS) एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग विशेषज्ञ समूह' (IREG) का अनुमोदन प्राप्त है.

विश्व के शीर्ष तीन संस्थान

1. मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार दसवें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है.
2. वर्ष 2006 के बाद पहली बार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है.
3. स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है.

भारतीय संस्थानों का प्रदर्शन

1. भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, शीर्ष-200 रैंक में स्थान प्राप्त करने वाले भारत के तीन विश्वविद्यालय बने रहे.
2. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली बार स्थान प्राप्त की है, और इसे 561-570 बैंड में रखा गया है.
3. भारत के 35 विश्वविद्यालयों में से 17 के CPF स्कोर में बढ़ोतरी हुई है, जबकि 12 विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन इस संकेतक में गिरा है.
4. **चुनौतियाँ**: हालांकि, भारतीय विश्वविद्यालय क्यूएस के 'संस्थागत शिक्षण क्षमता' मापदंड में संघर्ष करना पड़ रहा है. भारत के 35 विश्वविद्यालयों में से 23 विश्वविद्यालयों की 'संकाय/छात्र अनुपात संकेतक' में गिरावट हुई है, और मात्र 6 विश्वविद्यालयों ने इस संकेतक में सुधार किया है.
5. 'संकाय/छात्र अनुपात' श्रेणी में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय 'शीर्ष 250' में सम्मिलित नहीं है.

QS विश्व विद्यालय रैंकिंग

QS विश्व विद्यालय रैंकिंग विश्व-भर के महाविश्वविद्यालयों की रैंकिंग से सम्बंधित एक वार्षिक प्रकाशन है जो Quacquarelli Symonds (QS) द्वारा निर्गत किया जाता है.

इसके लिए QS जिन मानदंडों को मूल्यांकन के लिए अपनाता है, वे मुख्यतः हैं – विश्वविद्यालय की पढ़ाई-लिखाई के विषय में प्रसिद्धि, पढ़ाने वालों और पढ़ने वालों के बीच अनुपात, प्रत्येक पढ़ाने वाले को मिली प्रशस्तियाँ, विदेशी छात्रों की संख्या तथा विश्वविद्यालय में पढ़ाने की उत्कृष्टता.

इंस्टिट्यूट्स ऑफ़ एमिनेन्स योजना क्या है?

- यह योजना भारत सरकार के **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** की है. इसका **उद्देश्य** भारतीय संस्थानों को वैश्विक मान्यता दिलवाना है.
- चुने गये संस्थानों को सम्पूर्ण **शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वयत्तता** मिलेगी.
- सरकार इन संस्थानों में से दस को चलाएगी और उन्हें विशेष धनराशि मुहैया कराएगी.

- उत्कृष्ट संस्थान के रूप में संस्थानों को चुनने के लिए एक **विशेष विशेषज्ञ समिति** गठित की गई है.
- उत्कृष्ट संस्थान के रूप में चयन के लिए वही शैक्षणिक संस्थान **योग्य** माने जाएँगे जिन्हें वैश्विक-स्तर पर शीर्षस्थ **500 संस्थानों में स्थान मिला हुआ है**.
- इसके लिए वह संस्थान भी आवेदन कर सकता है जिसको राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचे (NIRF) के अंदर **शीर्षस्थ 50 में स्थान** मिला है.
- 'उत्कृष्ट संस्थान' के रूप में चुने गए प्रत्येक 'सार्वजनिक संस्थान' को पाँच साल की अवधि में 1000 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी. **निजी संस्थानों को यह वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी**. निजी संस्थानों को यह दर्जा तभी मिलेगा जब वह आगामी **15 वर्ष के लिए अपनी ऐसी योजना प्रस्तुत करे जो भरोसा देने वाली हो**.
- इन संस्थानों को **विदेशी छात्रों को प्रवेश** देने के लिए, विदेशी अध्यापकों को भर्ती करने के सन्दर्भ में अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी.
- उन्हें UGC की अनुमति के बिना शीर्ष **500 विश्व-संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग** करने की भी अनुमति प्रदान की जायेगी.

उत्कृष्ट संस्थानों को प्राप्त सुविधाएँ

1. ये संस्थान अपने कार्यबल के **25% तक शिक्षकों को विदेशी शिक्षकों को नियुक्त कर सकते हैं.**
2. ये देश के अन्दर अन्य शैक्षणिक संस्थानों से सहयोग कर सकेंगे.
3. विदेशी छात्रों को अपने संस्थान में मेधा के आधार पर ले सकेंगे बशर्ते उनकी संख्या **देशी छात्रों के 30% तक** हो.
4. बिना किसी सीमा के ये संस्थान विदेशी छात्रों से शुल्क ले सकेंगे.
5. उत्कृष्ट संस्थान बन जाने के बाद ये संस्थान UGC के पाठ्यक्रम से हट कर अपना पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते हैं.
6. ये संस्थान अपने कार्यक्रमों के ऑनलाइन पाठ्यक्रम चला सकते हैं, परन्तु इसके लिए इसकी **20% की अधिकतम सीमा** है.
7. ऐसे संस्थानों में **UGC के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं** होगी.

विश्व-स्तरीय संस्थानों की आवश्यकता क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के अनुसार, भारत में विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालयों का अभाव है और यहाँ के शिक्षकों को विदेश की तुलना में कम पैसा दिया जाता है. चीन की तुलना में भारत में विश्वविद्यालय के स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या आधी है. इस मामले में वह अधिकांश लैटिन अमेरिकी और अन्य मध्यम आय वाले देशों से कहीं पीछे है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Issues related to health.

TOPIC : VACCINE NATIONALISM

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के निर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने **वैक्सीन राष्ट्रवाद (Vaccine nationalism)** के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा है, कि इससे महामारी को मिटाने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को बरबाद कर देगा और "हर कीमत पर" इसे टाला जाना चाहिए.

उन्होंने, विकसित देशों और शेष विश्व के 'टीकाकरण कवरेज' में असमानता को "अस्वीकार्य" बताया.

वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है?

- 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' का आशय उस तंत्र से है, जिसके जरिये एक देश पूर्व-खरीद समझौतों का प्रयोग करते हुए अपने स्वयं के नागरिकों या निवासियों के लिये वैक्सीन की खुराक को सुरक्षित करता है और अन्य देशों को वैक्सीन देने से पूर्व अपने घरेलू बाज़ारों को प्राथमिकता देता है.
- सम्पूर्ण विश्व में वैक्सीन के लिए होड़ मची है, और अमीर देश ये सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि, वो अपनी आबादी को कई बार टीका लगाने से भी ज़्यादा टीकों की ख़ुराक जुटा लें या उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर लें. वही, ग़रीब देशों के कोविड-19 के टीकों के लिए हाथ में कटोरा लेकर क़तार में खड़े होने का मंज़र भी साफ़ दिखाई दे रहा है. बहुत से विश्लेषक इसे 'वैक्सीन राष्ट्रवाद' का नाम दे रहे हैं.

अतीत में इसका उपयोग

वैक्सीन राष्ट्रवाद नयी अवधारणा नहीं है. वर्ष **2009 में फ़ैली H1N1 फ्लू महामारी** के आरंभिक चरणों में विश्व के धनी देशों द्वारा H1N1 वैक्सीन निर्माता कंपनियों से खरीद-पूर्व समझौते किये गए थे.

1. उस समय, यह अनुमान लगाया गया था कि, अच्छी परिस्थितियों में, वैश्विक स्तर पर वैक्सीन की अधिकतम दो बिलियन खुराकों का उत्पादन किया जा सकता है.
2. अमेरिका ने समझौता करके अकेले 600,000 खुराक खरीदने का अधिकार प्राप्त कर लिया. और, जिन देशों द्वारा इस वैक्सीन के लिए खरीद-पूर्व समझौता किया गया, वे सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देश थे.

मेरी राय – मेंस के लिए

महामारी के कारण आर्थिक मोर्चे पर संकट का सामना कर रहे पड़ोसी देशों के लिये भारत द्वारा दी जा रही वैक्सीन की खेप कई मायनों में काफी महत्त्वपूर्ण है और इससे भारत अपने निकटवर्ती पड़ोसी देशों व हिंद महासागर के देशों में दीर्घकालिक ख्याति अर्जित कर सकेगा. यह भारत की **'नेबरहुड फर्स्ट' नीति** के अनुरूप है. यदि भारत दुनिया में कोरोना वैक्सीन का विनिर्माण केंद्र बन जाता है, तो इससे भारत के आर्थिक विकास पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा. भारत को COVID-19 वैक्सीन की घरेलू ज़रूरत और अपनी कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं में संतुलन स्थापित करना होगा. ज्ञातव्य है कि 16 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ भारत का COVID-19 टीकाकरण अभियान विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है. भारत के लिये बड़ी चुनौती यह होगी कि वह विश्व को वैक्सीन की आपूर्ति करने के साथ ही अपने उन नागरिकों के लिये भी वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करे, जो इसकी लागत को वहन करने में सक्षम नहीं हैं. भारत निश्चित रूप से चीन की राह पर नहीं चलना चाहेगा, जिसके पास कोविड-19 की वैक्सीन तो बहुत हैं, मगर भरोसा किसी पर नहीं.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure.

TOPIC : BREACH OF PRIVILEGE

संदर्भ

लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल के. पटेल द्वारा द्वीपों का दौरा करने की अनुमति देने से इनकार करने पर, भाकपा सांसद बिनॉय विश्वम ने उनके विरुद्ध **'विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव'** (**Breach of Privilege motion**) दायर किया है.

सांसद ने कहा है, कि एक सांसद का स्वतंत्र रूप से घूमने और लोगों से मिलने का अधिकार, उनके पद के **विशेषाधिकार** का अभिन्न अंग है.

पृष्ठभूमि

जिला प्रशासन ने यह कहते हुए जवाब दिया है, कि जारी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सांसद को द्वीप की यात्रा करने की अनुमति नहीं है.

विशेषाधिकार क्या है?

एक सांसद या विधायक होना सिर्फ जनप्रतिनिधि होना नहीं है अपितु ये लोग संविधान के पालक और नीतियाँ/कानून बनाने वाले लोग भी हैं. कार्यपालिका के साथ मिलकर यही लोग देश का वर्तमान और भविष्य तय करते हैं. इन पदों की महत्ता और निष्ठा को देखते हुए संविधान ने इन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए हैं. **संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के खंड 1 और खंड 2** के तहत विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है. भारतीय संविधान में विशेषाधिकार के विषय **इंग्लैंड के संविधान** से लिए गये हैं.

संविधान के अनुच्छेद 105 (3) और 194 (3) के तहत देश के विधानमंडलों को वही विशेषाधिकार मिले हैं जो संसद को मिले हैं. संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि ये स्वतंत्र उपबंध हैं. यदि कोई सदन विवाद के किसी भाग को कार्यवाही से हटा देता है तो कोई भी उस भाग को प्रकाशित नहीं कर पायेगा और यदि ऐसा हुआ तो संसद या विधानमंडल की अवमानना मानना जाएगा. ऐसा करना दंडनीय है. इस परिस्थिति में **अनुच्छेद 19 (क) के तहत बोलने की आजादी** (freedom of speech and expression) के मूल अधिकार की दलील नहीं चलेगी.

विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव कैसे लाया जाता है?

नियम 222

लोकसभा के नियम 222 के तहत कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से कोई भी प्रश्न उठा सकता है जिसमें उसे लगता है कि किसी सदस्य या सभा या समिति के विशेषाधिकार का हनन हुआ है.

नियम 223

नियम 223 के तहत किसी भी सदस्य को, जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता है, लिखित सूचना लोक सभा महासचिव को उसी दिन देनी होती है जिस दिन प्रश्न उठाना होता है. यदि प्रश्न किसी साक्ष्य पर आधारित हो तो सूचना के साथ साक्ष्य भी देना होता है.

नियम 224

हालाँकि विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं जिनकी चर्चा **लोकसभा के नियम 224** में की गई है. पहली, इसके तहत एक ही बैठक में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे. दूसरी, जो भी प्रश्न उठाया जायेगा वह हाल ही में उठाये गए किसी ख़ास विषय तक सीमित हो और उस विषय में सभा का हस्तक्षेप जरूरी है.

नियम 225

लोक सभा में *Parliamentary Privilege* से जुड़ी प्रक्रिया की चर्चा **लोकसभा के नियम 225 से 228** के तहत की गई है. नियम 225 के अनुसार किसी भी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने के बाद यदि लोकसभा अध्यक्ष उसपर अपनी सहमति जताते हैं तो उसके बाद नियम के अनुसार सदन में उस सदस्य का नाम पुकारा जाता है. इसके बाद सम्बंधित सदस्य *Parliamentary Privilege* के मुद्दे पर अपनी सफाई रखते हैं. लेकिन अगर लोकसभा अध्यक्ष को लगता है कि सम्बंधित विषय विशेषाधिकार हनन की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो वह नियमों का हवाला देते हुए उसे सहमति देने से इनकार कर सकते हैं. इसके साथ ही यदि अध्यक्ष को लगता है कि मामला बहुत गंभीर है या इस पर देर नहीं की जा सकती है तो वह सदन में प्रश्नकाल के खत्म होने के बाद किसी भी बैठक के दौरान विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकते हैं.

अगर सदन के भीतर विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का विरोध किया जाता है तो उस स्थिति में अध्यक्ष उन सदस्यों को, जो इसकी अनुमति चाहते हैं, अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहते हैं. यदि **कम-से-कम 25 सदस्य** इसके पक्ष में खड़े होते हैं तो अध्यक्ष उसपर अपनी अनुमति दे देते हैं. लेकिन 25 से कम सदस्य खड़े होते हैं तो अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है.

नियम 226

इसके साथ ही **नियम 226** में यह प्रावधान है कि अगर अध्यक्ष द्वारा अनुमति दे दी जाती है तो सभा उस प्रश्न पर विचार करती है. उसके बाद उस प्रश्न को **विशेषाधिकार समिति** को सौंप दिया जाता है.

नियम 227

नियम 227 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा *Parliamentary Privilege* से जुड़े किसी भी सवाल को जाँच, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है. इसके बाद समिति उस सौंपे गये प्रत्येक प्रश्न की जाँच करेगी और सभी मामलों में तथ्यों के मुताबिक यह निर्धारित करेगी कि संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privilege) का उल्लंघन हुआ है या नहीं और यदि हुआ है तो इसका स्वरूप क्या है और किन परिस्थितियों में हुआ है. पूरी जाँच करने के बाद समिति अपने विवेक के अनुसार सिफारिश करती है. इसके अतिरिक्त समिति नियमों के अधीन रहते हुए यह राय भी दे सकती है कि उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाए.

नियम 228

नियम 228 के तहत लोक सभा अध्यक्ष को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह विशेषाधिकार समिति में या विशेषाधिकार से जुड़े किसी भी मामले पर अपनी राय दे सकते हैं.

विशेषाधिकार के प्रश्न सम्बन्धी प्रक्रिया राज्य सभा में लोक सभा के जैसी ही है. इसकी चर्चा राज्य सभा के **नियम 187-203** के बीच की गई है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora.

TOPIC : CABINET APPROVES MOU BETWEEN INDIA AND ARGENTINE REPUBLIC ON COOPERATION IN THE FIELD OF MINERAL RESOURCES

संदर्भ

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए **भारत और अर्जेंटीना** गणराज्य के मध्य समझौता ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान की है.

यह लिथियम के निष्कर्षण और खनन सहित खनिजों के अन्वेषण एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग जैसी गतिविधियों को सुदृढ़ करेगा. जातव्य है कि चीन सरकार की स्वामित्वाधीन फर्मों ने अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में लिथियम खदान रियायतें प्राप्त की हैं. इससे लिथियम त्रिकोण का सृजन हुआ है. इस परिप्रेक्ष्य में यह समझौता भारत के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है.

सामरिक धातु और खनिज (जैसे लिथियम, क्रोमियम व वैनेडियम) आधुनिक तकनीक एवं उद्योग के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु इनकी आपूर्ति सीमित होती है तथा व्यवधान के अधीन है.

वर्तमान में, भारत सामरिक खनिजों की आपूर्ति के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है. सामरिक सामग्री की वैश्विक आपूर्ति के संबंध में चीन का एकाधिकार है.

सामरिक खनिजों के लिए भारत की पहलें

- देश के भीतर खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2021 अधिनियमित किया गया है.

- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पाए जाने वाले सामरिक खनिजों के साथ नक्सलवाद की समस्या का बेहतर समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है.
- सरकारी कंपनी खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में कोबाल्ट एवं लिथियम खदानों का अधिग्रहण करने का प्रयास कर रही है.
- नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड की संयुक्त उद्यम फर्म कोबाल्ट व लिथियम की प्रत्यक्ष खरीद की संभावना तलाश रही है.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : ONE NATION ONE RATION CARD SCHEME

संदर्भ

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से **'वन नेशन वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card) योजना** तत्काल लागू करने को कहा है. इससे योजना के लाभार्थी, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों को, देश-भर में कहीं से भी रियायती खाद्य वस्तुओं को पाने का लाभ उठा सकेंगे. पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त, असम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली राज्यों में अभी यह योजना शुरू नहीं की गयी है.

पृष्ठभूमि

सर्वोच्च न्यायालय में "प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और दु:खों" से संबंधित एक स्वत: संज्ञान (suo motu) मामले पर सुनवाई की जा रही है.

एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड योजना क्या है?

यह एक राष्ट्रीय योजना है जो यह सुनिश्चित करती है कि कि जन-वितरण प्रणाली से लाभ लेने वाले सभी व्यक्ति, विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले, देश के अन्दर किसी भी अपनी पसंद की PDS दुकान से अनाज आदि प्राप्त कर सकें.

अब तक यह सुविधा आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे 17 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध कराई गई है.

लाभ

इस योजना का लाभ यह होगा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सब्सिडी युक्त अनाज पाने से कोई निर्धन व्यक्ति इसलिए वंचित न हो जाए कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया है. इस योजना से एक अतिरिक्त लाभ यह होगा कि कोई व्यक्ति अलग-अलग राज्यों में जन-वितरण प्रणाली का लाभ लेने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड नहीं बनवा पायेगा.

माहात्म्य

इस योजना से के फ़लस्वरूप लाभार्थी किसी एक PDS दुकान से बंधा नहीं रह जाएगा और ऐसी दुकान चलाने वालों पर उसकी निर्भरता घट जायेगी और साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में भी कटौती होगी.

चुनौतियाँ

- प्रत्येक राज्य के पास जन-वितरण प्रणाली के विषय में अपने नियम होते हैं. यदि एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड योजना लागू की गई तो संभावना है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले. वैसे भी सभी जानते हैं कि इस प्रणाली में भ्रष्टाचार होता रहता है.
- इस योजना से जन-सामान्य का कष्ट बढ़ जाएगा और बिचौलिए तथा भ्रष्ट PDS दुकान के मालिक उसका शोषण करेंगे.
- इन्हीं कारणों से तमिलनाडु ने इस योजना का विरोध किया है और कहा है कि इसको लागू करने से अवांछित परिणाम होंगे. साथ ही उसका कहना है कि यह योजना संघवाद पर कुठाराघात करती है.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) : यह अधिनियम भारत सरकार ने 10 सितम्बर, 2013 को अधिसूचित किया था.इसका उद्देश्य लोगों को उचित मात्रा में गुणवत्तायुक्त भोजन, सस्ते दामों में उपलब्ध कराते हुए उनकी खाद्य एवं पोषण से सम्बंधित सुरक्षा प्रदान करना है.

मेरी राय – मेंस के लिए

इस योजना से कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायती दाम पर खाद्यान्न मिल सकेगा.

योजना को लागू करने के लिए सभी पीडीएस दुकानों पर PoS (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए.

योजना कागज पर तो अच्छी है, लेकिन इसे लागू करने में कई व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसके लिए बड़े पैमाने पर राशन कार्डों को डिजिटल स्वरूप देना होगा. कई राज्य इस मामले में काफी पिछड़े हैं. इसके अतिरिक्त पीडीएस से जुड़े दुकानदार भी इस मामले में अड़ंगा लगा सकते हैं. सरकार को इस योजना को लागू करने के लिए एक ठोस निगरानी तंत्र की स्थापना करनी होगी. अगर राशन दुकान मालिकों के भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग सका तो इस योजना का मकसद पूरा नहीं होगा. पीडीएस में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं. राशन कार्ड के पोर्टेबल होने के बावजूद दुकानदारों की मनमानी पर अंकुश लगाने की राह में राजनीति समेत कई बाधाएँ हैं. सरकार के एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू करने से पहले इन पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

TOPIC : PAK. PASSES BILL TO LET JADHAV APPEAL

संदर्भ

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा मौत की सजा पाए कैदी कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार प्रदान करने के लिए **"अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (समीक्षा और पुनर्विचार) विधेयक, 2020"** (ICJ (Review and Re-consideration) Bill, 2020) पारित किया गया है.

इस विधेयक का उद्देश्य, जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ) के निर्णय के अनुरूप 'कांसुलर एक्सेस' अर्थात् वकील करने की अनुमति प्रदान करना है.

संबंधित प्रकरण

1. अप्रैल 2017 में एक 51 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को एक पाकिस्तानी सैन्य न्यायालय ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी.
2. भारत ने जाधव को वकील उपलब्ध कराने पर रोक लगाने तथा 'मौत की सजा' को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' (ICJ) में अपील की.
3. हेग स्थित 'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' ने जुलाई 2019 में इस मामले पर निर्णय सुनाते हुए कहा कि, पाकिस्तान, जाधव की दोष-सिद्धि तथा सुनाई गयी सजा की 'प्रभावी समीक्षा तथा पुनर्विचार' करे तथा बिना देरी किए भारत के लिए जाधव को वकील की सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करे.

'अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय' की महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ

1. पाकिस्तान सेना द्वारा जाधव को हिरासत में लेने के तुरंत पश्चात् उसकी गिरफ्तारी के विषय में भारत को सूचित नहीं करने पर, इस्लामाबाद ने **'वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस'** (Vienna Convention on Consular Relations) के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है.
2. भारत को जाधव से संपर्क करने और हिरासत के दौरान उससे मिलने तथा उसके लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के अधिकार से वंचित किया गया है.

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) का **मुख्यालय हॉलैंड** शहर के **द हेग** में स्थित है. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैधानिक विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का **निर्णय परामर्श माना जाता है** एवं इसके द्वारा दिए गये निर्णय को बाध्यकारी रूप से लागू करने की शक्ति **सुरक्षा परिषद् के पास है**. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा देशों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाया जाता है, जैसे – सीमा विवाद, जल विवाद आदि. इसके अतिरिक्त **संयुक्त राष्ट्र संघ** की विभिन्न एजेंसियाँ अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मुद्दों पर इससे परामर्श ले सकती हैं.

न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है. किसी एक राज्य के एक से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में **15 न्यायाधीश** होते हैं जिनका कार्यकाल **9 वर्षों** का होता है. ये 15 न्यायाधीश निम्नलिखित क्षेत्रों से चुने जाते हैं –

- अफ्रीका से तीन.
- लैटिन अमेरिका और कैरीबियाई देशों से दो.
- एशिया से तीन.
- पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों में से पाँच.
- पूर्वी यूरोप से दो.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. Effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth.

TOPIC : VEHICLE SCRAPPAGE POLICY

संदर्भ

वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने '**वाहन स्क्रैपिंग नीति**' (Vehicle Scrappage Policy) के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने को कहा है.

वाहन स्क्रैपिंग नीति के प्रमुख प्रावधान

- वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र न मिल पाने की स्थिति में 15 वर्ष के पश्चात् और निजी वाहनों को 20 वर्षों के बाद अपंजीकृत कर दिए जाने का प्रावधान है.
- वाहनों के लिए उनके प्रारम्भिक पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की अवधि सम्पूर्ण हो जाने के बाद फिर से पंजीकरण कराने के लिए बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा.
- इस योजना के अंतर्गत वाहन नष्ट करने के पंजीकृत केन्द्रों के माध्यम से पुराने और अनुपयुक्त वाहनों के स्वामियों को रोड टैक्स में छूट, नए वाहनों के खरीद पर छूट जैसे कई आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएँगे.
- वाहन नष्ट करने का केंद्र पुराने वाहन के कबाड़ का मूल्य निर्धारित करेगा जो किसी नए वाहन की शोरूम से बाहर निकलते समय देय मूल्य का करीब 4-6% होगा.
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देशभर में वाहनों को नष्ट करने के लिए पंजीकृत सुविधाएँ (Registered Vehicle Scrapping Facility – RVSF) स्थापित करने को को बढ़ावा देगा और इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित किया जाएगा.

अक्टूबर 2021 तक फिटनेस केन्द्रों और स्क्रैपिंग केन्द्रों के लिए नियम जारी कर दिए जायेंगे. सरकारी एवं लोक उपक्रमों के 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप (नष्ट) करने की शुरुआत अप्रैल 2022 से हो जाएगी. भारी वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस की अनिवार्य जाँच 01 अप्रैल 2023 से होगी जबकि अन्य श्रेणियों में अनिवार्य जाँच जून 2024 से होगी.

नई नीति से जुडी समस्याएँ

1. ट्रकों के लिए सीमित प्रोत्साहन और कम कीमत देने वाली अर्थनीति.
2. चिह्नित करने योग्य अन्य श्रेणियों के वाहनों की कम संख्या.
3. 15 साल पुरानी एक शुरुआती श्रेणी की छोटी कार को स्क्रैप करने से लगभग 70,000 रुपए प्राप्त होंगे, जबकि इसे बेचने पर लगभग 95,000 रुपए मिल सकते हैं. इस कारण स्क्रैपिंग अनाकर्षक बन जाती है.

समय की माँग

इन सब कारणों को देखते हुए, स्क्रैपिंग नीति को पूरी तरह से लागू करने के लिए, हमें 'जिन वाहनों का जीवन समाप्त हो चुका है, अर्थात् 'एंड ऑफ़ लाइफ व्हीकल्स' (ELV) को सड़क से हटाने के संदर्भ में एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए. माल-भाडा ट्रांसपोर्टर्स को एक पर्याप्त एवं उत्साही वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता है. हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जब तक पुराने वाहनों के बेड़े सड़क से नहीं हटाए जाएँगे, तब तक बीएस-VI (BS-VI) वाहन लागू करने का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance applications, models, successes, limitations, and potential; citizens charters, transparency & accountability and institutional and other measures.

TOPIC : CITIZENS' CHARTER

संदर्भ

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के लिए एक आदर्श **नागरिक घोषणा-पत्र** निर्गत किया है.

नागरिक घोषणा-पत्र

- नागरिक घोषणा-पत्र (Citizens' Charter) एक दस्तावेज है.

- यह सेवा वितरण के मानक, गुणवत्ता और समय सीमा, शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के प्रति पंचायत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है.
- पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से यह घोषणा-पत्र तैयार किया है.
- यह स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए, 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है.
- यह अपेक्षा की जाती है कि पंचायतें इस रूपरेखा का उपयोग नागरिक घोषणा-पत्र तैयार करने के लिए करेंगी तथा 15 अगस्त, 2021 तक इसे ग्राम सभा के एक संकल्प के माध्यम से अंगीकृत करेंगी.

महत्त्व

- पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के तीसरे स्तर का गठन करती हैं. साथ ही, 60 प्रतिशत से अधिक भारतीय जनसंख्या के लिए सरकार के साथ अंतःक्रिया के प्रथम स्तर (first level of Government) का प्रतिनिधित्व करती हैं.
- पंचायतें भारत के **संविधान के अनुच्छेद 243G** के अंतर्गत विशेष रूप से स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, पोषण व पेयजल जैसे विषयों में बुनियादी सेवाओं के वितरण के लिए उत्तरदायी हैं.
- इसलिए, यह घोषणा-पत्र समावेशी और जवाबदेह स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त करेगा.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources.

TOPIC : PERFORMANCE GRADING INDEX – PGI

संदर्भ

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने **प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक** (Performance Grading Index – PGI) 2019-20 निर्गत करने की स्वीकृति दी.

विदित हो कि 2019 में सरकार ने एक 70-सूत्री प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (Performance Grading Index – PGI) का अनावरण किया था जिसका उद्देश्य प्रत्येक राज्य की विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में विद्यमान कमियों का मूल्यांकन करना तथा बच्चों को पढ़ाने से लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप करते हुए उसमें सुधार लाना है.

PGI क्या है?

- इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों को यह समझने में सहायता करना है कि वे कहाँ पर पिछड़ रहे हैं और उन्हें यह बतलाना है कि किन आवश्यक क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि विद्यालय की शिक्षा प्रणाली प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ रहे.
- इस विद्यालयी सूचकांक का संकलन भारत सरकार का **मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD)** कर रहा है.
- सूचकांक में राज्यों का मूल्यांकन 1,000 बिन्दुओं वाली एक ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मानदंड के लिए 10-20 बिंदु होंगे.
- इस सूचकांक में 70 संकेतक इन क्षेत्रों के आधार पर ग्रेडिंग करेंगे – शिक्षकों को पदों में वर्तमान रिक्तियाँ, प्रत्यक्ष भर्ती के पदों की संख्या, विद्यालय का भवन एवं अन्य सुविधाएँ आदि.
- नीति आयोग PGI के 70 मापदंडों में से 33 मापदंडों को अपनाकर अपने स्तर पर मूल्यांकन करेगा.

माहात्म्य

यह सूचकांक सरकार की उस समग्र चेष्टा के अनुरूप है जिसमें गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक-प्रशिक्षण और ज्ञानवर्धन पर बल दिया जा रहा है. यह बतलायेगा कि वे कौन-से आवश्यक क्षेत्र हैं जिनमें हस्तक्षेप करके विद्यालयी शिक्षा को प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ किया जा सकता है.

विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य हालिया कदम

- **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (National Achievement Survey: NAS),** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) द्वारा आयोजित कक्षा 3, 5, 8 तथा 10 में बच्चों की अधिगम उपलब्धि का आवधिक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है.
- भारत वर्ष 2021 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (0£07) द्वारा आयोजित किए जाने वाले **अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम** (Programme for International Students Assessment: PISA) में भी भाग ले रहा है.

- उच्च गुणवत्ता वाली ई-लर्निंग सामग्री के लिए **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग** (दीक्षा/DIKSHA) मंच आरंभ किया गया है.

GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources.

TOPIC : THE HISTORY OF TULU AND THE DEMAND FOR OFFICIAL LANGUAGE STATUS

संदर्भ

तुलु भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने, तथा कर्नाटक और केरल में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग जोर पकडती जा रही है.

तुलु भाषा का संक्षिप्त परिचय

- तुलु एक द्रविड़ भाषा है जिसे बोलने वाले लोग दक्षिण भारत में रहते हैं. पिछली जनगणना से पता चलता है कि भारत में तुलु बोलने वाले लोगों की संख्या 18,47,427 है जबकि आठवीं अनुसूची में सम्मिलित मणिपुरी और संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम हैं.
- रोबर्ट काल्डवेल (1814-1891) ने द्रविड़ भाषाओं का एक तुलनात्मक व्याकरण लिखा था जिसमें बताया गया था कि तुलु द्रविड़ परिवार की सर्वाधिक विकसित भाषाओं में से एक है.
- जिन क्षेत्रों में तुलु भाषा प्रधानतः बोली जाती है उसे बोलचाल की भाषा में तुलु नाडु कहा जाता है. इसके अन्दर दक्षिण कन्नड़ के जिले, कर्नाटक का उडुपी और पयसवनी नदी अथवा चंद्रगिरी तक फैला हुआ केरल का कसरागोड़ जिला आता है. विदित हो कि कसरागोड़ जिले को **सप्तभाषा संगम** भूमि भी कहते हैं क्योंकि यहाँ तुलु समेत सात भाषाओं का संगम देखने को मिलता है. वस्तुतः कसरागोड़ के साथ-साथ मंगलुरु और उडुपी नगर तुलु संस्कृति के गढ़ माने जाते हैं.

आठवीं अनुसूची (EIGHTH SCHEDULE) क्या है?

संविधान की आठवीं अनुसूची में देश की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है. **अनुच्छेद 344(1) और 351** के अनुसार इस अनुसूची में **22 भाषाएँ अंकित** हैं. ये भाषाएँ हैं – असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू.

दरअसल, इनमें से 14 भाषाओं को संविधान में सम्मिलित किया गया था. परन्तु इस अनुसूची में अन्य भाषाओं के प्रवेश की माँग हमेशा से उठती आई हैं. 1967 ई. में सिन्धी भाषा को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया. इसके पश्चात्, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1992 ई. में जोड़ लिया गया. 2003 में बोड़ो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिए गये.

आठवीं अनुसूची में प्रवेश का नितिहार्थ

1. आठवीं अनुसूची में प्रवेश होने पर तुलु भाषा को साहित्य अकादमी की मान्यता मिल जायेगी.
2. तुलु भाषा की पुस्तकों का देश की अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं में अनुवाद होने लगेगा.
3. संसद तथा राज्य विधान सभाओं में सांसद और विधायक तुलु भाषा में बोल सकेंगे.
4. लोक सेवा परीक्षाओं में तथा अन्य अखिल भारतीय प्रतिस्पर्धाओं में तुलु भाषी अपनी भाषा में लिख सकेंगे.

भारत की भाषाई विविधता

- 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में ऐसी 30 भाषाएँ हैं जिनमें प्रत्येक को बोलने वालों की संख्या 10 लाख से ऊपर है.
- इन 30 भाषाओं के अतिरिक्त 122 भाषाएँ ऐसी हैं जिनमें प्रत्येक को बोलने वालों की संख्या 10,000 तक है.
- 1,599 भाषाएँ ऐसी हैं जिनको "बोली" कह सकते हैं क्योंकि ये किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित हैं और जिनमें से कुछ विलुप्ति के कगार पर हैं.

संविधान का अनुच्छेद 29

संविधान का अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि विशिष्ट भाषा, विशिष्ट लिपि या विशिष्ट संस्कृति रखने वाले नागरिकों को यह अधिकार है कि वे इन वस्तुओं का संरक्षण करें.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

TOPIC : NATO SUMMIT

संदर्भ

हाल ही में, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था. इसमें सभी 30 मित्र राष्ट्रों के नेताओं ने भाग लिया.

बैठक के परिणाम

1. नाटो देशों के प्रमुखों ने कहा कि वे "नाटो की **संस्थापक** '**वाशिंगटन संधि**' तथा इसमें शामिल **'सामूहिक रक्षा संबंधी अनुच्छेद- 5'** के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं. '**अनुच्छेद- 5'** में कहा गया है, कि नाटो संगठन के किसी एक सहयोगी के खिलाफ हमले को, सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा.
2. इस बैठक में, एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक विषय बन चुके प्रमुख साइबर हमलों को, **अनुच्छेद 5** की भाषा में शामिल करने के लिए इसको अद्यतन करने के बारे में सहमति वयक्त की गई.

नाटो क्या है?

- नाटो का पूरा नाम North Atlantic Treaty Organization है अर्थात् उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है.
- यह एक अन्तर-सरकारी सैन्य संघ है.
- इस संधि पर 4 अप्रैल, 1949 को हस्ताक्षर हुए थे.
- इसका **मुख्यालय** बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है.
- नाटो का सैन्य मुख्यालय बेल्जियम में ही मोंस नामक शहर में है.
- यह सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली है जिसमें सभी सदस्य देश इस बात के लिए तैयार होते हैं यदि किसी एक देश पर बाहरी आक्रमण होता है तो उसका प्रतिरोध वे सभी सामूहिक रूप से करेंगे.
- स्थापना के समय इसका प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के प्रसार को रोकना था.
- यह सैन्य गठबंधन सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है. (अनुच्छेद 5)
- नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है.
- वर्तमान में नाटो अफगानिस्तान में 'गैर-युद्ध मिशन' का संचालन कर रहा है, जिसके माध्यम से अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों, संस्थानों को प्रशिक्षण, सलाह और सहायता प्रदान करता है.
- नाटो की स्थापना के बाद से, गठबंधन में नए सदस्य देश शामिल होते रहें है. शुरुआत में, नाटो गठबंधन में 12 राष्ट्र शामिल थे, बाद में इसके **सदस्यों की संख्या बढ़कर 30** हो चुकी है. नाटो गठबंधन में शामिल होने वाला **सबसे अंतिम देश 'उत्तरी मकदूनिया (North Macedonia)'** था, उसे 27 मार्च 2020 को शामिल किया गया था.

नाटो के उद्देश्य

राजनैतिक :- नाटो प्रजातांत्रिक मान्यताओं को बढ़ावा देता है. यह सुरक्षा और सैन्य मामलों के समाधान के लिए आपसी सहयोग और परामर्श का एक मंच प्रदान करता है.

सैन्य :- नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. यदि किसी विवाद के निपटारे के लिए कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो यह अपनी सैन्य का प्रयोग कर कार्रवाई कर सकता है. नाटो की मूल संधि – वाशिंगटन संधि की धारा 5 के प्रावधान के अनुसार ऐसी स्थिति में नाटो के सभी देश मिलकर सैनिक कार्रवाई करते हैं.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora.

TOPIC : SIPRI YEARBOOK 2021

संदर्भ

हाल ही में, स्वीडिश थिंक टैंक **'स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' (SIPRI) द्वारा अपनी ईयर बुक 2021** निर्गत की गई है.

प्रमुख निष्कर्ष

1. वर्ष 2021 की शुरुआत में भारत के पास अनुमानतः 156 परमाणु हथियार थे, जबकि पिछले साल की शुरुआत में इनकी संख्या 150 थी.
2. वर्ष 2020 में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 160 थी जो अब बढ़कर 165 हो गई है.
3. चीन के परमाणु शस्त्रागार में 2020 के आरम्भ में 320 से ज्यादा परमाणु हथियार शामिल थे जो वर्ष 2021 में बढ़कर 350 हो चुके हैं.
4. **परमाणु हथियार संपन्न नौ देशों** – अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और उत्तर कोरिया – के पास वर्ष 2021 के प्रारम्भ में अनुमानित रूप से कुल 13,080 परमाणु हथियार थे.
5. कुल मिलाकर वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा, रूस और अमेरिका के पास है.

वर्तमान में चिंता का विषय

वैश्विक सैन्य भंडारों में हथियारों की कुल संख्या, वर्तमान में बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, जो कि इस बात का एक चिंताजनक संकेत है, कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से वैश्विक परमाणु शस्त्रागार में कमी होने की प्रवृत्ति अब रुक गई है.

1. सबसे बड़ी चिंता यह है, कि भारत और पाकिस्तान, परमाणु युद्ध की सीमा पर एक दूसरे की सुरक्षा को खतरनाक रूप से कमजोर करने वाली नई प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं की खोज में लगे हैं.
2. भारत-पाकिस्तान "भविष्य में किसी संकटकालीन स्थिति के दौरान गलत अनुमान या गलत व्याख्या की वजह से अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करने में ठोकर खाने का जोखिम उठा सकते हैं".
3. परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में चीन की उभरती हुई छवि, भारत की सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा रही है.

परमाणु हथियारों पर भारत का दृष्टिकोण

भारत ने 18 मई, 1974 को पहला परमाणु विस्फोट किया. हालाँकि भारत पहले से ही कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है. जब भारत ने एक बार फिर 11 से 13 मई, 1998 को पोखरन में दुबारा परमाणु परीक्षण किया तो उस समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने दुनिया से कहा कि भारत का यह परीक्षण शांतिपूर्ण उद्देश्य और आत्म-रक्षा के लिए है. भारत ने कहा कि भारत स्वयं किसी देश पर सबसे पहले परमाणु हमला नहीं करेंगा और भारत की इसी नीति को "**No First Use**" नीति की संज्ञा दी गई.

1. भारत सार्वभौमिक, गैर-भेदभावपूर्ण तथा सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण को उच्च प्राथमिकता देता है.
2. भारत के अनुसार, **निशस्त्रीकरण सम्मेलन' (The Conference on Disarmament- CD)** को विश्व का एकमात्र बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण समझौता मंच है, और भारत इस मंच के माध्यम से एक व्यापक परमाणु हथियार सम्मेलन के तहत वार्ता आयोजित करने का समर्थन करता है.
3. भारत निशस्त्रीकरण सम्मेलन में **'फिसाइल मैटेरियल कट-ऑफ ट्रीटी' (Fissile Material Cut-off Treaty– FMCT)** के संदर्भ में भी वार्ता के लिये प्रतिबद्ध है.

SIPRI

- **SIPRI** का गठन स्टॉकहोम (स्वीडन की राजधानी) में 1966 में हुई थी.
- इसका एक कार्यालय बीजिंग, चीन में भी है और पूरी दुनिया में इसे एक सम्मानित थिंक-टैंक के रूप में जाना जाता है.
- यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध, हथियार, शस्त्र-नियंत्रण और निरस्त्रीकरण से सम्बंधित अनुसंधान को समर्पित है.
- यह संस्थान नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और रूचि रखने वाले लोगों को आँकड़े, विश्लेष्ण और सुझाव देता है.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

पाँच परमाणु अनुसंधान केंद्र

- भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुंबई
- इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम
- उन्नत तकनीकी केंद,र इंदौर
- वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रान केंद्र, कलकत्ता
- परमाणु पदार्थ अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Modern Indian history from about the middle of the eighteenth century until the present- significant events, personalities, issues.

TOPIC : RAM PRASAD BISMIL

संदर्भ

राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म **11 जून 1897** को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गुमनाम से गांव में हुआ था.

वह उन सर्वाधिक उल्लेखनीय भारतीय क्रांतिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद से लड़ाई लड़ी और साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ सदियों के संघर्ष के बाद, राष्ट्र को स्वतंत्रता की हवा में सांस लेना संभव बनाया.

राम प्रसाद बिस्मिल

- उनका जन्म 11 जून, 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के घर हुआ था.
- वे सबसे उल्लेखनीय भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से थे, जिन्होंने अपनी अंतिम साँस तक ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों का विरोध किया.
- उन्होंने एक स्कूल शिक्षक **'गेंदा लाल दीक्षित'** के साथ मिलकर 'मातृवेदी' नामक संगठन का निर्माण किया.
- बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और जादूगोपाल मुखर्जी के साथ **'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन'** (HRA) के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे. विदित हो कि 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' की स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी और इसका संविधान मुख्य रूप से बिस्मिल द्वारा ही तैयार किया गया था.
- वे वर्ष 1918 के **'मैनपुरी षडयंत्र'** में शामिल थे, जिसमें पुलिस ने बिस्मिल सहित कुछ अन्य युवाओं को ऐसी किताबें बेचते हुए पाया था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित की गई थीं.
- वर्ष 1925 में बिस्मिल और उनके साथी चंद्रशेखर आजाद और अशफाकउल्ला खान ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन लूटने का फैसला किया. वे अपने प्रयास में सफल रहे लेकिन हमले के एक महीने के भीतर एक दर्जन से अधिक HRA सदस्यों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और **काकोरी षड्यंत्र** मामले के तहत मुकदमा चलाया गया.
- राम प्रसाद बिस्मिल बड़े कवि और शायर भी थे. उन्होंने उर्दू और हिंदी में अज्ञात, राम और बिस्मिल नाम से कविताएं लिखीं लेकिन वे प्रसिद्ध **"बिस्मिल कलमी"** नाम से हुए.
- उन्होंने हिंदी से बंगाली में अनुवाद का काम भी किया. उनकी द्वारा किए गए काम में बोल्शेविक प्रोग्राम, अ सैली ऑफ द माइंड, स्वदेशी रंग और कैथरीन शामिल है.
- ऋषि अरबिंदो की योगिक साधना का राम प्रसाद ने अनुवाद किया था. उनके सभी काम को **'सुशील मेला'** नाम की सीरीज में प्रकाशित किया गया है.
- वह आर्य समाज से जुड़े थे जहां उनको "सत्यार्थ प्रकाश" नाम की किताब से प्रेरणा मिली. सत्यार्थ प्रकाश को स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था.अपने गुरु और आर्य समाज के प्रचारक स्वामी सोमदेव के माध्यम से उनका लाला हरदयाल से भी संपर्क हुआ. वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन नाम के क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक सदस्य थे.
- उत्तर रेलवे ने एक स्टेशन का नाम उनके सम्मान में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रेलवे स्टेशन रखा. 19 दिसंबर, 1997 को भारत सरकार द्वारा उनकी 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक यादगार डाक टिकट जारी किया गया था.
- 19 दिसंबर, 1927 को गोरखपुर जेल में उन्हें फाँसी दी गई.

क्रांतिकारी आन्दोलन

समस्त क्रांतिकारी दलों का अक्टूबर 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें सचिन्द्र नाथ सान्याल, जगदीश चन्द्र चटर्जी तथा राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी **तथा भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा तथा चन्द्रशेखर आजाद एवं राजगुरु** जैसे नये क्रांतिकारी ने भाग लिया. इस अखिल भारतीय सम्मेलन के परिणामस्वरूप '**भारत गणतंत्र समिति या सेना**' (Hindustan Republican Association or Amry) का जन्म हुआ. इसकी शाखाएं बिहार, यू.पी., दिल्ली, पंजाब, मद्रास आदि कई जगहों पर स्थापित की गईं. इस दल के तीन प्रमुख आदर्श निम्न हैं –

1. भारतीय जनता में गांधीजी की अहिंसावाद की नीतियों की निरर्थकता के प्रति जागृति उत्पन्न करना.
2. पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा लोगों को क्रांति के लिए तैयार करना.
3. अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्रा की स्थापना करना.

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था ने हथियार बनाने और सरकारी खजाने लूटने की भी योजना बनायी. संस्था का प्रथम महत्त्वपूर्ण कार्य **काकोरी की ट्रेन डकैती** थी. इस ट्रेन द्वारा अंग्रेजी खजाना ले जाया जा रहा था. क्रांतिकारियों ने ट्रेन पर आक्रमण कर उसे लूट लिया, परंतु वे जल्द ही पकड़े गये. उनपर '**काकोरी षड्यंत्र**' का मकुदमा चलाकर राम

प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला सहित चार लोगों को 1927 में फाँसी पर चढ़ा दिया गया. 1928 ई. में चन्द्रशेखर आजाद आदि द्वारा '**हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन**' का नाम बदलकर '**हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिसएशन**' कर दिया गया. 1928 में ही भगत सिंह, चन्द्रशेखर और राजगुरु ने लाहौर के सहायक पुलिस **कप्तान सांडर्स** की हत्या कर दी. उल्लेखनीय है कि **साइमन विरोधी** प्रदर्शन के समय सांडर्स के द्वारा ही लाठी चलवायी गयी थी जिसमें लाजपत राय को चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गयी थी.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora.

TOPIC : SUPREME COURT CLOSES CRIMINAL CASE AGAINST ITALIAN MARINES; ITALY WILL NOW TRY THEM

संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट ने केरल तट पर दो मछुआरों की हत्या करने के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ जारी आपराधिक मामले को बंद कर दिया है. इसके साथ ही, **अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार** इतालवी सरकार द्वारा अपने देश में ही इन नौसैनिकों पर मुकदमा चलाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.

शीर्ष अदालत ने वर्ष 2012 में केरल तट के पास हुई समुद्री गोलीबारी में मारे गए मछुआरों के परिजनों को इटली गणराज्य द्वारा जमा की गई 10 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि को स्वीकार कर लिया है.

अनुच्छेद 142 क्या है?

अनुच्छेद 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को पक्षकारों के मध्य **'पूर्ण न्याय'** करने की अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है, अर्थात्, जब कभी स्थापित नियमों एवं कानूनों के अंतर्गत कोई समाधान नहीं निकल पाता है, तो ऐसे में न्यायालय, मामले से संबंधित तथ्यों के मुताबिक़ विवाद पर 'अंतिम निर्णय' सुना सकती है.

अनुच्छेद 142 (1) में कहा गया है कि "उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री अथवा ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, और इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की गई रीति से, और जब तक इस निमित्त कोई उपबंध किए नहीं किया जाता है, तब तक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विहित रीति से प्रवर्तनीय होगा".

अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा सुनाया गया निर्णय

1. 3: 2 के नजदीकी वोट के साथ, अधिकरण ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, इतालवी नौसनिकों को 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि' (UNCLOS) के तहत इतालवी राज्य-अधिकारियों के रूप में राजनयिक प्रतिरक्षा हासिल थी.
2. इस घटना की आपराधिक जांच फिर से शुरू करने के लिए "इटली द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता" को ध्यान में रखते हुए, अधिकरण ने कहा कि, इस मामले में, भारत को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए.

GS Paper 2 Source : Indian Express

The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE

UPSC Syllabus : Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India's interests.

TOPIC : BIMSTEC

संदर्भ

24वें बिम्सटेक दिवस (24th BIMSTEC Day) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिम्सटेक (BIMSTEC) समूह आगे बढ़ रहा है और एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बंगाल की खाड़ी के निर्माण के साझा सहयोग की नई ऊंचाइयां छू रहा है.

प्रमुख बिन्दु

- 24वें बिम्सटेक दिवस (24th BIMSTEC Day) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिम्सटेक (BIMSTEC) समूह आगे बढ़ रहा है और एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बंगाल की खाड़ी के निर्माण के साझा सहयोग की नई ऊंचाइयां छू रहा है.

- उन्होंने वर्तमान में बिम्सटेक की अध्यक्षता कर रहे श्रीलंका की सराहना करते हुए कहा कि इस देश ने ऐसी कठिन परिस्थिति में समूह को कुशल नेतृत्व दिया है.
- बिम्सटेक (BIMSTEC), एक भरोसा जगाने वाले क्षेत्रीय समूह के रूप में उभरा है. इस समूह ने संपर्क के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने सहित कई मोर्चों पर प्रगति की है.
- बिम्सटेक समूह ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में साथ मिलकर जीत हासिल करने पर जोर दिया है.
- इसके अलावा, बिम्सटेक ढांचे में क्षेत्रीय सहयोग हाल के दिनों में बढ़ा है.

BIMSTEC की स्थापना एवं स्वरूप

- BIMSTEC का full form है – Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation.
- यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना ***Bangkok Declaration*** के अंतर्गत जून 6, 1997 में हुई थी.
- इसका **मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका** में है.
- वर्तमान में इसमें **7 देश** हैं (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका) जिनमें 5 दक्षिणी-एशियाई देश हैं और **2 दक्षिण-पूर्व एशिया के देश** (म्यांमार और थाईलैंड) हैं.
- इस प्रकार के BIMSTEC के अन्दर दक्षिण ऐसा के सभी देश आ जाते हैं, सिवाय मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के.

BIMSTEC के उद्देश्य

- BIMSTEC का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (बंगाल की खाड़ी से संलग्न) के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है.
- आज यह संगठन 15 प्रक्षेत्रों में सहयोग का काम कर रहा है, **ये प्रक्षेत्र हैं**– व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद निरोध, पर्यावरण, संस्कृति, लोगों का लोगों से सम्पर्क, जलवायु परिवर्तन.

BIMSTEC क्षेत्र का महत्त्व

- बंगाल की खाड़ी **विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी** है. इसके आस-पास स्थित 7 देशों में विश्व की 22% आबादी निवास करती है और इनका संयुक्त GDP 2.7 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है.
- यद्यपि इन देशों के समक्ष आर्थिक चुनौतियाँ रही हैं तथापि 2012-16 के बीच ये देश अपनी-अपनी आर्थिक वृद्धि की वार्षिक दर को 4% और 5% के बीच बनाए रखा है.
- खाड़ी में विशाल संसाधन भी विद्यमान हैं जिनका अभी तक दोहन नहीं हुआ है.
- विश्व व्यापार का **एक चौथाई सामान** प्रत्येक वर्ष खाड़ी से होकर गुजरता है.

भारतीय हित

- इस क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है, अतः इससे भारत के हित भी जुड़े हुए हैं. BIMSTEC न केवल दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ता है, अपितु इसके अन्दर हिमालय और बंगाल की खाड़ी जैसी पर्यावरण व्यवस्था विद्यमान है.
- **"पड़ोस पहले" और "एक्ट ईस्ट"** जैसी नीतिगत पहलुओं को लागू करने में BIMSTEC एक सर्वथा उपयुक्त मंच है.
- भारत के लगभग 300 मिलियन लोग अर्थात् यहाँ की आबादी का एक चौथाई भाग देश के उन चार तटीय राज्यों में रहते हैं जो बंगाल की खाड़ी के समीपस्थ हैं. ये राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल. इसके अतिरिक्त 45 मिलियन की आबादी वाले पूर्वोत्तर राज्य चारों ओर भूभागों से घिरे हुए हैं और इनकी समुद्र तक पहुँच नहीं है. BIMSTEC के माध्यम से इन राज्यों को बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों से सम्पर्क करना सरल हो जाएगा और विकास की अनेक संभावनाएँ फलीभूत होंगी.
- बंगाल की खाड़ी का सामरिक महत्त्व भी है. इससे होकर **मनक्का जलडमरूमध्य** पहुँचाना सरल होगा. उधर देखने में आता है कि चीन हिन्द महासागर में पहुँचने के लिए बहुत जोर लगा रहा है. इस क्षेत्र में उसकी पनडुब्बियाँ और जहाज बार-बार आते हैं, जो भारत के हित में नहीं हैं. चीन की आक्रमकता को रोकने में BIMSTEC देशों की सक्रियता काम आएगी.

GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Food processing and related industries in India – scope and significance, location, upstream and downstream requirements, supply chain management.

TOPIC : FAO

संदर्भ

हाल ही में, **'खाद्य एवं कृषि संगठन'** (Food and Agriculture Organization- **FAO**) सम्मेलन के 42वें सत्र का आयोजन किया गया था.

यह पहली बार है, जब FAO सम्मलेन वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया है.

सम्मेलन के बारे में

1. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) सम्मेलन प्रति दो वर्ष में आयोजित होता है और यह FAO का सर्वोच्च शासी निकाय (Governing Body) है.
2. सम्मलेन में, संगठन की नीतियों का निर्धारण, बजट के लिए मंजूरी और खाद्य एवं कृषि मुद्दों पर सदस्य देशों के लिए सिफारिशें देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं.

FAO की रणनीतिक रूपरेखा 2022-2031

इस वर्ष के सम्मेलन में FAO के सदस्य देशों द्वारा **'रणनीतिक रूपरेखा' (Strategic Framework) 2022-2031** अपनाई जाएगी.

1. इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते हुए, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन के लिए, कृषि-खाद्य प्रणालियों को अधिक कुशल, समावेशी, लचीला, और संवहनीय प्रकार में परिवर्तन करने के माध्यम से **सतत विकास एजेंडा 2030** में सहयोग करना है.
2. ये चार बेहतर (Four Betters) उद्देश्य, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेषकर SDG 1 (निर्धनता-उन्मूलन), SDG 2 (भुखमरी-उन्मूलन), और SDG 10 (असमानता में कमी) को हासिल करने में सहयोग करने हेतु, FAO द्वारा लागू किये जाने वाले कार्य संयोजन-सिद्धांतो को अभिवयक्त करते हैं.

संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना वर्ष **1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत की गई थी.**
- इसका **मुख्यालय** रोम (Rome), इटली में है. 130 देशों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं.
- यह संगठन सरकारों और विकास एजेंसियों को कृषि, वानिकी (forestry), मत्स्यपालन तथा भूमि एवं जल संसाधन से सम्बंधित गतिविधियों के संचालन में सहायता करता है. यह विभिन्न परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता देने के अलावा शोध कार्य भी करता है.
- यह **शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण (training) कार्यक्रम** भी चलाता है और कृषि उत्पादन और विकास से सम्बंधित आंकड़े भी इकट्ठा करता है.
- FAO वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिये कार्य करता है. इस संस्था का **लक्ष्य भूक मिटाना और पोषण का स्तर ऊँचा करना है.**
- इसका ध्येय वाक्य (motto) है –***Fiat Panis अर्थात् लोगों को रोटी मिले…***
- आपको जानना चाहिए कि FAO **संयुक्त राष्ट्र की सबसे वृहद् एजेंसी** है.
- वर्तमान में इस संगठन के **सदस्यों देशों की संख्या 197** है (according to Wikipedia). इसके अन्दर 194 देश, 1 संगठन और 2 संलग्न सदस्य (associate members) होते हैं.

भारत और एफएओ

1. समाज के कमजोर वर्ग और समूहों को आर्थिक रूप से और पोषाहार के मामले में सशक्त बनाने के लिए एफएओ के अबतक के प्रयास अद्वितीय रहे हैं.
2. भारत का एफएओ के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है. भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी डॉ बिनय रंजन सेन 1956-1967 के दौरान एफएओ के महानिदेशक थे.
3. 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार जितने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना उनके समय में ही की गई थी.
4. वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किए जाने के भारत के प्रस्तावों को भी एफएओ द्वारा समर्थन दिया गया.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

नीचे कुछ इसी तरह की प्रमुख विशिष्ट एजेंसियों के नाम दिए गए हैं और बगल में उनके मुख्यालय का भी उल्लेख है –

- FAO (Food and Agriculture Organization) – रोम, इटली
- ILO (International Labour Organization) – जेनवा, स्विट्ज़रलैंड
- IMF (International Monetary Fund) – वाशिंगटन DC, अमेरिका

- UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – पेरिस, फ्रांस
- WHO (World Health Organization) – जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- WIPO (World Intellectual Property Organization) – जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Parliament and State Legislatures – structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these.

TOPIC : PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE- PAC

संदर्भ

संसद की **लोक लेखा समिति** (Public Accounts Committee- **PAC**) द्वारा अगले वर्ष के लिए अपना एजेंडा निर्धारित कर लिया गया है.

1. आम सहमति नहीं बन पाने के चलते, '**वैक्सीन उत्पादन और वितरण**'विषय को लोक लेखा समिति के, इस वर्ष के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया था.
2. समिति के नियमों के अनुसार, जब तक किसी विषय पर, सभी सदस्यों के बीच आम सहमति नहीं होती है, उस विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता.

भारतीय संसद की प्रमुख स्थायी समितियाँ निम्नलिखित हैं –

लोक लेखा समिति (THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE)

लोक लेखा समिति, सदन की समितियों में सबसे पुरानी समिति है. पहली बार लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 1921 में मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के मद्देनजर किया गया था.

इस समिति का कार्य सरकार के सभी वित्तीय लेन-देन सम्बन्धी विषयों की जांच करना है. समिति में **22 सदस्य** होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं. समिति का **कार्यकाल 1 वर्ष** है और कोई मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है. इस समिति की सिफारिशों ने देश के वित्तीय प्रशासन को सुधारने में बहुत अधिक योगदान किया है.

याचिका समिति (THE COMMITTEE ON PETITIONS)

इस समिति में कम से कम **15 सदस्य** होते हैं. लोकसभा अध्यक्ष समिति के सदस्यों का नाम-निर्देशन करता है और समिति का **कार्यकाल एक वर्ष** है. जनता द्वारा सदन के सम्मुख सामान्य हित से सम्बंधित जो याचिकाएँ प्रस्तुत की जाती हैं यह समिति उन याचिकाओं पर विचार कर सदन के सामने रिपोर्ट देती है.

प्राक्कलन समिति (ESTIMATES COMMITTEE)

प्राक्कलन समिति कार्य भी शासन पर वित्तीय नियंत्रण करना है. इस समिति का कार्य विभिन्न विभागों के वित्तीय अनुमानों की जांच करना है और यह फिजूलखर्ची रोकने (to stop wasteful expenditure) के लिए सुझाव देती है. इसकी नियुक्ति प्रति वर्ष प्रथम सत्र के प्रारम्भ में की जाती है. समिति में **लोकसभा के 30 सदस्य** होते हैं और इसका **कार्यकाल 1 वर्ष** होता है. कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है.

विशेषाधिकार समिति (THE COMMITTEE OF PRIVILEGES)

इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है. इस उद्देश्य से यह समिति विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है. इसमें **15 सदस्य** होते हैं, जिन्हें सदन का अध्यक्ष मनोनीत करता है.

सरकारी आश्वासन समिति (THE COMMITTEE ON GOVT. ASSURANCES)

शासन और मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा समय-समय पर जो आश्वासन दिए जाते हैं, इन आश्वासनों को किस सीमा तक पूरा किया जाता है, इस बात की जाँच यह समिति करती है. इस समिति का कार्य सदन की प्रक्रिया तथा उसके कार्य-संचालन के नियमों पर विचार करना तथा आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन की सिफारिश करना है.

सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों सम्बन्धी समिति (THE COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTING OF THE HOUSE)

यदि कोई सदस्य सदन की बैठक से **60 या उससे अधिक दिनों तक** सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, तो उसका मामला समिति के पास विचार के लिए भेजा जाता है. समिति को अधिकार है की सम्बंधित सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दे अथवा अनुपस्थिति माफ़ कर दे. इस

समिति में **15 सदस्य** होते हैं, जिन्हें अध्यक्ष एक वर्ष के लिए मनोनीत करता है.

और अधिक जानकारी के लिए पढ़ें > **स्थायी समिति**

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Issues related to health.

TOPIC : WHO GLOBAL TUBERCULOSIS PROGRAMME

संदर्भ

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक क्षय रोग कार्यक्रम (WHO Global Tuberculosis Programme) द्वारा क्षय रोग रोकथाम में तेजी लाने हेतु वैश्विक अभियान' (Global Drive to Scale up TB Prevention) पर आभासी प्रारूप में एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

इस विशेष उच्चस्तरीय आयोजन का उद्देश्य, **टीबी निवारक उपचार पर संयुक्त राष्ट्र उच्चस्तरीय बैठक के लक्ष्य 2022** को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए देश और वैश्विक स्तर पर टीबी रोकथाम की रणनीतियों को तेज करने हेतु आवश्यक कार्रवाईयों पर चर्चा करना था.

तपेदिक क्या है?

- यक्ष्मा, तपेदिक, क्षयरोग, एमटीबी या टीबी (tubercle bacillus का लघु रूप) एक आम और कई मामलों में घातक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया, साधारणतः माइकोबैक्टीरियम तपेदिक के विभिन्न प्रकारों के कारणों से होती है.
- क्षय रोग आम तौर पर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता हैं.
- यह हवा के माध्यम से तब फैलता है, जब वे लोग जो सक्रिय टीबी संक्रमण से ग्रसित हैं, खांसी, छींक, या किसी अन्य प्रकार से हवा के माध्यम से अपना लार संचारित कर देते हैं.

चिंता का विषय

- पिछले दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद टीबी विश्वभर में मृत्यु के शीर्ष दस कारणों में से एक है. वैश्विक स्तर पर टीबी के कारण अनुमानित 3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई तथा वर्ष 2017 में 9.0–11.1 मिलियन लोगों में टीबी रोग विकसित हुआ. वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, वर्ष 2018 के अनुसार भारत में वर्ष 2017 के दौरान विश्व टीबी के मामलों की भागीदारी 27% है.
- तपेदिक (टीबी) बैक्टीरिया (मायकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) के कारण होने वाला एक संचारी (संक्रामक) रोग है, जो कि फेफड़ो को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य हिस्सों (एक्सट्रा पल्मोमनरी टीबी/इतर फुफ्फुसीय तपेदिक) को भी प्रभावित करता है. तपेदिक उपचार और निवारण योग्य है.

संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (REVISED NATIONAL TUBERCULOSIS CONTROL PROGRAMME – RNTCP)

- RNTCP देश में टीबी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का एक कार्यक्रम है. इसमें वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन की ओर बढ़ने के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना वर्ष 2017-2025 (नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017-2025) के अंतर्गत**"पता लगाना (डिटेक्ट)- उपचार (ट्रीट)- रोकथाम (प्रिवेंट)– निर्माण (बिल्ड)" (डीटीपीबी)**के चार रणनीतिक स्तंभों का एकीकरण किया गया है.
- वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए आह्वान किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) से पांच वर्ष पहले प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है.

RNTCP के पहल

- **निजी क्षेत्रों की भागीदारी** –निजी स्वास्थ्य प्रदाता (प्राइवेट हेल्थ प्रोवाइडर इंगेजमेंट) को रोग का पता लगाने एवं टीबी के रोगियों का उपचार करने में शामिल किया गया है.
- **सक्रिय टीबी के मामलों की खोज (एसीएफ)** –वर्ष 2017 में उच्च जोखिम वाली जनसंख्या में एसीएफ के तीन चरणों के माध्यम से टीबी रोगियों का पता लगाया गया था.
- **दैनिक उपचार पद्यति** –दवा के बोझ को कम करने के लिए निश्चित दवा संयोजक की शुरुआत की गयी.
- **सार्वभौमिक दवा संवेदनशीलता परीक्षण** –पर्याप्त उपचार के लिए सभी टीबी रोगियों में दवा प्रतिरोधिकता की जांच.

- **नयी दवा की शुरूआत** –बेडाकूलाइन एवं डेलामिनिड जैसी नई विकसित दवाओं की शुरुआत को सात राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में की गयी.
- **पोषण सहयोग** –सभी टीबी रोगियों को टीबी उपचार की अवधि के दौरान पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रति माह 500 रुपये प्रदान किए जाते है.
- **डिज़िटल पहल** –निक्षय, 99 डॉट्स, निक्षय औषधि.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

विश्व टीबी दिवस :-

'विश्व टीबी दिवस या विश्व तपेदिक दिवस या विश्व क्षयरोग दिवस या विश्व यक्ष्मा दिवस' वैश्विक तपेदिक महामारी समाप्त करने तथा तपेदिक (टीबी) के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता प्रसारित करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है. **डॉ॰ रॉबर्ट कॉख** ने इस दिन वर्ष 1882 में टीबी के जीवाणु की खोज की थी, जिसके कारण टीबी होता है.

Molecular mechanism behind latent TB :–

- कलकत्ता के वैज्ञानिकों ने उस आणविक तन्त्र का पता लगाया है जिसके कारण गुप्त तपेदिक होती है.
- उन्होंने बताया है कि मानव शरीर के भीतर तपेदिक बैक्टीरिया का एक भंडार होता है जहाँ से उनका स्राव होता है.
- खोज में पता चला है कि जो**मैक्रोफेज** नामक सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया, वायरस, फंफूद, परजीवियों आदि से शरीर की रक्षा करते हैं, वही तपेदिक की बैक्टीरिया को मारने के बजाय उनके चारों ओर एक थैली बना देते हैं जिसको **ग्रेन्यूलोमा** कहते हैं.
- इस प्रकार तपेदिक का बैक्टीरिया एक जगह बंध जाता है और कुछ नहीं कर पाता है. परन्तु कई दशकों के बाद ऐसा हो सकता है कि यह थैली टूट जाए और तपेदिक के बैक्टीरिया बाहर आकर शरीर को बीमार कर दे.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

TOPIC : ASEAN DEFENCE MINISTERS' MEETING PLUS

संदर्भ

हाल ही में, **आठवीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक** आयोजित की गई थी. इस वर्ष ADMM-Plus फोरम की अध्यक्षता **ब्रुनेई** कर रहा है. ब्रुनेई, इस वर्ष **आसियान समूह का अध्यक्ष भी** है.

ADMM-PLUS क्या है?

- ADMM-Plus का पूरा नाम है – ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus
- ADMM-Plus की स्थापना के लिए सिंगापुर में 2007 में सम्पन्न ADMM की दूसरी बैठक में अवधारणा पत्र अंगीकृत किया गया था.
- ADMM-Plus वह रक्षा मामलों से सम्बंधित मंच है जो क्षेत्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित हैं. इसके माध्यम से आसियान देशों और उनके आठ संवाद भागीदारों के बीच सामरिक संवाद एवं व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है.
- इसका पहला सम्मेलन 2010 में वियतनाम की राजधानी हनोई में हुआ था. उस सम्मलेन में रक्षा मंत्रियों ने आपस में व्यवहारिक सहयोग के लिए पाँच विषयों पर सहमति दी थी. ये विषय हैं – सामुद्रिक सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, शान्ति बनाए रखने की कारवाईयाँ, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत तथा सैन्य औषधियाँ.
- 2013 में इस सूची में एक नया क्षेत्र भी जोड़ा गया जो है – मानवीयता पर आधारित खदान सुरक्षा.

उद्देश्य

- यह देखते हुए भी कि अलग-अलग आसियान देशों की अपनी-अपनी क्षमता है, ADMM –Plus आसियान देशों को लाभ पहुँचाने और साझा सुरक्षा चुनौतियों से निबटने के लिए क्षमता वर्धन का काम करता है.
- आसियान देशों के रक्षा स्थापनाओं के बीच पारस्परिक विश्वास और भरोसा बढ़ाने के लिए संवाद और पारदर्शिता पर बल देना.
- क्षेत्र के समक्ष उपस्थित अंतर्देशीय सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा और सुरक्षा में सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शान्ति और स्थिरता को बढ़ावा देना.
- बाली समझौता 2 में वर्णित क्षेत्र में शान्ति, स्थिरता व लोकतंत्र और समृद्धि विषयक आसियान की आकांक्षा को देखते हुए आसियान सुरक्षा समुदाय को साकार करने में योगदान करना.

- शांतिपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध आसियान बनाने तथा संवाद भागीदारों एवं अन्य मित्रों के साथ बाह्य सम्बन्धों की अग्रगामी रणनीतियाँ अंगीकृत करने के लिए Vientiane Action Programme का कार्यान्वयन करने में सहायता करना.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Infrastructure.

TOPIC : CHENNAI–KANYAKUMARI INDUSTRIAL CORRIDOR- CKIC

संदर्भ

हाल ही में, एशियाई विकास बैंक (ADB) और भारत सरकार के मध्य तमिलनाडु के **'चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे'** (Chennai–Kanyakumari Industrial Corridor- CKIC) में परिवहन कनेक्टिविटी सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने हेतु लिए 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए हैं.

CKIC, भारत के 'पूर्वी तट आर्थिक गलियारे' (East Coast Economic Corridor- ECEC) का हिस्सा है, जोकि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक विस्तारित है.

'औद्योगिक गलियारा' क्या होता है?

1. औद्योगिक गलियारा (Industrial Corridor), मूल रूप से, मुख्य मार्ग के रूप में राज्यों से होकर गुजरने वाला मल्टी मॉडल परिवहन सेवाओं से युक्त गलियारा होता है.
2. सरल शब्दों में कहा जाए तो औद्योगिक गलियारा मूल रूप से मल्टी-मॉडल परिवहन सेवाओं से युक्त गलियारा होता है, जो कि विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए दो विशिष्ट स्थानों को जोड़ता है.
3. औद्योगिक गलियारे, उद्योग और अवसंरचनाओं के मध्य प्रभावी समेकन उपलब्ध कराते हैं, जिससे समग्र रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास में वृद्धि होती है.
4. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं और औद्योगिक गलियारे इस परस्पर-निर्भरता के लिये उद्योग एवं बुनियादी ढाँचे के बीच प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करते हैं, ताकि समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके.

औद्योगिक गलियारों में विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं का निर्माण किया जाता है, यथा:

1. द्रुतगति परिवहन नेटवर्क – रेल और सड़क.
2. अत्याधुनिक कार्गो हैंडलिंग उपकरणों सहित बंदरगाह.
3. आधुनिक हवाई अड्डे.
4. विशेष आर्थिक क्षेत्र / औद्योगिक क्षेत्र.
5. लॉजिस्टिक पार्क / ट्रांसशिपमेंट हब.
6. औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉलेज पार्क.
7. टाउनशिप / रियल एस्टेट जैसी पूरक अवसंरचनाएं.

GS Paper 2 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Separation of powers between various organs dispute redressal mechanisms and institutions.

TOPIC : RECUSAL OF JUDGES

संदर्भ

हाल ही में, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई कथित हिंसा में मारे गए दो भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई से स्वयं को पृथक् कर लिया है.

पृष्ठभूमि

याचिका में आरोप लगाया गया है, कि राज्य में चुनाव परिणाम आने के बाद "प्रतिशोधी" सत्तारूढ़ दल द्वारा पश्चिम बंगाल में निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई थी.

सुनवाई से स्वयं को अलग करने से सम्बंधित प्रावधान

- भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायाधीशों के लिये न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई से स्वयं को अलग करने को लेकर किसी प्रकार का कोई लिखित

नियम नहीं है. यह पूर्ण रूप से न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है.

- साथ ही न्यायाधीशों को इस संबंध में कारणों का खुलासा करने की ज़रूरत भी नहीं होती है.
- अधिकत: न्यायाधीशों के हितों का टकराव मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करने का सबसे मुख्य कारण होता है. उदाहरणार्थ यदि कोई मामला उस कंपनी से संबंधित है जिसमें न्यायाधीश का भाग भी है तो उस न्यायाधीश की निष्पक्षता पर आशंका ज़ाहिर की जा सकती है.
- इस प्रकार यदि न्यायाधीश ने पूर्व में मामले से संबंधित किसी एक पक्ष का वकील के तौर पर प्रतिनिधित्व किया हो तो भी न्यायाधीश की निष्पक्षता पर शंका उत्पन्न हो सकती है.
- यदि मामले के किसी एक पक्ष के साथ न्यायाधीश का व्यक्तिगत हित जुड़ा हो तब भी न्यायाधीश अपने विवेकाधिकार का उपयोग मामले की सुनवाई से अलग होने का निर्णय कर सकते हैं.
- हालाँकि उक्त सभी स्थितियों में मामले से अलग होने अथवा न होने का निर्णय न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है.

इस संबंध में अन्य मामले

- इस संबंध में सबसे पहला मामला वर्ष 1852 में सामने आया था, जहाँ लॉर्ड कॉटनहैम ने स्वयं को डिम्स बनाम ग्रैंड जंक्शन कैनाल (Dimes vs Grand Junction Canal) वाद की सुनवाई से अलग कर लिया था, क्योंकि लॉर्ड कॉटनहैम के पास मामले में शामिल कंपनी के कुछ शेयर थे.
- वर्ष 2018 में जज लोया मामले में याचिकाकर्त्ताओं ने मामले की सुनवाई कर रहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जस्टिस ए.एम. खानविल्कर और डी. वाई. चंद्रचूड़ को सुनवाई से अलग करने का आग्रह किया था, क्योंकि वे दोनों ही बंबई उच्च न्यायालय से थे. हालाँकि न्यायालय ने ऐसा करने इनकार करते हुए स्पष्ट किया था कि यदि ऐसा किया जाता है तो इसका अर्थ होगा कि न्यायालय अपने कर्तव्यों का त्याग कर रहा है.
- 2019 में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति को चुनौती देना वाली याचिका की सुनवाई करते हुए मामले से संबंधित तीन न्यायाधीशों ने स्वयं को मामले से अलग कर लिया था.
- सर्वप्रथम तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यह कहते हुए स्वयं को मामले से अलग कर लिया कि वे नए CBI निदेशक को चुनने हेतु गठित समिति का हिस्सा थे.
- रंजन गोगोई के स्थान पर मामले की सुनवाई करने के लिये जस्टिस ए.के. सीकरी को नियुक्त किया गया. किंतु जस्टिस ए.के. सीकरी ने भी यह कहते हुए स्वयं को मामले से अलग कर लिया कि वे उस पैनल का हिस्सा थे जिसने पिछले CBI निदेशक आलोक वर्मा को उनके पद से हटाने का निर्णय लिया था.
- इसके पश्चात् मामले से संबंधित एक अन्य न्यायाधीश जस्टिस एन. वी. रमाना ने भी व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए स्वयं को मामले से अलग कर लिया.

मेरी राय – मेंस के लिए

वरिष्ठ वकीलों और विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायाधीशों को किसी भी मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करने के कारणों का लिखित स्पष्टीकरण देना चाहिये, चाहे वे व्यक्तिगत कारण हों या सार्वजानिक कारण. वर्ष 1999 में दक्षिण अफ्रीका की संवैधानिक न्यायलय ने कहा था कि "न्यायिक कार्य की प्रकृति में कई बार कठिन और अप्रिय कार्यों का प्रदर्शन भी शामिल होता है और इन्हें पूरा करने के लिये न्यायिक अधिकारी को दबाव के सभी तरीकों का विरोध करना चाहिये." बिना किसी डर और पक्षपात के न्याय प्रदान करना सभी न्यायिक अधिकारियों का कर्तव्य है. यदि वे विचलित होते हैं तो इससे न्यायपालिका और संविधान की स्वतंत्रता प्रभावित होती है.

GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : RPA related issues.

TOPIC : HOW ARE POLL RESULTS CHALLENGED, AND WHEN COURTS HAVE SET THEM ASIDE?

संदर्भ

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक **चुनाव याचिका** दायर की है. ज्ञातव्य है, कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और वे इसमें पराजित हो गयी थीं.

संबंधित प्रकरण

ममता बनर्जी ने याचिका मांग की है, कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा संचालित मतगणना प्रक्रिया में भ्रष्ट आचरण और विसंगतियों के आधार पर, सुवेंधु अधिकारी के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए.

चुनाव याचिका

- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80** में चुनाव याचिका के विषय में उल्लेख है.
- चुनाव परिणामों की घोषणा के पश्चात् चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है, इसके पश्चात् यदि कोई उम्मीदवार मानता है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भ्रष्टाचार अथवा कदाचार हुआ था तो चुनाव अथवा निर्वाचन याचिका उस मतदाता या उम्मीदवार के लिये उपलब्ध एकमात्र कानूनी उपाय है.
- ऐसा उम्मीदवार संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका के माध्यम से परिणामों को चुनौती दे सकता है.
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाता है. चुनाव परिणाम की घोषणा के **45 दिनों के अन्दर** चुनाव याचिका किसी भी उम्मीदवार या किसी भी निर्वाचक द्वारा एक या एक से अधिक आधार पर प्रस्तुत की जा सकती है.
- यद्यपि वर्ष 1951 के जनप्रतिनिधि अधिनियम (RPA) के मुताबिक, उच्च न्यायालय को छह माह के भीतर मुकदमे को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिये, हालाँकि इस प्रकार के मुकदमे प्रायः वर्षों तक चलते रहते हैं.

याचिका की सामग्री

याचिका में क्या-क्या सामग्री होनी चाहिए यह अधिनियम की धारा 83 में वर्णित है.

1. मुख्य तथ्यों का संक्षिप्त विवरण
2. याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए **भ्रष्ट आचरण** के आरोप का पूर्ण विवरण
3. याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर

चुनाव को शून्य घोषित करने का आधार (अधिनियम की धारा 100)

1. एक चुनावी उम्मीदवार योग्य नहीं था.

2. किसी भी भ्रष्ट आचरण को उपयोग में लिया गया है

3. किसी भी नामांकन को अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है.

4. चुनाव का परिणाम मुख्य रूप से प्रभावित हुआ है –

   a. किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति द्वारा
   b. किसी भी भ्रष्ट आचरण के उपयोग द्वारा
   c. अनुचित रूप से पड़े वोट, किसी भी वोट की अनुचित अस्वीकृति, या अग्रहण द्वारा

5. संविधान या इस अधिनियम या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश के प्रावधानों का पालन न करने पर

"भ्रष्ट आचरण" क्या हैं?

"भ्रष्ट आचरण" को अधिनियम की धारा 123 के तहत परिभाषित किया गया है. भ्रष्ट आचरण के बारे में चर्चा करने से पहले, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि लोकप्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी रिटर्निंग उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने के लिए, उम्मीदवार द्वारा स्वयं 'भ्रष्ट आचरण' को उपयोग में लिए जाने की आवश्यकता नहीं है.

GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Related to health.

TOPIC : FOODBORNE DISEASE

संदर्भ

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (7 जून) पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की इकाई ने **खाद्य जनित रोगों** (foodborne diseases: **FBDs**) के जोखिम की रोकथाम, पता लगाने और प्रबंधित करने के लिए संपूर्ण समाज द्वारा गहन प्रयास करने का आह्वान किया है. ज्ञातव्य है कि विश्व स्तर पर 600 मिलियन लोगों को प्रमावित करते हैं.

- दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र FBDs रुग्णता के वैश्विक बोझ का 1/4 और FBD मृत्यु दर का लगभग 42% वहन करता है.
- FBDs पर भारत को वार्षिक लगभग 15 बिलियन अमरीकी डॉलर की लागत आ रही है.

खाद्य जनित रोग

- खाद्य जनित रोग भोजन के संदूषित होने के कारण होते हैं तथा खाद्य उत्पादन, वितरण और उपभोग शृंखला के किसी भी चरण में हो सकते हैं.
- खाद्य जनित रोगों के उत्तरदायी कारकों में पर्यावरण प्रदूषण, असुरक्षित खाद्य भंडारण और प्रसंस्करण, जटिल खाद्य शृंखला आदि शामिल हैं.
- FBD में डायरिया से लेकर कैंसर तक विभिन्न प्रकार की बीमारियां सम्मिलित हैं.

खाद्य सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा उठाए गए कदम

- नकारात्मक पोषण प्रवृत्तियों को कम करने के लिए **ईट राइट मूवमेंट** संचालित किया गया है.
- पूजा स्थलों पर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए **ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड: भोग (BHOG)** पहल शुरू की गई है.
- **स्वच्छता रेटिंग योजना** उपभोक्ताओं को उन बाह्य स्थानों के बारे में सूचित विकल्प के चयन में सक्षम बनाती है, जहां पर वे भोजनादि ग्रहण करते हैं.
- **खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली** (Food Safety Compliance System: FoSCoS), FSSAI के सभी विनियामक और अनुपालन कार्यों के लिए वन-स्टॉप पॉइंट है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Related to health

TOPIC : EBOLA OUTBREAK

संदर्भ

पश्चिम अफ्रीका में स्थित देश **'गिनी गणराज्य'** में इसी वर्ष फरवरी में फैले **इबोला प्रकोप (Ebola outbreak)** को, हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समाप्त घोषित कर दिया है. इस बार फैले इबोला प्रकोप से 'गिनी' में 16 लोग संक्रमित हुए और 12 लोगों की मौत हुई थी.

पृष्ठभूमि

1. वर्ष 2014-2016 में इबोला प्रकोप से 11,300 लोगों की मौत हुई थी. इनमे से अधिकांश मृत्यु गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया में हुईं.
2. मई 2021 में, 'कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य' (DRC) ने आधिकारिक तौर पर अपने देश में 12वें इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी थी.

EBOLA के बारे में

1. Ebola वायरस एक जानलेवा वायरस है.
2. इसका वायरस जंगली जानवरों से इंसान में संक्रमित होता है.
3. जनता को इस रोग के प्रति जागरूक बनाने, आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध कराने और समाज के अन्दर विशेष सावधानी रखने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है.
4. यदि रोग को शुरू ही में पकड़ लिया जाए और रोगी खूब पानी पिला जाए तो इस रोग को तेजी से बढ़ने से रोका जा सकता है.
5. अभी तक इस रोग से लड़ने के लिए कोई कारगर दवा नहीं निकली है.

चिंता का विषय

- गत 2 वर्षों में कांगो में इबोला वायरस से 2275 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
- WHO के अनुसार, कांगो और कई अफ्रीकी देश टेस्ट किट और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं. ऐसे में यहां संक्रमण के मामलों में अचानक तेज़ी दर्ज की जा सकती है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Indian Constitution- historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure.

TOPIC : J&K DELIMITATION COMMISSION

संदर्भ

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए, केंद्र शासित प्रदेश में सीटों का **परिसीमन** करना आवश्यक होगा.

पृष्ठभूमि

जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन केंद्र द्वारा पिछले साल 6 मार्च को **जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019** के प्रावधानों के अनुसार केंद्रशासित प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए किया गया था. विदित हो कि, 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम', 2019 द्वारा राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था.

परिसीमन क्या है?

परिसीमन का शाब्दिक अर्थ विधान सभा से युक्त किसी राज्य के अन्दर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निधारण होता है.

परिसीमन का कार्य कौन करता है?

- परिसीमन का काम एक अति सशक्त आयोग करता है जिसका औपचारिक नाम **परिसीमन आयोग** है.
- यह आयोग इतना सशक्त होता है कि इसके आदेशों को कानून माना जाता है और उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है.
- आयोग के आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि से लागू हो जाते हैं. इन आदेशों की प्रतियाँ **लोक सभा में अथवा सम्बंधित विधान सभा** में उपस्थापित होती हैं. इनमें किसी संशोधन की अनुमति नहीं होती.

परिसीमन आयोग और उसके कार्य

- **संविधान के अनुच्छेद 82** के अनुसार संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात् एक सीमाकंन अधिनियम पारित करता है और उसके आधार पर केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) का गठन करती है.
- इस आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त सदस्य होते हैं.
- इस आयोग का काम चुनाव क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं का इस प्रकार निर्धारण करना है कि यथासम्भव सभी चुनाव क्षेत्रों की जनसंख्या एक जैसी हो.
- आयोग का यह भी काम है कि वह उन सीटों की पहचान करे जो अजा/अजजा के लिए आरक्षित होंगे. विदित हो कि अजा/अजजा के लिए आरक्षण तब होता है जब सम्बंधित चुनाव-क्षेत्र में उनकी संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है.
- सीटों की संख्या और आकार के बारे में निर्णय नवीनतम जनगणना के आधार पर किया जाता है.
- यदि आयोग के सदस्यों में किसी बात को लेकर मतभेद हो तो बहुत के मत को स्वीकार किया जाता है.
- संविधान के अनुसार, परिसीमन आयोग का कोई भी **आदेश अंतिम होता** है और इसको किसी **न्यायालय में चुनौती नहीं** दी जा सकती है.
- प्रारम्भ में आयोग भारतीय राज्य पत्र में अपने प्रस्तावों का प्रारूप प्रकाशित करता है और पुनः उसके विषय में जनता के बीच जाकर सुनवाई करते हुए आपत्ति, सुझाव आदि लेता है. तत्पश्चात् अंतिम आदेश भारतीय राजपत्र और राज्यों के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है.

परिसीमन आवश्यक क्यों?

जनसंख्या में परिवर्तन को देखते हुए समय-समय पर लोक सभा और विधान सभा की सीटों के लिए चुनाव क्षेत्र का परिसीमन नए सिरे से करने का प्रावधान है. इस प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सदनों की सदस्य संख्या में भी बदलाव होता है.

परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के अलग-अलग भागों को समान प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना होता है. इसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि चुनाव क्षेत्रों के लिए भौगोलिक क्षेत्रों को इस प्रकार न्यायपूर्ण ढंग से बाँटा जाए जिससे किसी एक राजनीतिक दल को अन्य दलों पर बढ़त न प्राप्त हो.

चुनाव क्षेत्र परिसीमन का काम कब-कब हुआ है?

- चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का काम सबसे पहले 1950-51 में हुआ था. संविधान में उस समय यह निर्दिष्ट नहीं हुआ था कि यह काम कौन करेगा. इसलिए उस समय यह काम राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग **के सहयोग से किया था.**
- संविधान के निर्देशानुसार चुनाव क्षेत्रों का मानचित्र प्रत्येक जनगणना के उपरान्त फिर से बनाना आवश्यक है. अतः 1951 की जनगणना के पश्चात् **1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम पारित हुआ**. तब से लेकर 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन का काम हुआ. उल्लेखनीय है कि 1976 में आपातकाल के समय इंदिरा गाँधी ने संविधान में संशोधन करते हुए परिसीमन का कार्य 2001 तक रोक दिया था. इसके पीछे यह तर्क दिया था गया कि दक्षिण के राज्यों को शिकायत थी कि वे परिवार नियोजन के मोर्चे पर अच्छा काम कर रहे हैं और जनसंख्या को नियंत्रण करने में सहयोग कर रहे हैं जिसका फल उन्हें यह मिल रहा है कि उनके चुनाव क्षेत्रों की संख्या उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में कम होती है. अतः 1981 और 1991 की जनगणनाओं के बाद परिसीमन का काम नहीं हुआ.

- 2001 की जनगणना के पश्चात् परिसीमन पर लगी हुई इस रोक को हट जाना चाहिए था. परन्तु फिर से एक **संशोधन लाया गया** और इस रोक को इस आधार पर **2026 तक बढ़ा दिया** कि तब तक पूरे भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर एक जैसी हो जायेगी. इसी कारण 2001 की जनगणना के आधार पर किये गये परिसीमन कार्य (**जुलाई 2002 – मई 31, 2018**) में कोई ख़ास काम नहीं हुआ था. केवल लोकसभा और विधान सभाओं की वर्तमान चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को थोड़ा-बहुत इधर-उधर किया गया था और आरक्षित सीटों की संख्या में बदलाव लाया गया था.

GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : SECTION 309 IN THE INDIAN PENAL CODE

संदर्भ

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा लम्बे समय से **भारतीय दंड संहिता की धारा 309** को समाप्त करने की मांग की जा रही है.

भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के बारे में

- इस धारा के तहत यदि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, और बच जाता है तो उसे IPC की धारा 309 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है.
- 19 वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा लाया गया यह कानून उस समय की सोच को दर्शाता है, जब हत्या या खुद को मारने का प्रयास राज्य के खिलाफ, साथ ही धर्म के खिलाफ अपराध माना जाता था.
- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा लाया गया यह कानून भारत में अभी तक बना हुआ है जबकि ब्रिटिश संसद ने वर्ष 1961 में अपने देश में आत्महत्या के अपराधीकरण को रद्द कर दिया था.
- इसे समाप्त करने की मांग करने वाले न्यायालय के वर्ष 1994 के **चेन्ना जगदेश्वर बनाम आंध्रप्रदेश राज्य** में दिए गये निर्णय का हवाला देते हैं, जिसमें न्यायालय ने **आईपीसी की धारा 309 को अनुच्छेद 14 एवं 21 का उल्लंघन** माना था जो 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार' की गारंटी देता है.

मेन्टल हेल्थकेयर एक्ट (MHCA), 2017 के प्रावधान

- यद्यपि अभी तक यह धारा IPC में बनी हुई है लेकिन फिर भी मेंटल हल्थकेयर एक्ट (MHCA), 2017, जो जुलाई 2018 में लागू हुआ, ने धारा 309 के उपयोग की गुंजाइश को काफी कम कर दिया है और केवल एक अपवाद की स्थिति के रूप मे ही आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बनाया है.
- परन्तु यह प्रावधान **केवल मानसिक राग की स्थिति में ही लागू** होता है.
- कानून की धारा 115 (2) में कहा गया है कि "सरकार का कर्तव्य होगा कि वह किसी गंभीर तनावग्रस्त व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने क प्रयास की पुनरावृत्ति के जोखिम को कम करने के लिए, उक्त व्यक्ति को उपयुक्त देखभाल, उपचार और पुनर्वास प्रदान करे."

आत्महत्या के मामले

- सामूहिक या पारिवारिक आत्महत्या के अधिकतम मामले तमिलनाडु (16), आंध्र प्रदेश (14), केरल (11) और पंजाब (9) और राजस्थान (7) द्वारा दर्ज किए गए हैं.
- बेरोजगारों के कारण आत्महत्या करने के मामले केरल में 14%, इसके बाद महाराष्ट्र में 10.8%, तमिलनाडु में 9.8%, कर्नाटक में 9.2% और ओडिशा में 6.1% है.
- व्यावसायिक गतिविधियों वाले लोगों की आत्महत्या के अधिकांश मामले महाराष्ट्र (14.2%), तमिलनाडु (11.7%), कर्नाटक (9.7%), पश्चिम बंगाल (8.2%) और मध्य प्रदेश (7.8%) में थे.
- कृषक क्षेत्र में लगे पीड़ितों की संख्या महाराष्ट्र में (38.2% 10,281), कर्नाटक (19.4%), आंध्र प्रदेश (10.0%), मध्य प्रदेश (5.3%) और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना (4.9% प्रत्येक) में दर्ज की गई.
- शहरों में आत्महत्या की दर (13.9%) अखिल भारतीय औसत की तुलना में अधिक थी. 'परिवार की समस्याएं (शादी से संबंधित समस्याओं के अलावा)' (32.4%); 'विवाह संबंधी समस्याएं' (5.5%); और 'बीमारी' (17.1%) कुल आत्महत्याओं के 55% के लिए जिम्मेदार है.

दक्षिणी राज्यों में प्रचलित मनोविकार

- भारत के दक्षिणी राज्य अधिक आधुनिकीकृत और नगरीकृत राज्य हैं. अतः वहाँ अवसाद अधिक देखने को मिलता है.
- अवसाद का आत्महत्या से सीधा सम्बन्ध होता है. अतः **दक्षिणी राज्यों में आत्महत्या की घटनाएँ उत्तरी भारत की तुलना में अधिक** होती हैं.

GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : THE DRAFT CINEMATOGRAPH (AMENDMENT) BILL 2021

संदर्भ

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **'सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 2021'** का मसौदा (The draft Cinematograph (Amendment) Bill 2021) निर्गत किया गया है. इसके जरिये **'सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952' में संशोधन** किया जाएगा.

सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2021

- इस विधेयक में सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में कुछ ऐसे संशोधन प्रावधान डाले गये हैं जिनमें अनधिकृत रूप से फिल्मों की प्रतिलिपि तैयार करने पर अथवा कैमरे से रिकॉर्ड करने पर दंड की व्यवस्था की गई है.
- इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र सरकार के लिए 'पुनरीक्षण करने की शक्ति' (Revisionary Powers) प्रदान की गई है और केंद्र सरकार को 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' (Central Board of Film Certification- **CBFC**) द्वारा अनुमोदित फिल्मों की 'पुन: जांच' करने में सक्षम बनाया गया है.
- संशोधन विधेयक का मुख्य लक्ष्य फिल्मों की चोर बाजारी को रोकना है. ऐसा देखा जाता है कि किसी फिल्म के सिनेमाघर में पहुँचने के पहले उसका चोर-बाजारी वाला संस्करण इन्टरनेट पर डाल दिया जाता है जिस कारण फिल्म उद्योग को बड़ा घाटा तो होता ही है, सरकार को भी अर्थ की हानि होती है.
- विधयेक में फिल्मों की चोर-बाजारी के लिए**3 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख रु. के जुर्माने** तक के अर्थदंड का प्रावधान है.
- प्रस्तावित संशोधन कहता है कि वह हर व्यक्ति दंड का अधिकारी होगा जो स्वत्त्वाधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना किसी फिल्म की प्रतिलिपि तैयार करता है अथवा उसको प्रसारित करता है अथवा ऐसी प्रतिलिपि के प्रचार-प्रसार के लिए सहायता देता है.
- **आयु-आधारित प्रमाणीकरण (Age-based certification)**: विधेयक में आयु-आधारित वर्गीकरण और श्रेणीकरण का प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव किया गया है. इसके तहत, फिल्मो के लिए मौजूदा श्रेणियों (U, U/A और A) को दोबारा आयु-आधारित समूहों (U /A 7+, U/A 13+ और U/A 16+) में विभाजित करने का प्रस्ताव है.

संशोधनों का माहात्म्य

फिल्म उद्योग बहुत लम्बे समय से सरकार से माँग करता रहा है कि फिल्मों को कैमरे से रिकॉर्ड करने और उसे प्रसारित करने को रोकने के लिए कानून में बदलाव लाए. प्रस्तावित संशोधन इसी संदर्भ में पेश किया गया है. इससे फिल्म उद्योग की आय में वृद्धि होगी, रोजगार बढ़ेंगे और राष्ट्र की बौद्धिक सम्पत्ति नीति के लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी.

संबंधित चिंताएं

1. **पुनर्प्रमाणन के लिए आदेश देने की केंद्र की शक्ति**, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा संचालित मौजूदा प्रक्रिया के तहत उल्लिखित प्रत्यक्ष सरकारी सेंसरशिप (Government Censorship) में एक अतिरिक्त परत जोड़ सकती है.
2. फिल्म प्रमाणन के सबंध में उच्चतम न्यायालय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, कि सरकार को सेंसरशिप की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है, और जब एक बार 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' किसी फिल्म को प्रमाणित कर देता है, उसके बाद सरकार इस विषय पर शक्तिहीन हो जाती है. **विधेयक में प्रस्तावित प्रावधान शीर्ष अदालत के इस विचार के विपरीत हैं.**
3. अक्सर, किसी फिल्म की प्रमाणन प्रक्रिया के बाद किंतु उसकी रिलीज से ठीक पहले विभिन्न समूहों या व्यक्तियों द्वारा आपत्ति जताई जाती है. प्रस्तावित नए नियमों के लागू होने से, **फिल्मों को यादृच्छिक आपत्तियों के आधार पर पुन: प्रमाणन के लिए लंबे समय तक रोका जा सकता** है, भले ही इनके लिए CBFC प्रमाणित कर चुका हो.

इस विषय पर सरकार का पक्ष

सरकार, जिन फिल्मों पर उसके लिए शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन फिल्मों के लिए सुपर-सेंसर के रूप में कार्य करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का औचित्य साबित करने के लिए **संविधान के अनुच्छेद 19 में** उल्लिखित 'उचित प्रतिबंधों' का हवाला देती है- भले ही 'सिनेमैटोग्राफ अधिनियम' को क्रियान्वित करने वाले अधिकार प्राप्त आधिकारिक निकाय 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' (CBFC) के अनुसार इन फिल्मों में प्रतिबंध लगाए जाने योग्य सामग्री नहीं पाई गई हो.

-

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

TOPIC : EUROPEAN UNION

संदर्भ

18-19 जून 2021 को **यूरोपीय संघ** (European Union) और भारत ने **अदन की खाड़ी** में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया. यह अभ्यास एक समुद्री डकैती विरोधी अभियान के परिदृश्य पर आधारित था. इसमें क्रॉस-डेक हेलिकॉप्टर लैंडिंग, समुद्र में जटिल सामरिक युद्धाभ्यास, लाइव फायरिंग, रात के समय संयुक्त गश्ती और सोमालिया के तट के करीब खुले समुद्र में एक नौसैनिक परेड शामिल थी.

अदन की खाड़ी

- अदन की खाड़ी अरब सागर मे, यमन (अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी तट) और सोमालिया (अफ्रीका का सींग) के मध्य स्थित है.
- लाल सागर और अदन की खाड़ी को केवल 20 किलोमीटर चौड़ा बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य आपस में जोड़ता है.
- यह जलमार्ग उस स्वेज नहर जलयान मार्ग का एक महत्त्वपूर्ण भाग है, जो भूमध्य सागर को अरब सागर के द्वारा हिन्द महासागर से जोड़ता है और इस खाड़ी को प्रति वर्ष लगभग 21,000 जलयान पार करते हैं.
- इस खाड़ी में समुद्री डाकुओं द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रहीं गतिविधियों के चलते इसे **'जलदस्यु मार्ग'** भी कहते हैं.

यूरोपियन यूनियन

यूरोपियन यूनियन यूरोपीय देशों का राजनैतिक व आर्थिक संगठन है. इसका विकास विभिन्न स्तरों पर हुआ है अर्थात यूरोपीय संघ की स्थापना किसी एक समझौते या संधि द्वारा नहीं बल्कि विभिन्न संधिओं तथा उनमे संशोधन के बाद हुई है. इसके विकास में "पेरिस की संधि (1951)",रोम की संधि (1957)","मास्त्रिच की संधि (1993)" तथा "लिस्बन की संधि (2009)" का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

ब्रिटेन के यूनियन से बाहर हो जाने के बाद इसके केवल 27 सदस्य रह गये. यूरोपियन यूनियन ने यूरोपीय देशों के राजनितिक व आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे यह संगठन विश्व की लगभग 22% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है. यूरोपियन यूनियन की अपनी संसद,आयोग,मंत्रिपरिषद्,न्यायालय तथा केंद्रीय बैंक है जिन्हें यूनियन के प्रमुख अंग भी कहा जाता है .

शेनजेन संधि (1985) के द्वारा यूनियन ने अपने सदस्य देशों के नागरिकों को बिना पासपोर्ट के यूरोप के किसी भी देश में भ्रमण करने का अधिकार दिया. हालाँकि यह अधिकार कुछ सदस्यों को देर से भी दिया गया जैसे रोमानिया और बुल्गारिया जो यूनियन के सदस्य 2007 में बने किन्तु 2014 तक उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं था परन्तु नार्वे, स्वीडन तथा आइसलैंड को यूनियन का सदस्य न होते हुए भी यह अधिकार प्राप्त है. यूनियन में भिन्न-भिन्न संधिओं तथा संधिओं में संशोधन द्वारा विभिन्न बदलाव किये गए हैं जिसमें से मास्त्रिच की संधि प्रमुख है जिसके द्वारा यूरोपीय समुदाय (European Society) का नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन (European Union) कर दिया गया. इसकी **राजधानी ब्रुसेल्स** में है.

और अधिक पढ़ें: यूरोपियन यूनियन

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Related to health.

TOPIC : INTERNATIONAL YOGA DAY AND M-YOGA APP

संदर्भ

21 जून को सातवाँ **अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस** मनाया गया. इस वर्ष की थीम **"आरोग्य के लिये योग"** रखी गई है.

विदित हो कि 21 जून का दिन वर्ष का सबसे लम्बा दिन "ग्रीष्मकालीन संक्रांति" (Summer Solstice) होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है. पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था.

7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने **"WHO एम-योग"** ऐप का भी अनावरण किया.

एम-योग ऐप

- इस एप्लीकेशन का विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है.
- वर्ष 2019 में आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने संयुक्त रूप से मोबाइल- योग पर ध्यान केंद्रित करत हुए यह परियोजना शुरू की थी.
- एम-योग ऐप कई भाषाओं में सामान्य योग प्रोटोकॉल पर आधारित, योग प्रशिक्षण और अभ्यास के कई वीडियो उपलब्ध कराएगा.
- इस परियोजना में वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों क तहत 'स्वस्थ रहें, गतिशील रहें' (बीएचबीएम) की अवधारणा की परिकल्पना की गयी है.

एम-योग परियोजना चार क्षत्रों पर केंद्रित है:-

(1) सामान्य तंदुरुस्ती के लिए सामान्य योग प्रोटोकॉल

(2) मानसिक स्वास्थ्य और सहनशीलता के लिए योग

(3) किशारों के लिए योग

(4) मधुमेह-पूर्व वाले लोगों के लिए योग

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora.

TOPIC : AT UNHRC, GRAVE CONCERNS RAISED OVER XINJIANG

संदर्भ

हाल ही में, कनाडा के नेतृत्व में 40 से अधिक देशों ने **'संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्'** (UN Human Rights Council – UNHRC) में शिनजियांग, हांगकांग और तिब्बत में चीन द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है.

इनकी माँगे

बीजिंग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेट (Michelle Bachelet) और अन्य स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को शिनजियांग में "तत्काल, सार्थक और निर्बाध पहुंच" उपलब्ध कराए तथा 'मनमाने ढंग से हिरासत' में लिए गए **उइगरों** और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को रिहा करे.

संबंधित प्रकरण

विश्वसनीय रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि शिनजियांग में एक लाख से ज्यादा लोगों को मनमाने ढंग से कब्जे में लिया गया है तथा उइगरों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को अनुचित रूप से लक्षित करते हुए व्यापक निगरानी की जा रही है, और उइगर संस्कृति तथा मौलिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है.

चीन की प्रतिक्रिया

पर्याप्त सबूतों के बाद भी, चीन, उइगरों के साथ दुर्व्यवहार को मानता नहीं है, और जोर देकर, मात्र चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किए गए "व्यावसायिक प्रशिक्षण" केंद्र चलाने की बात करता है.

उइगर कौन हैं?

1. उइगर मुसलमानों की एक नस्ल है जो बहुत करके चीन के Xinjiang प्रांत में रहती है.
2. उइगर लोगउस प्रांत की जनसंख्या के 45% हैं.
3. विदित हो कि तिब्बत की भांति Xinjiang भी चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित है.

उइगरों के विद्रोह का कारण

- कई दशकों से Xinjiang प्रांत में चीन की मूल हान (Han) नस्ल के लोग बसाए जा रहे हैं. आज की तिथि में यहाँ 80 लाख हान रहते हैं जबकि 1949 में इस प्रांत में 220,000 हान रहा करते थे.
- हान लोग अधिकांश नई नौकरियों को हड़प लेते हैं और उइगर बेरोजगार रह जाते हैं.
- उइगरों की शिकायत है कि सैनिक उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं जबकि सरकार यह दिखाती है कि उसने सभी को समान अधिकार दिए हुए हैं और विभिन्न समुदायों में समरसता है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India's interests.

TOPIC : INFORMATION FUSION CENTRE FOR INDIAN OCEAN REGION

संदर्भ

हाल ही में, यूनाइटेड किंगडम द्वारा भारतीय नौसेना के **'सूचना समेकन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र'** Fusion Centre for Indian Ocean Region: **IFC-IOR**) में एक 'संपर्क अधिकारी' (Liaison Officer– LO) नियुक्त किया गया है. IFC-IOR, समुद्री अधिकार-क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness-MDA) से संबंधित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है.

IFC–IOR क्या है?

- यह सूचनाओं के संकलन का एक केंद्र है जहाँ हिन्द महासागर क्षेत्र से सम्बंधित सामुद्रिक सूचना इकट्ठी की जाती है. यहाँ से इस महासागर में हो रही सामुद्रिक गतिविधियों की समग्र जानकारी उपलब्ध होती है.
- समेकित सूचना संकलन केंद्र **गुरुग्राम में स्थित** नौसेना के सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र में स्थापित है.
- इस केंद्र से सभी तटीय रडार जुड़े हुए हैं जिनसे देश की लगभग 7,500 किमी. लम्बी समुद्र तट रेखा का प्रत्येक क्षण का चित्र निर्बाध रूप से प्राप्त हो सकता है.
- इस केंद्र के माध्यम से **श्वेत जहाजरानी** (white shipping) अर्थात् वाणिज्यिक जहाजरानी के विषय में इस कार्यशाला में सूचनाओं का आदान-प्रदान क्षेत्र के अन्य देशों के साथ किया जाएगा जिससे कि हिन्द महासागर में सामुद्रिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता में सुधार लाया जा सके.

IFC–IOR का महत्त्व

- IFC-IOR के अन्दर हिन्द महासागर के किनारे-किनारे अवस्थित देश और द्वीप आते हैं जिनकी अपनी-अपनी अनूठी आवश्यकताएँ, आकांक्षाएँ, रुचियाँ और मान्यताएँ हैं.
- हिन्द महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती को रोकने के लिए यह संगठन आवश्यक है.
- यह संगठन सुनिश्चित करता है कि सम्पूर्ण क्षेत्र पारस्परिक सहयोग, सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा क्षेत्र की चिंताओं और खतरों की समझ के माध्यम से लाभ उठाएँ.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

हिन्द महासागर का महत्त्व क्यों?

- यह महासागर वैश्विक व्यापार के चौराहे पर स्थित है. अतः यह उत्तरी अटलांटिक और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थित बड़ी-बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है. इसका महत्त्व इसलिए बढ़ जाता है कि आज की युग में वैश्विक जहाजरानी उभार पर है.
- हिन्द महासागर प्राकृतिक संसाधनों में भी समृद्ध है. विश्व का 40% तटक्षेत्रीय तेल उत्पादन हिन्द महासागर की तलहटियों में ही होता है.
- विश्व का 15% **मत्स्य उद्योग** हिन्द महासागर में ही होता है.
- हिन्द महासागर की तलहटी तथा तटीय गाद में बहुत-सारे खनिज होते हैं, जैसे – निकल, कोबाल्ट, लोहा, मैंगनीज, तांबा, जस्ता, चाँदी, सोना, टाइटेनियम, ज़िरकोनियम, टिन आदि.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

TOPIC : UNDP

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की संयुक्त पहल, **टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (टीआईडब्ल्यूबी) कार्यक्रम** आज **भूटान** में प्रारम्भ हुआ. भारत को भागीदार क्षेत्राधिकार के रूप में चुना गया है. भारत ने इस कार्यक्रम के लिए कर-विशेषज्ञ उपलब्ध कराये हैं.

टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (टीआईडब्ल्यूबी) कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम की अवधि लगभग 24 महीने होगी.
- इस दौरान भारत, यूएनडीपी और टीआईडब्ल्यूबी सचिवालय के सहयोग से भूटान के लेखा परीक्षकों को तकनीकी जानकारी तथा आवश्यक कौशल हस्तांतरित करेगा तथा सर्वोत्तम लेखा तौर-तरीके साझा करेगा.
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूटान को कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता प्रदान करना है.
- कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर विशेष दिया जाएगा.

TIWB कार्यक्रम के लाभ

- इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत, यूएनडीपी और TIWB सचिवालय के सहयोग से भूटान के लेखा परीक्षकों को तकनीकी जानकारी तथा आवश्यक कौशल हस्तांतरित करेगा तथा सर्वोत्तम लेखा तौर-तरीके साझा करेगा. इसके अलावा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूटान को कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता प्रदान करना भी है.

भूटान का महत्त्व

- भूटान चीन के साथ 470 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है.
- परंपरागत रूप से, भूटान भारत और चीन के बीच एक बफर देश के रूप में अवस्थित रहा है.
- **सामरिक महत्त्व:** चुम्बी घाटी भूटान, भारत और चीन के तिराहे पर स्थित है और उत्तरी बंगाल में **"चिकन नेक"** से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो उत्तर-पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ती है.
- **उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिए:** भूटान ने अतीत में भारत के साथ सहयोग से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असोम (ULFA) और नेशनल डैमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड आतंकवादी समूहों को हिमालयी राष्ट्र से बाहर निकालने में मदद की है.
- **भूटान में चीनी दखलंदाज़ी पर नियंत्रण रखने के लिए:** चीन थिम्पू के साथ औपचारिक संबंधों को स्थापित करने में रुचि रखता है, जहां उसका अभी तक एक भी राजनयिक मिशन नहीं है. भूटान भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. पश्चिमी भूटान में चीनी क्षेत्रीय दावे **'सिलीगुड़ी कॉरिडोर'** के करीब हैं.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India's interests.

TOPIC : CHIEF OF DEFENCE STAFF – CDS

संदर्भ

रक्षा प्रमुख (Chief of Defence Staff – CDS) जनरल बिपिन रावत की अध्यक्षता में सेना के तीनों भागों की युद्धक कार्यप्रणाली को एकीकृत थियेटर कमांड्स के अधीन लाने के विचार पर वार्ता का आयोजन किया जा रहा है. ये थियेटर कमांड्स युद्ध के मौके पर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल एवं युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी.

ज्ञातव्य है कि सेना के तीनों भागों (थल सेना, वायु सेना और नौसेना) की "संयुक्त कमान" को एक "थिएटर कमांड' या एकीकृत सैन्य कमांड कहा जाता है. वर्तमान में किसी ऑपरेशन का प्लान सेना के किसी एक भाग द्वारा बनाया जाता है फिर उसे हेडक्वार्टरों एवं एकीकृत सैन्य कमांड (IDS) के पास भेजा जाता है. इस व्यवस्था में संसाधनों का इष्टतम उपयोग नहीं हो पाता है अत: एकीकृत प्लानिंग की आवश्यकता महसूस की जा रही थी.

रक्षा प्रमुख का पद क्या होता है?

रक्षा प्रमुख का पद सेना का वह सबसे ऊँचा पद होता है जिस पर कार्यरत सैनिक अधिकारी सेना के तीनों अंगों का पर्यवेक्षण करता है और उनके कार्यकलाप का समन्वयन करता है.

नियुक्ति से जुड़ी शर्तें

- एक बार CDS नियुक्त हो जाने के पश्चात् वह जनरल सरकार का कोई भी पद धारण नहीं करेगा.
- वह निजी नौकरी पकड़ सकता है, परन्तु इसके लिए उसे पद छोड़ने के पश्चात् पाँच वर्षों का समय बिताना होगा और नई आजीविका के लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी.

रक्षा प्रमुख की भूमिका और कार्य

रक्षा प्रमुख दीर्घकालिक रक्षा योजना एवं प्रबंधन के विषय में देश की कार्यपालिका को परामर्श देता है. वह कार्यबल, उपस्करों (equipment),

रणनीति और संयुक्त सैन्य कार्रवाई पर अपनी सलाह सीधे कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति आदि को देता है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India's interests.

TOPIC : SICKLE CELL DISEASE: SCD

संदर्भ

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **सिकल सेल रोग** (Sickle Cell Disease: SCD) या रक्ताल्पता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये प्रत्येक वर्ष **19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस** के रूप में मनाया जाता है. प्रथम विश्व सिकल सेल दिवस वर्ष 2009 में मनाया गया था.

सिकल सेल रोग (SCD) के बारे में

- सिकल सेल रोग या सिकल सेल एनीमिया (रक्ताल्पता) लाल रक्त कोशिकाओं से जुड़ी एक प्रमुख वंशानुगत विकार है जिसमें इन लाल रक्त कोशिकाओं का आकार अर्द्धचंद्र (हंसिया/sickle) जैसा हो जाता है.
- ये असामान्य आकार की लाल रक्त कोशिकाएँ कठोर तथा चिपचिपी हो जाती हैं और रक्त वाहिकाओं में फँस जाती हैं, जिससे शरीर के कई हिस्सों में रक्त एवं ऑक्सीजन का प्रवाह या तो कम हो जाता है या रुक जाता है.

लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में

- ये रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है. यह संख्या में सबसे बड़ी है, और पूरे रक्त का 40% भाग होता है, यह रीढ़धारी जन्तुओं के श्रसन अंगो से आक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है. इस कोशिका में लेम्ड्रल अनुपस्थित होता है. ला
- ल रक्त कोशिका का निर्माण वयस्क मानव में अस्थिमज्जा में और भ्रुणीय अव्यस्था में प्लीहा या यकृत में होता है. इसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है. लाल रक्त कोशिका (RBC) का जीवनकाल 20 से 120 दिन होता हैं.
- RBC, यकृत और प्लीहा में नष्ट होते हैं.
- प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता हैं.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies.

TOPIC : BORDER ROADS ORGANISATION – BRO

संदर्भ

हाल ही में आल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ने **सीमा सड़क संगठन (BRO)** के अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है. यह एफआईआर BRO द्वारा अरुणाचल प्रदेश के किमिन कस्बे को असम दिखाए जाने के लिए कराई गई है.

उल्लेखनीय है कि BRO द्वारा असम में निर्मित सड़कों को हमारे रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन के अवसर पर असम के बिलगढ़ के रूप से दिखाया गया था, जबकि किमिन अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले का भाग है. हालाँकि अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच कुछ क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद है और यह मामला अभी न्यायालय में है.

BRO क्या है?

- BRO का full-form है – Border Roads Organisation.
- BRO 2015 से रक्षा मंत्रालय के साथ काम कर रहा है.
- इसका कार्य सीमा के आस-पास कठिन एवं दुर्गम स्थानों तक सड़क बनाना है.
- सेना में "Indian Army's Corps of Engineers" नामक एक इंजीनियरिंग शाखा होती है, उसी से BRO में इंजिनियर लिए जाते हैं.
- वर्तमान में BRO द्वारा 21 राज्य और एक संघ शासित क्षेत्र (अंडमान और निकोबार) में काम किया जा रहा है.
- इसके आलावा BRO को अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी काम मिला है.
- बीआरओ देश की 32,885 किलोमीटर सड़कों और 12,200 मीटर स्थायी पुलों का रखरखाव करता है.
- उत्तर-पूर्व भारत में आधारभूत संरचना के विकास में BRO का महान योगदान है.

चीनी सीमा के पास भारत सरकार ने 73 सड़कों की स्वीकृति दे रखी है पर यह संगठन समय पर इनके निर्माण का कार्य पूरा नहीं कर पाया है इसलिए भारत सरकार ने हाल ही में इसको अतिरिक्त वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की हैं जिससे कि यह काम में तेजी ला सके.

सुधार की आवश्यकता

सीमा सड़क संगठन (BRO) में सुधार लाने के लिए बहुत प्रयत्न हुए हैं, परन्तु यह अभी भी एक विभाजित संगठन बना हुआ है जिसमें इस संगठन के कैडर के अफसरों और इसमें प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित सैनिक अफसरों के बीच में खटपट चलती रहती है. BRO कैडर के अफसर यह नहीं चाहते हैं कि संगठन के उच्चस्थ कार्यकारी और कमांड के ढेर सारे पद सैनिकों को मिलें.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Separation of powers between various organs dispute redressal mechanisms and institutions.

TOPIC : FUGITIVE ECONOMIC OFFENDER

संदर्भ

हाल ही में **प्रवर्तन निदेशालय (Directorate General of Economic Enforcement – ED)** ने **भगोड़े आर्थिक अपराधी** विजय माल्या, नीरव मोदी एवं मेहुल चौकसी की जब्त परिसंपत्तियों को उन सार्वजनिक बैंकों को हस्तांतरित कर दिया है, जिनसे इन लोगों ने ऋण लिए थे. इन परिसंपत्तियों की कीमत लगभग 8,441.5 करोड़ रूपये है. ज्ञातव्य है कि सार्वजनिक बैंक इन आर्थिक अपराधियों के कारण 22,583.83 करोड़ की क्षति उठा रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक इन लोगों से जुड़ी 18,170.02 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ जब्त कर ली हैं.

भगोड़ा अपराधी कौन है?

भगोड़ा अपराधी वह है –

- किसी भी निर्दिष्ट अपराध के लिए उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो जहाँ मामला 100 करोड़ रु. से अधिक का हो, और
- उसने देश छोड़ दिया हो और अभियोजन का सामना करने के लिए वापस लौटने से इन्कार कर दिया हो.
- यह न केवल लोन डिफ़ॉल्टर और फ्रॉडस्टर को शामिल करता है, बल्कि उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो कर, काले धन, बेनामी सम्पत्तियों और वित्तीय भ्रष्टाचार से सम्बंधित कानूनों का उल्लंघन करते हैं.
- **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** विधि प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च एजेंसी होगी.
- किसी व्यक्ति को FEO घोषित करने के लिए **एक विशेष अदालत** में एक आवेदन दायर किया जायेगा जिसमें जब्त की जाने वाली सम्पत्ति का वितरण, और व्यक्ति के अता-पता से सम्बंधित जानकारी शामिल होगी.
- विशेष अदालत को व्यक्ति को किसी निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने से **कम से कम छह सप्ताहका समय** दिया जाएगा. यदि वह उपस्थित हो जाता है तो कार्यवाही समाप्त कर दी जायेगी.
- यह अधिनियम विशेष अदालत के समक्ष आवेदन लंबित होने की स्थिति में अधिकारियों को **अस्थायी रूप से आरोपी की सम्पत्ति को कुर्क करने** की अनुमति प्रदान करता है.
- FEO के रूप में घोषित हो जाने पर, किसी व्यक्ति की **सम्पत्ति को जब्त किया जा सकता है.**
- भगोड़े के रूप में वर्गीकृत व्यक्ति, जबतक भारत वापस नहीं आते हैं और अभियोजन का सामना नहीं करते हैं, वे भारत में **कोई भी सिविल केस दायर करने में सक्षम नहीं होंगे.**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) क्या है?

1. प्रवर्तन निदेशालय **वित्त मंत्रालय के अंग राजस्व विभाग** के अधीन काम करता है.
2. इसका कार्य विभिन्न आर्थिक नियमों के उल्लंघन की जानकारी इकठ्ठा करना और उन्हें लागू करवाने के लिए सम्बन्धित पक्ष को विवश करना है.
3. इस निदेशालय के दो सबसे प्रमुख कार्य इन अधिनियमों को लागू करना है – Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA) और Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA).
4. प्रवर्तन निदेशालय में भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित होते हैं.
5. पहले यह निदेशालय प्रवर्तन इकाई (Enforcement Unit) के नाम से जाना जाता था. 1957 से यह Enforcement Directorate के नाम से जाना जाने लगा.

इतिहास

- यह निदेशालय सबसे पहले 1 मई, 1956 को प्रवर्तन इकाई के नाम से बना था. उस समय यह आर्थिक मामलों के विभाग के अधीनस्थ था. इसी वर्ष इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक मामले विभाग से हटकर राजस्व विभाग के अन्दर चला गया था.
- 1973-1977 के बीच के चार वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार था.

प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियाँ

- जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि इस निदेशालय का मुख्य कार्य FEMA और PMLA को लागू करवाना है.
- FEMA अर्ध-न्यायिक शक्तियों वाला एक **नागरिक कानून** है जिसके अंदर विनिमय नियंत्रण नियमों के उल्लंघन की जाँच करने तथा दोष सिद्ध होने पर सम्बंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाने की शक्ति होती है.
- वहीं PMLA एक **आपराधिक कानून** है जिसके द्वारा अधिकारियों को जाँच-पड़ताल करने, अनुसूचित अपराधों के लिए सम्पत्तियों को जब्त करने, गिरफ्तार करने और मनी लौन्डरिंग करने वालों पर मुकदमा चलाने की शक्ति दी जाती है.

प्रवर्तन निदेशालय की संरचना

निदेशालय अपने लिए कर्मियों की प्रत्यक्ष नियुक्ति तो करता ही है, यह अन्य अन्वेषण एजेंसियों से भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों को लेता है, जैसे – सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आय कर, पुलिस आदि.

अन्य कार्य

- **भगोड़ा आर्थिक अधिनियम, 2018** के अन्दर भारत से भागने वालों के विरुद्ध मुकदमों को आगे बढ़ाना.
- विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्कर गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1974 (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 – COFEPOSA) के अंतर्गत FEMA के उल्लंघनों के लिए बंदी बनाना.

विशेष न्यायालय

PMLA के अनुभाग 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की विचारणा के लिए केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक या अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय नामित करती है, जिसे **"PMLA न्यायालय"** भी कहा जाता है. PMLA न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध सम्बन्धित उच्च न्यायालय में अपील डाली जा सकती है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Mechanisms, laws, institutions and Bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections; Important International institutions, agencies and fora- their structure, mandate.

TOPIC : INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION– ILO

संदर्भ

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन** (International Labour Organisation – **ILO**) की 'गवर्निंग बॉडी' (शासी निकाय) के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल (अक्टूबर 2020- जून 2021) समाप्त हो गया.

गत वर्ष, भारत ने 35 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की थी.

ILO का प्रशासी निकाय

1. **प्रशासी निकाय (Governing Body)**, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन **(ILO)** का **शीर्ष कार्यकारी निकाय** है जो नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडे, बजट का निर्धारण करता है और महानिदेशक का चुनाव का कार्य भी करता है.
2. इसकी **जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड** में प्रतिवर्ष तीन बैठकें होती हैं.

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन **(ILO)** की स्थापना **प्रथम विश्व युद्ध के बाद 'लीग ऑफ़ नेशन' की एक एजेंसी** के रूप में की गयी थी.

1. इसे वर्ष 1919 में **वर्साय की संधि** द्वारा स्थापित किया गया था.
2. वर्ष 1946 में ILO**, संयुक्त राष्ट्र (United Nations– UN) की पहली विशिष्ट एजेंसी** बन गया.
3. वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया.
4. यह **संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी** है जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है.
5. **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रमुख रिपोर्ट

1. विश्व रोज़गार और सामाजिक दृष्टिकोण (World Employment and Social Outlook)
2. वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट (Global Wage Report)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह प्रावधान था कि आवश्यकता पड़ने पर इसकी प्रमुख अंगीभूत संस्थाएँ अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार विशिष्ट संगठन का निर्माण कर सकें. ऐसे संगठनों को विशिष्ट एजेंसियाँ कहा जाता है जिनमें प्रमुख हैं – अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), UNESCO, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO).

इन विशिष्ट संगठनों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकांश मानवतावादी कार्य संपादित करता है. नीचे कुछ इसी तरह की प्रमुख विशिष्ट एजेंसियों के नाम दिए गए हैं और बगल में उनके मुख्यालय का भी उल्लेख है –

- FAO (Food and Agriculture Organization) – रोम, इटली
- ILO (International Labour Organization) – जेनवा, स्विट्ज़रलैंड
- IMF (International Monetary Fund) – वाशिंगटन DC, अमेरिका
- UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – पेरिस, फ्रांस
- WHO (World Health Organization) – जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- WIPO (World Intellectual Property Organization) – जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड.

GS Paper 2 Source : The Economic Times

UPSC Syllabus : Indian and its neighbourhood. Important International institutions, agencies and fora, their structure, mandate.

TOPIC : PAKISTAN TO STAY IN FATF 'GREY LIST'

संदर्भ

हाल ही में, **'वित्तीय कार्रवाई कार्य बल'** (Financial Action Task Force- **FATF**) ने पाकिस्तान को **'ग्रे लिस्ट'** (Grey List) से बाहर निकालने से इनकार कर दिया है. FATF के अनुसार, पाकिस्तान 26/11 के आरोपी हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में विफल रहा है.

पृष्ठभूमि

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) द्वारा जून 2018 में पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' में शामिल किया गया था. उस समय से ही पाकिस्तान, इस सूची से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है.

पाकिस्तान ने, वर्ष 2018 में 27 एक्शन पॉइंट लागू करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की गई थी, जिसमें से यह अभी तक 26 एक्शन पॉइंट को लागू कर चुका है.

FATF क्या है?

- FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 1989 में G7 की पहल पर स्थापित किया गया है.
- यह एक नीति-निर्माता निकाय है जिसका काम विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी एवं नियामक सुधार लाने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति तैयार करना है.
- FATF का सचिवालय **पेरिस के OECD मुख्यालय भवन** में स्थित है.

FATF के उद्देश्य

FATF का उद्देश्य मनी लौन्डरिंग, आतंकवादियों को धनराशि मुहैया करने और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को खतरे में डालने जैसी अन्य कार्रवाइयों को रोकने हेतु कानूनी, नियामक और संचालन से सम्बंधित उपायों के लिए मानक निर्धारित करना तथा उनको बढ़ावा देना है.

ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट क्या हैं?

FATF देशों के लिए दो अलग-अलग सूचियाँ संधारित करता है. पहली सूची में वे देश आते हैं जहाँ मनी लौंडरिंग जैसी कुप्रथाएँ तो हैं परन्तु वे उसे दूर करने के लिए एक कार्योजना के प्रति वचनबद्ध होते हैं. दूसरे प्रकार की सूची में वे देश हैं जो इस कुरीति को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं. इनमें से पहली सूची को ग्रे लिस्ट और दूसरी को ब्लैक लिस्ट कहते हैं.

एक बार जब कोई देश ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो FATF अन्य देशों को आह्वान कर उनसे कहता है कि ब्लैक लिस्ट में आये हुए देश के साथ व्यवसाय में अधिक सतर्कता बरतें और यदि आवश्यक हो तो उसके साथ लेन-देन समाप्त ही कर दें.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and/or affecting India's interests.

TOPIC : TAX INSPECTORS WITHOUT BORDERS

भारत और भूटान के द्वारा संयुक्त रूप से 23 जून, 2021 को **"टैक्स इन्सपेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स"** (Tax Inspectors Without Borders – **TIWB**) पहल का आनावरण किया गया है.

मुख्य बिंदु

- यह कार्यक्रम लगभग 24 महीने की अवधि का है.
- इसका उद्देश्य कर लेखा परीक्षकों को तकनीकी जानकारी और कौशल हस्तांतरित कर सर्वोत्तम लेखापरीक्षा प्रथाओं को साझा करके कर प्रशासन को मज़बूत करने में भूटान की सहायता करना है. कार्यक्रम की केंद्रबिंदु अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण तथा मूल्य निर्धारण के क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करनी होगी.
- **स्थानांतरण मूल्य**, जिसे स्थानांतरण लागत के रूप में भी जाना जाता है, वह मूल्य है जिस पर संबंधित पक्ष एक-दूसरे के साथ लेन-देन करते हैं, इसमें विभागों के बीच आपूर्ति या श्रम के व्यापार के दौरान होने वाला लेन-देन शामिल है. बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने को कम कर क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिये हस्तांतरण कीमतों में हेर-फेर कर सकती हैं.
- यह कार्यक्रम भारत और भूटान के बीच निरंतर सहयोग और दक्षिण-दक्षिण सहयोग हेतु भारत के निरंतर तथा सक्रिय समर्थन में एक और मील का पत्थर है.

"टैक्स इन्सपेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" पहल के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (**UNDP**) और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (**OECD**) की एक संयुक्त पहल है.
- इसका उदेश्य विकासशील देशों को ऑडिट क्षमता का निर्माण करके राष्ट्रीय कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता करना है.
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत द्वारा UNDP और TIWB सचिवालय के सहयोग से भूटान को उसके "**कर प्रशासन" को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान** करने का लक्ष्य रखा गया है.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Role of civil services in a democracy.

TOPIC : MISSION KARMAYOGI

संदर्भ

हाल ही में इंफोसिस के पूर्व सीईओ एस.डी. शिबू लाल को **"मिशन कर्मयोगी"** के तहत गठित तीन सदस्यीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस टास्क फ़ोर्स को, "मिशन कर्मयोगी' के दिशा-निर्देशन एवं संचालन हेतु एक एक स्पष्ट रोड मैप तथा एक Special Purpose Vehicle तैयार करने का कार्य सौंपा गया है.

ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2020 में "मिशन कर्मयोगी' – राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (NPCSCB) को स्वीकृति दी थी. इसके अंतर्गत करीब 40 लाख केन्द्रीय कर्मियों को कवर किया जायेगा.

"मिशन कर्मयोगी" का लक्ष्य

- "मिशन कर्मयोगी" का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है.
- विशिष्ट भूमिका-दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे.

विशेषताएँ

- सिविल सेवा में क्षमता विकास हेतु नई अवसंरचना का विकास किया जायेगा. इसमें व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया के स्तर पर क्षमता विकास व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किये जायेंगे.

- सिविल सेवा क्षमता विकास योजनाओं की स्वीकृति एवं निगरानी के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मानव संसाधन परिषद का गठन किया जायेगा. इस परिषद् में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे.
- प्रशिक्षण मानकों में आपसी तालमेल बनाने के लिए क्षमता विकास आयोग बनाया जायेगा, जो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की निंगरानी भी करेगा.
- कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय इकाई का गठन किया जायेगा.
- डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व, परिचालन और प्रशिक्षण के लिए एक विशेष प्रयोजन कम्पनी (SPV) बनाई जायेगी.
- मिशन कर्मयोगी योजना के तहत अगले पाँच वर्षों में करीब 510 करोड़ खर्च किए जाएँगे.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources;

TOPIC : COWIN PLATFORM

संदर्भ

भारत ने **CoWIN प्लेटफॉर्म** की तकनीक को दूसरे देशों के साथ साझा करने का निर्णय लिया है ताकि वे इस तकनीक का उपयोग अपने स्वयं के टीकाकरण अभियान चलाने के लिए कर सकें. वियतनाम, इराक, पेरू, मैक्सिको, डोमिनिकन गणराज्य, पनामा, नाइजीरिया, युक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और युगांडा सहित देशों ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम चलाने के लिए CoWIN तकनीक के बारे में सीखने में अपनी रुचि व्यक्त की है.

COWIN प्लेटफॉर्म क्या है?

- यह कोविड 19 टीकाकरण की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक क्लाउड-आधारित आईटी समाधान है.
- यह लाभार्थियों के पंजीकरण, टीकाकरण केंद्रों के आवंटन, टेक्स्ट मेसेज भेजने और कोल्ड स्टोरेज में संग्रहीत शीशियों की लाइव निगरानी का काम करता है.
- इसके माध्यम से क्युआर कोड-आधारित टीकाकरण प्रमाणपत्र उन कोविड 19 वैक्सीन लाभार्थियों के लिए जारी किया जाता है, जो CoWIN प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं.
- यह एप्लीकेशन वैक्सीन स्टॉक की रियल टाइम जानकारी, उनके भंडारण तापमान और कोविड 19 वैक्सीन के लाभार्थियों की ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करता है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Appointment to various Constitutional posts, powers, functions and responsibilities of various Constitutional Bodies.

TOPIC : ATTORNEY GENERAL OF INDIA

संदर्भ

केंद्र सरकार द्वारा **'भारत के महान्यायवादी'** (अटॉर्नी-जनरल) के.के. वेणुगोपाल का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है. अब वह 30 जून, 2022 तक सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में कार्यरत रहेंगे.

अटॉर्नी जनरल संवैधानिक प्रावधान

- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76** के अनुसार, भारत का अटॉर्नी जनरल (AG) भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है.
- भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार होने के नाते अटॉर्नी जनरल सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करता है.
- इसके अतिरिक्त भारत का अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है.

अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, अटॉर्नी जनरल (AG) की नियुक्ति भारत के **राष्ट्रपति द्वारा की जाती है.**

- अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिये उन योग्यताओं का होना अनिवार्य है, जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये आवश्यक है.
- सरल शब्दों में कहा जाए तो अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिये आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का पाँच वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो.
- विदित हो कि संविधान में अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल के संबंध में कोई निश्चित व्याख्या नहीं दी गई है, हालाँकि राष्ट्रपति द्वारा कभी भी उन्हें इस पद से हटाया जा सकता है. इसके अलावा अटॉर्नी जनरल किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप कर पदमुक्त हो सकता है.
- संविधान निर्माण की बहस के दौरान एक सदस्य द्वारा इस ओर ध्यान इंगित किया गया था कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ उनके अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल भी समाप्त हो जाना चाहिये, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, हालाँकि इस संशोधन प्रस्ताव को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था.
- संविधान में अटॉर्नी जनरल का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, अटॉर्नी जनरल के पारिश्रमिक का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है.

अटॉर्नी जनरल- कार्य और शक्तियाँ

- भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों.
- विधिक स्वरूप वाले ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना, जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों.
- सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना.
- भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार.
- संविधान अथवा किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किये गए कृत्यों का निर्वहन करना.

GS Paper 2 Source : PIB

UPSC Syllabus : Issues related to health.

TOPIC : INTERNATIONAL DAY AGAINST DRUG ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING

संदर्भ

7 दिसंबर 1987 को 'संयुक्त राष्ट्र महासभा' द्वारा '**26 जून**' के लिए 'नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस' (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) के रूप में चुना गया था.

उद्देश्य: नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा स्वास्थ्य, समाज और प्रशासन पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना.

विषय और उसका महत्त्व

इस वर्ष की थीम: 'शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स, सेव लाइव्स' (Share Facts On Drugs, Save Lives) है.

'संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय' (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) के अनुसार, इस थीम का उद्देश्य, स्वास्थ्य जोखिम और विश्व ड्रग्स समस्या के समाधान से लेकर साक्ष्य-आधारित रोकथाम, उपचार और देखभाल तक, नशीली दवाओं से सम्बंधित वास्तविक तथ्यों को साझा करके गलत सूचना को रोकना है.

'वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट' 2021 (WORLD DRUG REPORT)

- वर्ष 2010-2019 के बीच वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि के कारण नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
- पिछले वर्ष दुनिया भर में लगभग 275 मिलियन लोगों ने नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया, जबकि 36 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित थे.
- नशीली दवाओं के उपयोग के कारण होने वाली बिमारियों के लिये 'ओपिओइड' सबसे ज्यादा उत्तरदायी है.
- कोरोना वायरस महामारी के दौरान फार्मास्युटिकल दवाओं के गैर-चिकित्सा उपयोग में भी वृद्धि देखी गई.
- पिछले 24 वर्षों में विश्व के कुछ भागों में भांग की क्षमता चार गुना तक बढ़ गई है, यहाँ तक कि भांग को हानिकारक मानने वाले किशोरों की संख्या में भी 40 प्रतिशत की गिरावट आई है.

- भांग में प्रमुख मनो-सक्रिय घटक Δ9-THC लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य विकारों के विकास के लिये उत्तरदायी है.

मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या से निपटने हेतु भारत सरकार की नीतियाँ और पहलें

1. विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, देश के 272 जिलों में **'नशा मुक्त भारत अभियान'** या **'ड्रग्स-मुक्त भारत अभियान'** को 15 अगस्त 2020 को हरी झंडी दिखाई गई.
2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-2025 की अवधि के लिए 'नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना' (National Action Plan for Drug Demand Reduction- **NAPDDR**) का कार्यान्वयन शुरू किया गया है.
3. सरकार द्वारा नवंबर, 2016 में **नार्को-समन्वय केंद्र** (**NCORD**) का गठन किया गया है.
4. सरकार द्वारा नारकोटिक ड्रग्स संबंधी अवैध व्यापार, व्यसनी / नशेड़ियों के पुनर्वास, और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जनता को शिक्षित करने आदि में होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु "नशीली दवाओं के दुरुपयोग नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष" (National Fund for Control of Drug Abuse) नामक एक कोष का गठन किया गया है .

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora.

TOPIC : RUSSO-BRITISH DISPUTE OVER THE BLACK SEA REGION

संदर्भ

हाल ही में रूस ने ब्रिटिश राजदूत को बुलाकर ब्रिटिश नौसेना द्वारा रूस की समुद्री सीमा में प्रवेश करने के सम्बन्ध में आधिकारिक तौर पर फटकार लगाई है.

विवाद की जड़

ब्रिटिश नौसेना के HMS डिफेंडर की काला सागर क्षेत्र में गतिविधियों को लेकर रूस ने चेतावनी जारी की है. रूस के अनुसार क्रीमिया रूस का भाग है तथा इसके तट से लगता हुआ काला सागर का क्षेत्र रूसी समुद्री सीमा में आता है, जबकि ब्रिटेन एवं विश्व के अधिकांश देश वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर किये गये कब्जे को अवैध मानते हैं तथा क्रीमिया को यूक्रेन का ही हिस्सा मानते हैं. इस प्रकार ब्रिटिश सरकार के अनुसार ब्रिटेन का युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में था न कि रुसी क्षेत्र में.

काला सागर

- काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है जो दक्षिण-पूर्वी यूरोप, कॉकेशस और अनातोलिया के प्रायद्वीप (तुर्की) से घिरा है. अटलांटिक महासागर में यह भूमध्य और एजियन सागरों और विभिन्न जलडमरूमध्यों के माध्यम से जुड़ा हुआ है. इसमें बोस्पोरस की जलसंयोगी मारमरा सागर का नाम उल्लेखनीय है.
- काला सागर का क्षेत्रफल 436,400 वर्ग किलोमीटर है, तथा अधिकतम गहराई 2,212 मीटर है.
- इसमें प्रमुखत: डेन्यूब, नीपेर तथा डॉन नदियों का जल आकर गिरता है.
- हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार (320 अरब क्यूबिक मीटर) की खोज की घोषणा की है.
- बोस्फोरस जलसंधि इसे मारमरा सागर से जोड़ती है तथा केर्च जलसंधि इसे **एजोव सागर** से जोड़ती है.

कर्च जलडमरूमध्य की महत्ता

कर्च जलडमरूमध्य कृष्ण सागर (Black Sea) और अजोव सागर के बीच एकमात्र सम्पर्कसूत्र है. मात्र इसी से होकर यूक्रेन के दो बड़े बंदरगाहों – Mariupol और Berdiansk – तक पहुँचा जा सका है. 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया था और तब से वह कर्च जलडमरूमध्य पर नियंत्रण रखे हुए है जिसके कारण यूक्रेन के जहाजों को भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

अजोव सागर की महत्ता

यह सागर पूर्वी यूरोप में स्थित है. यह इसके दक्षिण में स्थित लगभग 4 किलोमीटर संकरे कर्च जलडमरूमध्य से कृष्ण सागर से जुड़ा हुआ

है. इसीलिए इसे कभी-कभी कृष्ण सागर का उत्तरमुखी विस्तार भी कहा जाता है.

- अजोव सागर के उत्तर और पश्चिम में यूक्रेन है और पूर्व में रूस.
- दोन (Don) और कूबन (Kuban) वे दो बड़ी नदियाँ हैं जो इसमें आकर गिरती हैं.
- अजोव सागर की गहराई 0.9 और 14 मीटर के बीच है. अतः यह **विश्व का सबसे छिछला सागर** (shallowest sea) है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Parliament and State Legislatures – structure, functioning, conduct of business, powers & privileges and issues arising out of these.

TOPIC : PARLIAMENTARY PRIVILEGES

संदर्भ

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर **संसदीय स्थायी समिति** के अध्यक्ष, कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा समिति की बैठक की कार्यवाही के बारे में "मिथ्या और हानिकारक" रिपोर्टिंग करने हेतु 'टाइम्स नाउ' समाचार चैनल के खिलाफ '**विशेषाधिकार** प्रस्ताव' (Privilege Motion) पेश किया गया है.

विशेषाधिकार

एक सांसद या विधायक होना सिर्फ जनप्रतिनिधि होना नहीं है अपितु ये लोग संविधान के पालक और नीतियाँ/कानून बनाने वाले लोग भी हैं. कार्यपालिका के साथ मिलकर यही लोग देश का वर्तमान और भविष्य तय करते हैं. इन पदों की महत्ता और निष्ठा को देखते हुए संविधान ने इन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए हैं. **संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 के खंड 1 और खंड 2** के तहत विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है. भारतीय संविधान में विशेषाधिकार के विषय **इंग्लैंड के संविधान** से लिए गये हैं.

संविधान के अनुच्छेद 105 (3) और 194 (3) के तहत देश के विधानमंडलों को वही विशेषाधिकार मिले हैं जो संसद को मिले हैं. संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि ये स्वतंत्र उपबंध हैं. यदि कोई सदन विवाद के किसी भाग को कार्यवाही से हटा देता है तो कोई भी उस भाग को प्रकाशित नहीं कर पायेगा और यदि ऐसा हुआ तो संसद या विधानमंडल की अवमानना मानना जाएगा. ऐसा करना दंडनीय है. इस परिस्थिति में **अनुच्छेद 19 (क) के तहत बोलने की आजादी** (freedom of speech and expression) के मूल अधिकार की दलील नहीं चलेगी.

हालाँकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भले ही विशेषाधिकार के मामले अनुच्छेद 19 (क) के बंधन से मुक्त हों लेकिन यह **अनुच्छेद 20-22 और अनुच्छेद 32** के अधीन माने जायेंगे.

प्रकार

विशेषाधिकार के मामलों को दो भागों में बाँटा जा सकता है –

1. हर सदस्य को मिला व्यक्तिगत विशेषाधिकार
2. संसद के प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से मिला विशेषाधिकार

व्यक्तिगत विशेषाधिकार

1. सदस्यों को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 (क) के तहत **गिरफ्तारी से छूट** मिलती है. इसके तहत सदस्य को समितियों की बैठक के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से छूट मिलती है. यह छूट सिर्फ सिविल मामलों में मिलती है. आपराधिक मामलों के तहत यह छूट नहीं मिलेगी.
2. जब संसद सत्र चल रहा हो तो सदस्य को **गवाही के लिए बुलाया नहीं जा सकता**.
3. संसद के सदस्य द्वारा संसद में या उसकी समिति में कही गई किसी बात के लिए **न्यायालय में चुनौती नहीं** दी जा सकती.

लेकिन यहाँ यह जानना जरुरी है कि सदस्यों को मिले ये विशेषाधिकार तब तक लागू रहेंगे जबतक वह संसद या सदन के हित में हो. यानी सदस्य सदन की प्रतिष्ठा की परवाह किये बिना अपनी इच्छानुसार कुछ भी कहने का हकदार नहीं है.

सामूहिक रूप से मिला विशेषाधिकार

1. चर्चाओं और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार.
2. अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित या प्रतिबंधित करने का अधिकार.
3. सदन के आंतरिक मामलों को निपटाने का अधिकार.
4. संसदीय कदाचार को प्रकाशित करने का अधिकार.
5. सदस्यों और बाहरी लोगों को सदन के विशेषाधिकारों को भंग करने के लिए दंडित करने का अधिकार.

अन्य अधिकार

इसके अलावा भी सदनों के भीतर कुछ विशेषाधिकारों की बात करें तो सदनों के अध्यक्ष और सभापति को किसी अजनबी को सदन से बाहर जाने का आदेश देने का अधिकार है. सदन के कार्यवाहियों को सुचारू रूप से चलाने और विवाद की स्थिति में बिना न्यायालय के दखल के आंतरिक तौर पर निपटाने का अधिकार भी है. यानी संसद की चारदीवारी के भीतर जो कहा या किया जाता है, उसके बारे में कोई भी न्यायालय जाँच नहीं कर सकता.

एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय न्यायालयों ने भी समय-समय पर स्पष्ट किया है कि संसद या राज्य विधान मंडलों के किसी सदन को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि किसी मामले में सदन या सदस्य के *Parliamentary Privilege* का उल्लंघन हुआ है या नहीं.

GS Paper 2 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.

TOPIC : ONE NATION ONE RATION CARD

संदर्भ

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को **'वन नेशन वन राशन कार्ड'** (One Nation One Ration Card) प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है.

एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड योजना क्या है?

यह एक राष्ट्रीय योजना है जो यह सुनिश्चित करती है कि कि जन-वितरण प्रणाली से लाभ लेने वाले सभी व्यक्ति, विशेषकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले, देश के अन्दर किसी भी अपनी पसंद की PDS दुकान से अनाज आदि प्राप्त कर सकें.

अब तक यह सुविधा आंध्र प्रदेश, बिहार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे 17 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में उपलब्ध कराई गई है.

लाभ

इस योजना का लाभ यह होगा कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सब्सिडी युक्त अनाज पाने से कोई निर्धन व्यक्ति इसलिए वंचित न हो जाए कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया है. इस योजना से एक अतिरिक्त लाभ यह होगा कि कोई व्यक्ति अलग-अलग राज्यों में जन-वितरण प्रणाली का लाभ लेने के लिए एक से अधिक राशन कार्ड नहीं बनवा पायेगा.

माहात्म्य

इस योजना से के फ़लस्वरूप लाभार्थी किसी एक PDS दुकान से बंधा नहीं रह जाएगा और ऐसी दुकान चलाने वालों पर उसकी निर्भरता घट जायेगी और साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों में भी कटौती होगी.

चुनौतियाँ

- प्रत्येक राज्य के पास जन-वितरण प्रणाली के विषय में अपने नियम होते हैं. यदि एक राष्ट्र – एक राशन कार्ड योजना लागू की गई तो संभावना है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले. वैसे भी सभी जानते हैं कि इस प्रणाली में भ्रष्टाचार होता रहता है.
- इस योजना से जन-सामान्य का कष्ट बढ़ जाएगा और बिचौलिए तथा भ्रष्ट PDS दुकान के मालिक उसका शोषण करेंगे.
- इन्हीं कारणों से तमिलनाडु ने इस योजना का विरोध किया है और कहा है कि इसको लागू करने से अवांछित परिणाम होंगे. साथ ही उसका कहना है कि यह योजना संघवाद पर कुठाराघात करती है.

GS Paper 2 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interests, Indian diaspora.

TOPIC : OPEC AND RISING OIL PRICES

संदर्भ

भारत द्वारा तेल निर्यातक देशों को तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए राजी करने पर कार्य किया जा रहा है, साथ ही भारत ने चेतावनी देते हुए कहा है, कि तेल ऊँची कीमतों की वजह से उसके लिए ईरान जैसे वैकल्पिक आयात स्रोतों की ओर रूख करना पड़ सकता है.

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगियों (**OPEC+**) द्वारा 1 जुलाई को वैश्विक मांग में उछाल को देखते हुए आपूर्ति-कटौती में संभावित ढील देने पर चर्चा किए जाने की संभवना है.

भारत के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ

1. कई राज्यों में पेट्रोल की खुदरा कीमतें ₹100 प्रति लीटर को पार चुकी हैं और इसकी वर्तमान कीमत बहुत ही चुनौतीपूर्ण है.
2. **खपत में सुधार होने** और **मांग के हिसाब से आपूर्ति कम** होने की वजह से, हाल के दिनों में, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें 75 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं. यह अप्रैल 2019 के बाद सबसे ज्यादा कीमत है.
3. तेल की ऊंची कीमतों से **मुद्रास्फीति-दबाव में बढ़ोतरी** हो रही है.
4. भारत के द्वारा, तेल की कम कीमतों का फायदा उठाकर पिछले साल तैयार किए गए **सामरिक खनिज तेल भंडार** समाप्त हो रहे हैं.
5. पेट्रोल और डीजल की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचने का प्रमुख कारण, पेट्रोल और डीजल पर केंद्र और राज्य द्वारा की गयी कर-वृद्धि भी है.
6. पिछले सात वर्षों में भारत की तेल मांग में भी 25% की वृद्धि हुई है, जोकि किसी भी अन्य प्रमुख खरीदार देश से ज्यादा है.

OPEC

- OPEC का फुल फॉर्म है –*Organization of the Petroleum Exporting Countries*. इस प्रकार यह तेल उत्पादक देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1960 में ईराक के बग़दाद में हुई थी और यह 1961 से प्रभावी हो गया.
- ओपेक का मुख्यालय इसके गठन के पहले पाँच वर्षों तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था पर कालांतर में 1 सितंबर, 1965 में इसके मुख्यालय को **ऑस्ट्रिया के विएना** में स्थानांतरित कर दिया गया.
- ओपेक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है जिससे पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमत सुनिश्चित की जा सके.
- ओपेक देश दुनिया की तेल निर्यात का 40% से ज्यादा का हिस्सा नियंत्रित करता है. यह 82% तेल भंडार के मालिक भी है.

OPEC की सदस्यता

- OPEC के सदस्य तीन प्रकार के होते हैं – संस्थापक सदस्य, पूर्ण सदस्य और सहयोगी सदस्य.
- पूर्ण सदस्य वे देश होते हैं जहाँ से अच्छा-ख़ासा कच्चा तेल निर्यात होता है.
- इस समूह में नए सदस्य तभी शामिल हो सकते हैं जब उनके इस विषय में दिए गये आवेदन पर OPEC के सदस्य **3/4 बहुमत से अपना अनुमोदन** दे देते हैं.
- OPEC के कानून में यह प्रावधान है कि उस देश को भी ओपेक में सहयोगी सदस्य बनाया जा सकता है जो पूर्ण सदस्यता की अर्हता नहीं रखता है, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में उसे सदस्य बना लिया जाता है.
- वर्तमान में OPEC संगठन में **13 सदस्य देश** हैं, जिनके नाम हैं – अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेज़ुएला.
- **क़तर** 2018 में ओपेक से अलग हो गया.
- **इक्वाडोर** ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता स्थगित कर दी. अक्टूबर 2007 को वह ओपेक में फिर से शामिल हो गया. लेकिन उसने पुनः 1 जनवरी, 2020 को ओपेक की सदस्यता त्याग दी.

'ओपेक प्लस' क्या है?

ओपेक प्लस (OPEC+) कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों का एक गठबंधन है. यह गठबंधन वर्ष 2017 से तेल बाजारों में की जाने वाली आपूर्ति में सुधार कर रहा है.

ओपेक प्लस देशों में अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं.

GS Paper 3

GS Paper 3 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Economy or disaster management.

TOPIC : ECONOMIC IMPACT OF INCREASED INCIDENCE OF CYCLONES ON THE WEST COAST

संदर्भ

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के एक दशकवार विश्लेषण से पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी में वर्ष 1891-1900 से प्रत्येक दशक में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात आए हैं.

हालांकि, अरब सागर में वर्ष 2011 और वर्ष 2020 के मध्य 17 चक्रवाती घटनाएँ हुई हैं, जो 1890 के दशक से एक दशक में सर्वाधिक हैं. इनमें से ग्यारह गंभीर चक्रवात थे.

अरब सागर में हाल ही में आए चक्रवातों जैसे "ताऊ-ते" और वायु का तेजी से उग्र होना एक अन्य प्रमुख विशेषता है, जिससे अग्रिम तैयारी के लिए अत्यल्प समय ही मिलता है.

पश्चिमी तट पर चक्रवातों की वर्धित घटनाओं का आर्थिक प्रभाव

- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के डेटाबेस के अनुसार, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों ने वर्ष 2018-19 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 35 प्रतिशत का योगदान दिया था, जबकि पूर्वी तट के राज्यों ने 21 प्रतिशत का योगदान दिया था.
- इसके अतिरिक्त, पश्चिमी तट के राज्यों ने वित्त वर्ष 2018-19 में भारत के विनिर्माण सकल मूल्य वर्धित (Gross value added: GVA) में 46 प्रतिशत का योगदान दिया था, जबकि पूर्वी तट के राज्यों ने 22 प्रतिशत का योगदान दिया था.
- जिला स्तर के विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ है कि पश्चिमी तटीय जिलों के उत्पादन का मूल्य विषमतापूर्ण रूप से उसके परिमाण से अधिक था.
- पश्चिमी तट अधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है (पूर्वी तट की तुलना में उच्च जनसंख्या घनत्व के अधिक क्षेत्र, जिससे मानव जीवन की क्षति का खतरा बढ़ जाता है.

GS Paper 3 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, nano-technology, bio-technology and issues relating to intellectual property rights.

TOPIC : 5G TECHNOLOGY

संदर्भ

हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई है, जिसमे उन्होंने सेलुलर दूरसंचार द्वारा 5G तकनीक शुरू करने से पहले, इस तकनीक के उपयोग से उत्सर्जित होने वाले रेडियो-आवृत्ति विकिरण के 'वयस्कों अथवा बच्चों के स्वास्थ्य, जीवन तथा इनके अंगो, और वनस्पतियों तथा जीवों' पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर एक वैज्ञानिक अध्ययन कराए जाने की मांग की है.

5G क्या है?

- 5G एक वायरलेस दूरसंचार प्रौद्योगिकी है. इसमें डेटा प्रसारण एवं प्राप्ति के लिए रेडियो तरंगे और रेडियो आवृत्ति (RF) का प्रयोग किया जाता है.
- यह 4G LTE नेटवर्क के बाद मोबाइल नेटवर्क प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी है. 2019 के आरम्भ में 5G प्रौद्योगिकी का उपयोग सेवाओं में क्रमिक रूप से शुरू किया जाएगा और 2024 तक सम्पूर्ण सेवाओं तक इसका विस्तार किया जायेगा.
- 5G के लिए अंतिम मानक **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)** द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

5G की विशेषताएँ

- **उच्च डेटा दर** (Hotspots के लिए 1Gbps, डाउनलोड गति 100Mbps तथा वाइड-एरिया कवरेज हेतु 50Mbps की अपलोड गति).
- **व्यापक कनेक्टिविटी** (प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 मिलियन कनेक्शन)
- **अल्ट्रा-लो-लेटेंसी** (1 मिलीसेकंड)
- **उच्च विश्वसनीयता** (मिशन क्रिटिकल "अल्ट्रा-रिलाएबल" संचार हेतु 99.999%).
- **उच्च गति पर गतिशीलता** (500 किमी./घंटा की गति तक अर्थात् उच्च-गति ट्रेन के लिए).

इस प्रौद्योगिकी को वास्तविकता में परिणत होने में अभी काफी समय लगेगा किन्तु इसमें वायरलेस उपकरणों के साथ अंतर्क्रिया के हमारे वर्तमान तरीके को पूर्णतया परिवर्तित करने की पर्याप्त क्षमता है.

5G के लाभ

- **इन्टरनेट की तीव्र गति** –वर्तमान में 4G नेटवर्क एक गीगाबाइट प्रति सेकंड की अधिकतम डाउनलोड गति प्राप्त करने में सक्षम है. 5 के साथ इस गति को**10 गीगाबाइट** प्रति सेकंड तक बढ़ाया जा सकता है.

- **अल्ट्रा-लो-लेटेंसी** –लेटेंसी उस समय को संदर्भित करती है जो एक device से दूसरी device तक एक डेटा पैकेट को भेजने में लगता है. 4G में लेटेंसी दर 50 milliseconds है जबकि 5G में 1 millisecond तक हो सकती है.
- **अच्छी तरह से कनेक्टेड विश्व** –5G **इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स**जैसी प्रौद्योगिकियों के समायोजन के लिए प्रयोक्ता की आवश्यकता के अनुसार क्षमता तथा बैंडविड्थ प्रदान करेगा. इस प्रकार यह **आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स** को अपनाने में सहायता करेगा.
- डिजिटल आर्थिक नीति पर **आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) समिति** के अनुसार 5G प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन GDP में वृद्धि, रोजगारों का सृजन तथा अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने में सहायता करेगा.

भारत को 5G से लाभ

- भारत पर 5G का संचयी आर्थिक प्रभाव 2035 तक एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है. यह हमारे जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सम्मिलित करने में सहायता करेगा और इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स (IOT) के लिए परिवेश प्रदान करने हेतु स्मार्ट उपकरणों को निर्बाध रूप से डेटा के आदान-प्रदान को सक्षम बनाएगा.
- 5G कृषि से लेकर, स्मार्ट सिंचाई, मृदा एवं फसल की बेहतर निगरानी एवं पशुधन प्रबन्धन तक सम्पूर्ण मूल्य शृंखला में सुधार को सक्षम बना सकता है.
- 5G सटीक विनिर्माण के लिए रोबोटिक्स के उपयोग को सक्षम बनायेगा, विशेषत: जहाँ मनुष्य इन कार्यों को सुरक्षित या सटीकता से निष्पादित नहीं कर सकता.
- ऊर्जा क्षेत्र में, "स्मार्ट ग्रिड" और "स्मार्ट मीटरिंग" को सहायता प्रदान की जा सकती है.
- स्वास्थ्य देखभाल में, 5G अधिक प्रभावी दूरस्थ-चिकित्सा वितरण, सर्जिकल रोबोटिक्स के दूरस्थ नियंत्रण और महत्त्वपूर्ण आँकड़ों की वायरलेस निगरानी को सक्षम बना सकता है.

चुनौतियाँ

यह एक विशाल कार्य है जिसमें स्पेक्ट्रम और नए एंटेना की स्थापना सम्बन्धित मुद्दे सम्मिलित हैं. जैसे कि ईमारतें, वृक्ष, खराब मौसम आदि भी अवरोधक का कारण बन सकते हैं. अतः बेहतर कनेक्शन हेतु अधिक बेस स्टेशनों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता है.

5G तक संक्रमण हेतु भारत के पास एक मजबूत बैकहॉल (backhaul) का अभाव है. दरअसल बैकहॉल एक प्रकार का नेटवर्क होता है जो सेल साइट्स को सेन्ट्रल एक्सचेंज से जोड़ता है. इस समय 80% सेल साइट्स माइक्रोवेव बैकहॉल तथा 20% साइट्स फाइबर के माध्यम से कनेक्टेड हैं. भारतीय बाजार आज की तिथि में सिर्फ 4G के लिए अनुकूल है.

यह जरूर पढ़ें > **5G तकनीक**

GS Paper 3 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Conservation related issues.

TOPIC : SOIL SPILL

संदर्भ

रसायनों और प्लास्टिक से लदे हुए, सिंगापुर में पंजीकृत **MV X –प्रेस पर्ल**, नामक एक मालवाहक जहाज में, 20 मई को आग लगने और विस्फोट होने की घटना हुई थी. इस घटना के बाद, श्रीलंका के समुद्र तटों पर कई टन प्लास्टिक के गुटिके / पैलेट (pellet) पाए गए.

तैयारियाँ

देश के समुद्री पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (Marine Environment Protection Authority- MEPA) ने इस घटना को इतिहास में श्रीलंका की सबसे खराब पारिस्थितिक आपदाओं में से एक करार दिया है. MEPA ने पोत से होने वाले संभावित रिसाव से निपटने के लिए, 'तेल रिसाव नियंत्रण बूम' (**oil spill containment booms**) को तैयार कर दिया है. अधिकारियों के अनुसार, पोत के ईंधन टैंक में 350 टन तेल था.

'तेल रिसाव' क्या होता है?

1. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा 'तेल रिसाव' (Oil Spill) को दुर्घटनावश या जानबूझकर निर्मुक्त होने वाले तेल के रूप में पारिभाषित किया है, जो जल निकायों की सतह पर एक प्रच्छन द्रव्य के रूप में तैरता है और हवाओं, जल धाराओं और ज्वारीय लहरों के साथ इधर-उधर बहता रहता है.
2. तेल रिसाव, भूमि, वायु तथा पानी को प्रदूषित कर सकता है, हालांकि इसका प्रयोग ज्यादातर समुद्री तेल रिसाव के संदर्भ में किया जाता है.

समुद्र में तेल रिसाव से संबंधित कानून

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल रिसाव से हुई क्षति के लिये पर्याप्त, शीघ्र तथा प्रभावी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु **'इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी ऑफ बेकर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज, 2001'** है जिसका भारत ने भी अनुसमर्थन किया है.
- भारत के अन्दर तटवर्ती और समुद्री क्षेत्रों को तेल रिसाव से होने वाली क्षति से रक्षा करने हेतु 1980 से तेल रिसाव प्रबंधन कार्यक्रम बना था.
- भारत में तेल रिसाव आपदा के मामले में संकट प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है तथा तेल रिसाव होने की स्थिति में भारत के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव प्रदूषण से निपटने के लिए तटरक्षक बल समन्वयकारी एजेंसी है.

तेल रिसाव होने के विभिन्न कारण

- महासागरों में होने वाला तेल रिसाव इसके सबसे प्रमुख प्रदूषकों में से एक है.
- हर वर्ष लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन तेल महासागरों को दूषित करता है.
- तेल रिसाव में कच्चे तेल, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों, उनके उप-उत्पादों का रिसाव और बेड़े में प्रयोग किये जाने वाले भारी ईंधन, यथा – बंकर ईंधन का रिसाव अथवा किसी तैलीय अवशिष्ट का या अपशिष्ट तेल का रिसाव शामिल है.
- तेल रिसाव टैंकर से, अपतटीय मंच से, खुदाई उपकरणों से तथा कुओं इत्यादि से भी संभव है.
- **प्राकृतिक तेल रिसाव** से भी तेल समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करता है. कच्चा तेल और गैस कभी-कभी समुद्र तल की दरारों से निकलकर ऊपर आता है. सच्चाई तो यह है कि समुद्र के पर्यावरण में प्रतिवर्ष जितना तेल रिसाव होता है वह उसका आधा इन्हीं दरारों से आता है.

तेल रिसाव से जीवजन्तुओं को खतरा

1. मछलियां पानी के भीतर सांस नहीं ले सकतीं, तेल में लिपटी होने के कारण एक तरह से उनकी मूक मौत हो जाती है.
2. यह तेल जलीय जीवों को प्रभावित करने के साथ ही, इससे संबंधित पक्षियों के पंखों की संरचना में प्रवेश कर, उनकी उत्प्लावकता और भोजन की तलाश में तथा शिकारियों से बचने के लिये उनकी उड़ान क्षमताओं को भी कम करता है. उदाहरण के लिये, जब पक्षी चोंच से अपने परों को खुजाते हैं तो परों पर लगा हुआ तेल निगल जाते हैं, जिसके कारण उनके अंगों में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है तथा पाचन तंत्र में जलन होती है.

GS Paper 3 Source : The Economic Times

UPSC Syllabus : Economic growth; Employment

TOPIC : INDIA ATTRACTED HIGHEST EVER TOTAL FDI INFLOW DURING 2020-21

संदर्भ

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह 81.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है.

- हालाँकि, निवल आधार पर भारत में प्रत्यक्ष निवेश (अर्थात् भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या भारत से विदेशों में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निवल) में विगत वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में अत्यल्प (0-8%) वृद्धि हुई है.
- विदित हो कि सिंगापुर शीर्ष निवेशक है और गुजरात शीर्ष FDI गंतव्य है, जिसके उपरांत **महाराष्ट्र** का स्थान है.

FDI अंतर्वाह में वृद्धि का महत्त्व

- FDI सामान्यतया विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) की तुलना में अल्प अस्थिर होता है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रकृति में अल्पकालिक होता है.
- प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में योगदान देता है.
- श्रम और प्रबंधन कौशल में सुधार करता है.
- निवेश के बेहतर परिवेश का संकेत देता है.

इसी प्रकार की सुर्खियों में, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में केंद्र के अप्रत्यक्ष करों का योगदान 4 वर्षों के उपरांत प्रत्यक्ष करों से अधिक हो गया है. अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क (excise duty) संग्रह में वर्ष-दर-वर्ष 63 प्रतिशत की वृद्धि और सीमा शुल्क (excise duty) में 23 प्रतिशत वर्धन (YoY) के कारण हुई है.

GDP में प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2000-21 में कम होकर 15 वर्ष के निचले स्तर पर आ गई है. हालांकि, 12 वर्षों में पहली बार आयकर संग्रह निगम कर (corporation tax) संग्रह से अधिक था.

GS Paper 3 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Inclusive growth and issues arising from it.

TOPIC : NARCL AND ARC

संदर्भ

ऋणदाताओं द्वारा शुरुआत में 89,000 करोड़ रुपये के 22 खराब ऋण खातों को प्रस्तावित **'राष्ट्रीय आस्ति पुनर्संरचना कंपनी लिमिटेड'** (National Asset Reconstruction Company Ltd. – **NARCL**) में अंतरित करने का निर्णय लिया गया है. इससे ऋणदाताओं के लिए अपनी बैलेंस शीट को साफ़ करने में सहायता मिलेगी.

NARCL में अंतरित किए जाने वाले अशोध्य ऋणों की कुल राशि लगभग ₹2 ट्रिलियन होगी.

'राष्ट्रीय आस्ति पुनर्संरचना कंपनी लिमिटेड' (NARCL) क्या है?

ऋणदाताओं की तनावग्रस्त आस्तियों की जिम्मेवारी लेने के लिए प्रस्तावित बैड बैंक अर्थात् 'राष्ट्रीय आस्ति पुनर्संरचना कंपनी लिमिटेड' (National Asset Reconstruction Company Ltd. – NARCL) की स्थापना की घोषणा 2021-22 के बजट में की गई थी.

1. घोषणा के अनुसार, 500 करोड़ और उससे अधिक के बुरे ऋणों को सँभालने हेतु एक बैड बैंक (Bad Bank) की सथापना की जाएगी, तथा इसमें एक**'आस्ति पुनर्संरचना कंपनी'** (Asset Reconstruction Company- ARC) और एक **'आस्ति प्रबंधन कंपनी'** (Asset Management Company- AMC) भी शामिल होगी जो बेकार संपत्तियों का प्रबंधन और वसूली करेगी.
2. यह नई इकाई**सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से** स्थापित की जा रही है.

NARCL, विद्यमान 'आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों' (ARCs) से किस प्रकार अलग होगा?

1. चूँकि, यह विचार सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसका अधिकांश स्वामित्व, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के पास रहने की संभावना है, अतः इस प्रस्तावित बैड बैंक का स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का होगा.
2. आज की तिथि में, 'आस्ति पुनर्संरचना कंपनियां' आमतौर पर ऋणों पर भारी छूट चाहती हैं. चूंकि यह एक सरकारी पहल है, अतः प्रस्तावित बैड बैंक के साथ आकलन संबंधी मुद्दा नहीं होगा.
3. सरकार समर्थित 'आस्ति पुनर्संरचना कंपनी' के पास बड़े खातों को खरीदने के लिए पर्याप्त क्षमता होगी और इस प्रकार बैंकों के लिए इन बुरे खातों को अपने खाता-विवरण में रखने से मुक्त किया जाएगा.

'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी' (ARC) क्या है?

'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी' (Asset Reconstruction Companies- ARCs), ऐसे विशेष वित्तीय संस्थान होते है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 'गैर-निष्पादित आस्तियों' (Non Performing Assets- NPAs) खरीदते हैं, ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को साफ कर सकें.

1. इससे बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है.
2. बैंक, बकाएदारों पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय, 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी' (ARC) को पारस्परिक रूप से सहमत कीमत पर अपनी 'गैर-निष्पादित आस्तियों' (NPAs) को बेच सकते हैं.
3. 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी' अथवा 'एआरसी' (ARC), **आरबीआई के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं**.

कानूनी आधार

1. 'वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन' (**Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest** - SARFAESI) अधिनियम 2002, भारत में 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों' (ARCs) का गठन करने हेतु वैधानिक आधार प्रदान करता है.
2. SARFAESI अधिनियम न्यायालयों के हस्तक्षेप के बगैर 'गैर-निष्पादित अस्तियों' की पुनर्संरचना में सहायता करता है.
3. तब से, इस अधिनियम के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अधीन पंजीकृत बड़ी संख्या में ARCs का गठन किया गया है. आरबीआई के लिए ARCs को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है.

ARCS के लिये पूंजी आवश्यकताएँ

1. SARFAESI अधिनियम में, वर्ष 2016 में किये गए संशोधनों के अनुसार, किसी 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी' (ARC) के पास न्यूनतम 2 करोड़ रुपए की स्वामित्व निधि होनी चाहिये.
2. रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में इस राशि को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया था. 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी' के लिए अपनी जोखिम भारित आस्तियों /

परिसंपत्तियों के 15% का **पूंजी पर्याप्तता अनुपात** बनाए रखना आवश्यक है.

GS Paper 3 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, nano-technology, bio-technology and issues relating to intellectual property rights.

TOPIC : ETHANOL BLENDED PETROL PROGRAMME

संदर्भ

सरकार ने वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत **एथनॉल सम्मिश्रण** (90 प्रतिशत डीजल के साथ 10 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण) का लक्ष्य निर्धारित किया है. 20 प्रतिशत सम्मिश्रण का लक्ष्य पहले वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना था, जिसे बाद में वर्ष 2025 तक और अब वर्ष 2023 तक हासिल करना है.

निर्णय का सकारात्मक प्रभाव

- यह निर्णय निम्न उत्सर्जन के कारण पेरिस जलवायु सम्मेलन के लक्ष्यों को पूर्ण करने में मदद करेगा. ज्ञातव्य है कि एथनॉल अणु में ऑक्सीजन की उपस्थिति ईंधन के अधिक पूर्ण दहन में सहायक होती है.
- सरकार के इस निर्णय से अनेक कार्यों के लिए गन्ने की अधिक खपत में कमी आएगी.
- सम्बंधित कारखाने किसानों के बकाया गन्ना मूल्य को चुका सकेंगे और **एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम** के लिए अधिक एथनॉल की उपलब्धता बढ़ेगी.
- सभी डिस्टिलरी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी और अधिक से अधिक संख्या में डिस्टिलरी ईबीपी कार्यक्रम हेतु एथनॉल की आपूर्ति करेंगी.
- एथनॉल आपूर्तिकर्ताओं को समर्थन मिलने से गन्ना किसानों के बकाये में कमी आएगी और इस प्रक्रिया में गन्ना किसानों की मुश्किलों में कमी आएगी.
- B-Heavy शीरा/आंशिक गन्ना रस तथ 100% गन्ना रस से तैयार एथनॉल की खरीद के लिए ऊंचे मूल्य पेश किए जाने के कारण ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथनॉल की उपलब्धता पहली बार बढ़ेगी.
- यह महंगे तेल आयात में कटौती करने में भी सहायता करेगा.

लाभ

पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के कई लाभ हैं –

- इससे आयात पर निर्भरता में कमी आएगी.
- कृषि क्षेत्र को समर्थन मिलेगा
- पर्यावरण अनुकूल ईंधन उपलब्ध होगा
- प्रदूषण का स्तर कम होगा.
- किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी.

एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ETHANOL BLENDED PETROL : BSP) कार्यक्रम

- एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों के द्वारा होने वालीएथनॉल की खरीद की प्रक्रिया निर्धारित की है.
- इस योजना के तहत एथनॉल की खरीद अच्छे दामों पर की जायेगी जिससे सम्बंधित मिल गन्ना किसानों के बकायों का भुगतान करने में सक्षम हो जायेंगे.
- **C heavy** खांड़ (गुड़ का एक रूप) से बनने वाले एथनॉल का दाम ऊँचा होने तथा **B heavy** खांड़ एवं गन्ने के रस से उत्पन्न एथनॉल की खरीद की सुविधा के कारण EBP कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की उपलब्धता बहुत बढ़ने की संभावना है.
- पेट्रोल में एथनॉल मिलाने के कई लाभ हैं.
- इससे बाहर से पेट्रोल मंगाने की आवश्यकता में कमी तो आएगी ही, साथ ही इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा.
- यह ईंधन पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है क्योंकि इससे कम प्रदूषण होता है.

इथेनॉल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- इथेनॉल उत्पादन के लिए बी श्रेणी के भारी शीरे में बदलाव किया गया है तथा गन्ने के रस, चीनी और चाशनी से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति प्रदान की गई है.
- EBP कार्यक्रम के लिए इथेनॉल पर माल और सेवा कर (जीएसटी) में 18% से 5% की कमी की गई है.
- इथेनॉल उत्पादन क्षमता में संवर्धन और वृद्धि के लिए ब्याज अनुदान योजना (Interest Subvention Scheme) संचालित की गई है.
- इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर विभेदक इथेनॉल मूल्य प्रणाली आरंभ की गई है.

GS Paper 3 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Conservation and pollution related issues.

TOPIC : 'SEA SNOT' OUTBREAK IN TURKEY

संदर्भ

काला सागर को एजियन सागर से जोड़ने वाले तुर्की के मरमारा सागर में **'सी स्नॉट' (Sea Snot)** का सबसे बड़ा प्रकोप देखा जा रहा है. इस चिपचिपे पदार्थ को निकटवर्ती 'काले सागर (ब्लैक सी) और एजियन सागर में भी देखा गया है.

काला सागर

काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है जो दक्षिण-पूर्वी यूरोप, कॉकेशस और अनातोलिया के प्रायद्वीप (तुर्की) से घिरा है. अटलांटिक महासागर में यह भूमध्य और एजियन सागरों और विभिन्न जलडमरूमध्यों के माध्यम से जुड़ा हुआ है. इसमें बोस्पोरस की जलसंयोगी मारमरा सागर का नाम उल्लेखनीय है.

एजियन सागर

ईजियन सागरभूमध्य सागर का एक विस्तार है. यह दक्षिणी बाल्कान क्षेत्र और एनाटोलिया प्रायद्वीप के बीच में स्थित है, इस प्रकार ये यूनान और तुर्की के मध्य स्थित है. यह भूमध्य सागर की एक भुजा है जिसके पश्चिम में युनान और पूर्व में टर्की हैं. यह डार्डेनेल्स और बॉसपोरस जल-संयोजकों द्वारा मारमारा और काला सागर से जुड़ा है.

सी स्नॉट और उसका गठन

- यह समुद्री श्लेष्म (Marine Mucilage) है जो शैवालों में पोषक तत्त्वों की अति-प्रचुरता हो जाने पर निर्मित होती है.
- शैवालों में पोषक तत्त्वों की अति-प्रचुरता ग्लोबल वार्मिंग, जल प्रदूषण आदि के कारण गर्म मौसम होने पर होती है.
- यह एक चिपचिपा, भूरा और झागदार पदार्थ जैसा दिखता है.

चिंताएँ

समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा:

1. इससे बड़े पैमाने पर जलीय जीवों जैसे- मछली, कोरल, स्पंज आदि मर गये हैं.
2. यह अब समुद्र की सतह के साथ-साथ सतह से 80-100 फीट नीचे भी विस्तृत हो गया है जो और भी नीचे तक पहुँच सकता है तथा समुद्र तल को ढक सकता है.

मछुआरों की आजीविका प्रभावित:

1. मछुआरों के जाल में यह कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे इनके जाल भारी होकर टूट जाते हैं.
2. इसके अतिरिक्त कीचड़ वाला जाल मछलियों को दिखाई देता है जिससे वे दूर भागा जाती हैं.

पानी से जन्म लेने वाली बीमारियाँ:

यह इस्तांबुल जैसे शहरों में हैजा जैसी जल जनित बीमारियों के प्रकोप का कारण बन सकता है.

इसके प्रसार को रोकने हेतु तुर्की द्वारा उठाए जा रहे कदम

1. तुर्की ने संपूर्ण मरमरा सागर को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है.
2. तटीय शहरों और जहाजों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और अपशिष्ट जल-उपचार में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.
3. आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जा रही है.

GS Paper 3 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Conservation related issues.

TOPIC : GLACIERS OF THE HIMALAYAS : CLIMATE CHANGE, BLACK CARBON, AND REGIONAL RESILIENCE: WB

संदर्भ

विश्व बैंक ने "हिमालय के हिमनद: जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय प्रत्यास्थता" शीर्षक से रिपोर्ट निर्गत किया है. शोध पत्र के अनुसार **ब्लैक कार्बन** को कम करने के लिए मौजूदा नीतियों के पूर्ण कार्यान्वयन से 25% की कमी प्राप्त की जा सकती है, परन्तु नई नीतियों को लागू करने और देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से इन नीतियों को कार्यवाहियों में शामिल करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं.

रिपोर्ट में हिमालय, काराकोरम और हिंदूकुश पर्वत शृंखलाओं को सम्मिलित किया गया है. इसके अनुसार, हिमनद वैश्विक औसत हिम राशियों की तुलना में शीघ्रता से पिघल रहे हैं.

मुख्य तथ्य

- ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन, काष्ठ और अन्य ईंधन के अपूर्ण दहन से निर्मित होने वाले कणिकीय पदार्थ (particulate matter) का एक सक्षम जलवायु-तापन घटक है.
- यह कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के बाद **ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता** है.
- यह सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और वातावरण को गर्म करता है.
- यह एक अल्पकालिक प्रदूषक है और अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के विपरीत, ब्लैक कार्बन का शीघ्रता से क्षय हो जाता है.
- उत्सर्जन समाप्त होने की स्थिति में इसे वातावरण से उन्मूलित किया जा सकता है.

ब्लैक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए भारत के वर्तमान नीतिगत उपाय

- ईंधन दक्षता मानकों को बढ़ावा देने के लिए भारत स्टेज उत्सर्जन मानक अपनाए गए हैं.
- डीजल वाहनों को चरणबद्ध रूप से खत्म किया जा रहा है तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों का तेजी से अंगीकरण (फेम / FAME इंडिया) योजना आरंभ की गई है.
- भोजन पकाने के स्वच्छ तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए उज्ज्वला योजना संचालित की जा रही है.

GS Paper 3 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Awareness in the fields of IT, Space, Computers, robotics, nano-technology, bio-technology and issues relating to intellectual property rights.

TOPIC : CHIME TELESCOPE YIELDS UNPRECEDENTED RESULTS

संदर्भ

हाल ही में, **'कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट'** (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment- **CHIME**) के सहयोग से वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप के पहले FRB कैटलॉग में **'तीव्र रेडियो प्रस्फोटों'** (Fast Radio Bursts – **FRBs**) का सबसे बड़ा संग्रह एकत्रित किया है.

इसका महत्त्व

रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक 'तीव्र रेडियो प्रस्फोटों' (FRBs) को देख पाना एक दुर्लभ घटना माना जाता है. रेडियो खगोलविदों ने 'तीव्र रेडियो प्रस्फोट' को सर्वप्रथम वर्ष 2007 में देखा था, इसके बाद, CHIME प्रोजेक्ट से पहले, वैज्ञानिकों द्वारा अपने टेलीस्कोप में लगभग 140 'तीव्र रेडियो प्रस्फोटों' (FRBs) को ही देखा जा सका था.

फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या हैं?

- FRB रेडियो तरंगों के चमकदार विस्फोट होते हैं (रेडियो तरंगें बदलते चुंबकीय क्षेत्रों के साथ खगोलीय पिंडों द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं) जिनकी अवधि मिलीसेकंड-स्केल में होती है, जिसके कारण उनका पता लगाना और आकाश में उनकी स्थिति निर्धारित करना मुश्किल होता है.
- इसे पहली बार वर्ष 2007 में खोजा गया था.
- इनका एक परिभाषित लक्षण इनका फैलाव (बिखरना या पृथक्करण) है. इनके विस्फोट से रेडियो तरंगों का एक स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है और जैसे ही तरंगें पदार्थ के माध्यम से यात्रा करती हैं, ये उच्च रेडियो आवृत्तियों पर विस्फोट के साथ फैलती हैं, जो पहले की तुलना में दूरबीनों पर कम आवृत्तियों में आती हैं. कई अनुप्रयोगों में विशेष रूप से बड़ी दूरी पर फैलाव के परिणामस्वरूप सिग्नल में गिरावट हो सकती है.
- यह फैलाव शोधकर्त्ताओं को दो महत्त्वपूर्ण चीजों के बारे में जानने की अनुमति देता है. वे परोक्ष रूप से निर्धारित कर सकते हैं कि चीजें कितनी दूर हैं.

CHIME परियोजना

- यह एक नया रेडियो टेलीस्कोप है जिसमें कोई गतियुक्त भाग नहीं होता है. मूल रूप से ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्त्व हाइड्रोजन को देखने योग्य ब्रह्मांड का मानचित्रण करने के लिये इसकी कल्पना की गई थी, इस असामान्य दूरबीन को उच्च मानचित्रण गति हेतु अनुकूलित किया गया है.
- CHIME परियोजना में, ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, मैकगिल विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय और कनाडाई राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की 'डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी' की भागीदारी है.
- जैसे ही पृथ्वी घूमती है, टेलीस्कोप को आकाश के आधे भाग से प्रतिदिन रेडियो सिग्नल मिलते हैं.

GS Paper 3 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Conservation related issues.

TOPIC : HERITAGE TREES

संदर्भ

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा 10 जून, 2021 को **'धरोहर वृक्ष' (heritage trees)** की अवधारणा के लिए 'महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष सुरक्षा और संरक्षण अधिनियम, 1975' में संशोधन को मंजूरी दी गई.

'धरोहर वृक्ष' (HERITAGE TREES)

- प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत **50 वर्ष या उससे अधिक की अनुमानित आयु वाले वृक्ष को** धरोहर वृक्ष के रूप में परिभाषित किया जाएगा. यह विशिष्ट प्रजातियों से संबंधित हो सकता है, जिसे समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा.
- राज्य जलवायु परिवर्तन विभाग (अधिनियम कार्यान्वयन एजेंसी) धरोहर वृक्ष को परिभाषित करने में आयु के अलावा, एक पेड़ की दुर्लभता, उसके वानस्पतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी विचार करेगा.
- स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को धरोहर वृक्षों की गिनती के साथ-साथ हर पांच साल में वृक्षों की गणना सुनिश्चित करनी होगी.
- संशोधन के अनुसार यदि किसी पार्टी (संगठन) द्वारा धरोहर वृक्षों को गिराया जाता है तो क्षतिपूर्ति के तौर पर उसे धरोहर वृक्ष की आयु के बराबर पेड़ लगाने होंगे तथा सात साल तक वृक्षों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना होगा.

वृक्ष प्राधिकरण

1. प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, स्थानीय नगर निकायों और परिषदों में 'वृक्ष प्राधिकरण' (Tree Authority) का गठन किया जाएगा, जो वृक्षों के संरक्षण के संबंध में सभी निर्णय लेगा.
2. यह प्राधिकरण, हेरिटेज वृक्षों की गिनती के साथ-साथ, हर पांच साल में सभी वृक्षों की गणना भी सुनिश्चित करेगा.
3. वृक्ष प्राधिकरण को "शहरी क्षेत्रों में वृक्षावरण बढ़ाने और मौजूदा वृक्षों की सुरक्षा करने" का कार्य सौंपा गया है.

GS Paper 3 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Awareness in space.

TOPIC : EUROPEAN SPACE AGENCY'S ENVISION MISSION TO VENUS

संदर्भ

हाल ही में, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency-ESA) द्वारा **'एनविज़न'** (EnVision) को अपने अगले 'ऑर्बिटर' (Orbiter) के रूप में चुने जाने की घोषणा की गई है. इसे 2030 के दशक में किसी भी समय शुक्र ग्रह की यात्रा पर भेजा जाएगा.

'एनविज़न'

- इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना तथा इसके वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की निगरानी करना एवं ग्रह की सतही संरचना का विश्लेषण करना है.

- एनविज़न मिशन शुक्र ग्रह के लिये ESA के नेतृत्व वाले **वीनस एक्सप्रेस (2005-2014)** नामक दूसरे मिशन का अनुसरण करेगा जो वायुमंडलीय अनुसंधान पर केंद्रित है और ग्रह की सतह पर ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट के विषय में पता करेगा.
- इसे **वर्ष 2030** तक लॉन्च किये जाने की संभावना है. इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा. इस अंतरिक्षयान को शुक्र तक पहुँचने में लगभग 15 महीने लगेंगे और कक्षा की परिक्रमा पूरी करने में 16 महीने और लगेंगे.

शुक्र ग्रह के लिए अन्य मिशन

1. हाल ही में, नासा द्वारा, शुक्र ग्रह के लिए, डाविंसी प्लस (DAVINCI +) तथा वेरिटास (VERITAS) नामक दो मिशनों का चयन किया गया है.
2. इससे पहले, ESA के नेतृत्व में 'वीनस एक्सप्रेस' (Venus Express) (2005-2014) नामक एक मिशन भेजा गया था. इसका उद्देश्य वायुमंडलीय अनुसंधान करना और ग्रह की सतह पर ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट का पता लगाना था.
3. शुक्र ग्रह के लिए भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान, सोवियत संघ द्वारा विकसित 'वेनेरा सीरीज' (Venera series) का था, इसके बाद नासा के मैगलन (Magellan) मिशन (1990-1994) ने शुक्र ग्रह का अध्ययन किया.
4. फ़िलहाल, जापान का अकात्सुकी मिशन (Akatsuki mission) अपनी कक्षा से शुक्र ग्रह का अध्ययन कर रहा है.

शुक्र (VENUS) ग्रह के बारे में

- यह ग्रहों में पृथ्वी के निकटतम (nearest to the earth) है.
- यह सौरमंडल में सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पर है.
- यह "शाम का तारा- evening star" और "सुबह का तारा- morning star" के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध है.
- यह सबसे गर्म ग्रह है (hottest planet) —*लोग बुध को सबसे गर्म ग्रह मानने की गलती कर देते हैं क्योंकि वह सूर्य के सबसे नजदीक है.*
- यहाँ रात तथा दिन के तापमान (temperature) लगभग समान होते हैं.
- शुक्र ग्रह के **वायुमंडल** में 90-95 % CO2 है.
- इसका कोई उपग्रह (satellite) नहीं है.
- इसे पृथ्वी की बहन (sister planet of the earth) भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी और शुक्र के कई लक्षण (features) एक समान हैं (भार, आकार etc)…
- यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है.
- इसके चारों और Sulfuric Acid के जमे हुए बादल हैं.

GS Paper 3 Source : PIB

UPSC Syllabus : Various Security forces and agencies and their mandate.

TOPIC : DEFENCE MINISTRY RELEASES E-BOOKLET ON 20 MOD REFORMS IN 2020

संदर्भ

हाल ही में रक्षा मंत्री ने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक ई-पुस्तिका निर्गत की है. सुधारों का उद्देश्य नीतिगत परिवर्तन, नवाचार एवं डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से सशस्त्र बलों में अधिक सामंजस्य और आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करना है.

किए गए प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं :-

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और सैन्य कार्य विभाग (DMA)

CDS का पद सशस्त्र बलों के बीच दक्षता और समन्वय बढ़ाने तथा दोहराव को कम करने के लिए निर्मित किया गया था, जबकि बेहतर नागरिक-सैन्य एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए सैन्य कार्य विभाग (DMA) की स्थापना की गई थी.

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 का अनावरण, आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण, घरेलू पूंजी अधिग्रहण के लिए पृथक बजटीय आवंटन, देश में नई प्रौद्योगिकी का विकास {पिनाका रॉकेट सिस्टम, आईडेक्स (iDEX) चैलेंज 4 आदि}, कई रक्षा उपकरण वस्तुओं का आयात बंद आदि सुधार किए गए हैं. स्वचालित मार्ग से 74 प्रतिशत तक और सरकारी (अनुमोदन) मार्ग से 74 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति प्रदान की गई है.

रक्षा अधिग्रहण में आधुनिकीकरण और वर्धित पारदर्शिता

विगत वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में 10% बजट वृद्धि हुई.

नीतिगत सुधार: सितंबर 2020 में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया का अनावरण किया गया और अक्टूबर 2020 में DRDO खरीद नियमावली में संशोधन किया गया है.

रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सुधार

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया. DRDO ने डिजाइन और विकास आदि में उद्योग के साथ भागीदारी की.

सशस्त्र बलों में स्त्री शक्ति

शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान कर दिया गया. भारतीय नौसेना में सर्वप्रथम पायलट के रूप में महिलाओं को सम्मिलित किया गया. शैक्षणिक सत्र 2020-21 से सभी सैनिक स्कूल छात्राओं के लिए खोल दिए गए.

अन्य

दूरस्थ स्थानों तक: की पहुंच का विस्तार किया गया है. एक नए सहायक अवतार में रक्षा कूटनीति: भारतीय रक्षा बल संकट में फंसे मित्र देशों की सहायता करते हैं. भारत पहली बार रक्षा उपकरण निर्यातक देशों की सूची में (84 से अधिक देशों में निर्यात का विस्तार) शामिल हुआ.

GS Paper 3 Source : PIB

UPSC Syllabus : Food security related issues.

TOPIC : NATIONAL FOOD SECURITY ACT

संदर्भ

हाल ही में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए बताया किया है, कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने, बिना राशन कार्ड वाले प्रवासियों और **'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (NFSA)** के अंतर्गत प्रदान किए गए खाद्य-सुरक्षा दायरे से बाहर के व्यक्तियों को खाद्यान्न-आपूर्ति करने के लिए, इस साल **'भारतीय खाद्य निगम' (FCI)** से रियायती दरों पर लगभग 3.7 लाख टन खाद्यान्न खरीदा है.

इसके साथ ही, केंद्र-सरकार ने अदालत में उठाई गई उन आशंकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमे कहा गया था, कि बिना राशन कार्ड वालों को विनाशकारी महामारी के बीच मरने के लिए छोड़ दिया जा सकता है.

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि "बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों तक भोजन किस प्रकार पहुँचाया जाएगा".

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

NFSA, "पात्र परिवारों" से संबंधित व्यक्तियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System – TPDS) के अंतर्गत **केंद्रीय निर्गम मूल्य** (Central Issue Price: CIP) पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है.

मुख्य बिंदु

- वर्तमान CIP के अंतर्गत चावल 3 रुपये/किलो, गेहूँ 2 रुपये/किलो और मोटा अनाज 1 रुपये/किलो की दर से दिए जाते हैं.
- योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या (कुल 81.35 करोड़ व्यक्ति) को शामिल किया गया है. ये लाभार्थी वर्ष 2013 से सम्मिलित हुए थे.

पात्र परिवार

- **प्राथमिक परिवार:** ये परिवार हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं.
- **अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत**: समान मूल्य पर प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति को दिया जाता है.

नीति आयोग द्वारा संशोधित सुझाव

- ग्रामीण जनसंख्या के मौजूदा कवरेज को 75% से घटाकर 60% और शहरी जनसंख्या के वर्तमान कवरेज को 50% से घटाकर 40% तक करना.
- यदि राष्ट्रीय कवरेज अनुपात को नीचे की ओर संशोधित किया जाता है, तो केंद्र 47,229 करोड़ रुपये तक की बचत कर सकता है.
- कवरेज में कोई परिवर्तन नहीं करने पर 14,800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी की जरूरत होगी (लाभार्थियों की संपूर्ण संख्या में वृद्धि के कारण).

केंद्रीय निर्गम मूल्यों में संशोधन

केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIPs) को अधिनियम लागू होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया था. हालांकि, केंद्र द्वारा इसमें संशोधन किया जाना अभी शेष है.

GS Paper 3 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Infrastructure- waterways.

TOPIC : INLAND VESSELS BILL

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **'अंतर्देशीय पोत विधेयक'**, 2021 (**Inland Vessels Bill, 2021**) को स्वीकृति दे दी है. यह विधेयक **'अंतर्देशीय पोत अधिनियम', 1917** को प्रतिस्थापित करेगा.

इस विधेयक में अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करने से सम्बंधित प्रावधान किये गए हैं.

विधेयक की विशेषताएँ

- अंतर्देशीय पोत विधेयक की मुख्य विशेषता विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए पृथक्-पृथक् नियमों के बदले **अखिल देश के लिये एक संयुक्त कानून** का प्रावधान करना है.
- प्रस्तावित कानून के अंतर्गत दिया गया **पंजीकरण प्रमाण पत्र** सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में मान्य होगा तथा इसके लिये राज्यों से अलग से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं होगी.
- विधेयक में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत, पोत पंजीकरण, चालक दल के विवरण दर्ज करने हेतु एक केंद्रीय डेटाबेस का प्रावधान है.
- सभी **गैर-यांत्रिक रूप से चालित जहाज़ों** को ज़िला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित कराना होगा.
- यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित ज्वारीय जल सीमा और राष्ट्रीय जलमार्गों को सम्मिलित करते हुए '**अंतर्देशीय जल**' की परिभाषा को व्यापक बनाता है.
- यह विधेयक अंतर्देशीय जहाज़ों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों से भी संबंधित है तथा केंद्र सरकार को रसायनों, पदार्थों आदि की सूची को प्रदूषकों के रूप में नामित करने का निर्देश देता है.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) एक वैधानिक प्राधिकरण है जो 27 अक्टूबर, 1986 में अस्तित्व में आया था. यह भारत में जलमार्ग का काम देखता है.
- इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के**नोयडा** शहर में स्थित है.
- यह जलमार्गों में आवश्यक निर्माण कार्य करता है तथा साथ ही नई परियोजनाएँ आर्थिक रूप से हाँथ में लेने लायक हैं या नहीं इसकी जाँच करता है.

भारत में 'अंतर्देशीय जल परिवहन' (Inland Water Transport-IWT)

1. भारत में नौगम्य जलमार्ग की लम्बाई लगभग **14,500 किलोमीटर** हैं, और इसमें नदियाँ, नहरें, अप्रवाही जल या बैकवाटर (Backwaters), खाड़ियाँ आदि शामिल हैं.
2. **अंतर्देशीय जल परिवहन** (IWT) एक ईंधन-किफायती और पर्यावरण अनुकूल परिवहन माध्यम है.
3. राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार, **111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग** (National Waterways- NW) घोषित किया गया है.
4. **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)** द्वारा, विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से, गंगा के हल्दिया-वाराणसी विस्तार (राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)-1 का भाग) पर नौपरिवहन क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग ₹5369.18 करोड़ की लागत के साथ जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) का कार्यान्वयन किया जा रहा है.

GS Paper 3 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Indigenization of technology and developing new technology.

TOPIC : DEEP OCEAN MISSION

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा काफी समय से लंबित **'गहरे समुद्र अभियान' (Deep Ocean Mission)** के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है.

विदित हो कि **भारत के 'डीप ओशन मिशन'** (Deep Ocean Mission) के तहत, 35 साल पूर्व ISRO द्वारा शुरू किये गए अंतरिक्ष अन्वेषण की भांति, गहरे महासागर में अन्वेषण करने का प्रस्ताव किया गया है.

यह मिशन, गहरे समुद्र में खनन, समुद्री जलवायु परिवर्तन संबंधी सलाहकारी सेवाओं, अन्तर्जलीय वाहनों एवं अन्तर्जलीय रोबोटिक्स संबंधी प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा.

DOM अभियान के मुख्य तत्त्व

इस अभियान में इन विषयों पर बल दिया जाएगा – गहन समुद्र खनन (deep-sea mining), सामुद्रिक जलवायु में परिवर्तन विषयक पूर्वसूचना सेवाएँ (ocean climate change advisory services), समुद्र-तल से नीचे चलने वाले वाहन (underwater vehicles) एवं समुद्र-तल के भीतर रोबोटिक तकनीक प्रयोग (underwater robotics related technologies).

इसके अतिरिक्त इस अभियान के **दो प्रमुख परियोजनाएँ हैं** – ज्वारीय ऊर्जा से संचालित समुद्री जल से लवण को दूर करने वाले एक संयंत्र का निर्माण तथा एक ऐसा वाहन बनाना जो समुद्र-तल के कम से कम 6000 मीटर भीतर जाकर अन्वेषण कार्य सकेगा.

अभियान का महत्त्व

गहन समुद्र अभियान (Deep Ocean Mission – DOM) से भारत ऐसी क्षमता विकसित कर सकेगा जिससे कि वह केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन (***Central Indian Ocean Basin – CIOB)*** में उपलब्ध संसाधनों का दोहन कर सके.

ज्ञातव्य है **संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (*International Seabed Authority*) ने भारत को केन्द्रीय हिन्द महासागर बेसिन (*Central Indian Ocean Basin – CIOB)* के अन्दर 75,000 वर्ग किलोमीटर आवंटित किया है.** यह आवंटन इस क्षेत्र में बहु-धात्विक अयस्कों (***Polymetallic nodules*** – **PMN**) की खोज करने के लिए दिया गया है. इस बेसिन में लोहा, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुओं का 380 मिलियन मेट्रिक टन का भंडार हैं.

क्षमता

अनुमान है कि यदि भारत इन भंडारों के 10% भाग का भी दोहन कर ले तो देश की अगले 200 साल की ऊर्जा आवश्यकताएँ पूरी हो जायेंगी.

सम्भावनाएँ

भारत को **मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB)** में **पॉली-मेटैलिक नॉड्यूल्स (Polymetallic nodules– PMN)** अन्वेषण के लिये **संयुक्त राष्ट्र सागरीय नितल प्राधिकरण (UN International Sea Bed Authority for exploration)** द्वारा 75,000 वर्ग किलोमीटर का आवंटन किया गया है.

1. मध्य हिंद महासागर बेसिन क्षेत्र में **लोहा, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुओं के भण्डार** हैं.
2. अनुमानित है कि, इस विशाल भण्डार के केवल **10% दोहन से भारत की अगले 100 सालों के लिए ऊर्जा की जरूरत पूरी हो सकती है.**

PMN क्या होता है?

बहु-धात्विक अयस्क, (***Polymetallic nodules*** – **PMN**) जिसे **मैंगनीज नोड्यूल** भी कहते हैं, एक आलू के आकर का छिद्रमय अयस्क होता है जो पूरे विश्व में समुद्र-तल बहुत ही सघनता से पाया जाता है. इनमें मैंगनीज के साथ-साथ लोहा, निकल, तांबा, कोबाल्ट, रांगा, मोलिब्डेनम, कैडमियम, वैनेडियम, टाइटेनियम आदि होते हैं. इनमें से निकल, कोबाल्ट और तांबे का बहुत ही बड़ा आर्थिक एवं रणनीतिक महत्त्व है.

अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) क्या है?

यह एक संयुक्त राष्ट्र (UN) का निकाय है जिसकी स्थापना **समुद्रों के अंतर्राष्ट्रीय भागों में उपलब्ध अजैव संसाधनों के अन्वेषण तथा दोहन को नियंत्रित** करने के लिए की गई थी. गत वर्ष भारत इस प्राधिकरण की परिषद् का फिर से सदस्य चुना गया था. इसके अलावा इस निकाय के अधीनस्थ विधिक एवं तकनीकी आयोग तथा वित्तीय समिति में भारत के प्रतिनिधियों का चयन हुआ था.

पॉली-मेटैलिक नॉड्यूल्स (PMN)

1. पॉली-मेटैलिक नॉड्यूल्स (जिन्हें **मैंगनीज नॉड्यूल** भी कहा जाता है) आलू के आकार के तथा प्रायः छिद्रयुक्त होते हैं. ये विश्व महासागरों में गहरे समुद्र तलों पर प्रचुर मात्रा में बिछे हुए पाए जाते हैं.
2. **अवगठन**: पॉली-मेटैलिक नॉड्यूल्स में मैंगनीज और लोहे के अलावा, निकल, तांबा, कोबाल्ट, सीसा, मोलिब्डेनम, कैडमियम, वैनेडियम, टाइटेनियम पाए जाते है, जिनमें से निकल, कोबाल्ट और तांबा आर्थिक और सामरिक महत्त्व के माने जाते हैं.

GS Paper 3 Source : Indian Express

UPSC Syllabus : Role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security.

TOPIC : UNLAWFUL ACTIVITIES PREVENTION ACT

संदर्भ

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities Prevention Act- UAPA), 1967 की एक अन्य रूप से "अस्पष्ट" **धारा 15** की रूपरेखा को परिभाषित करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक निर्णय देते हुए, **अधिनियम की धारा 18, 15, 17** को लागू करने पर कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं.

संबंधित प्रकरण

नागरिकता विरोधी (संशोधन) अधिनियम, 2019 का विरोध के दौरान किसी "बड़ी साजिश" का हिस्सा होने के आरोपों का सामना करने वाले, दिल्ली-दंगों के आरोपियों को जमानत देते समय यह मुद्दा सामने आया. इनमें से कुछ विरोध-प्रदर्शन हिंसक रूप में परिवर्तित हो गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर-पूर्वी दिल्ली में कई मौतें हो गयी थीं.

UAPA की धारा 15, 17 और 18

1. यूएपीए ऐक्ट के सेक्शन 15 के अनुसार भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी तबक़े में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य 'आतंकवादी कृत्य' है.
2. धारा 17 के तहत आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाने पर दण्डित करने का प्रावधान किया गया है.
3. धारा 18, के अंतर्गत 'आतंकवादी कृत्य करने हेतु साजिश आदि रचने' या आतंकवादी कृत्य करने हेतु तैयारी करने वाले किसी भी कार्य' संबंधी अपराधों के लिए आरोपित किया जाता है.

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम क्या है?

- यह कानून भारत में गैरकानूनी कार्य करने वाले संगठनों की कारगर रोकथाम के लिए बनाया गया है.
- इसका मुख्य उद्देश्य देश विरोधी गतिविधियों के लिए कानूनी शक्ति का प्रयोग करना है.
- इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई राष्ट्रद्रोही आन्दोलन का समर्थन करता है अथवा किसी विदेशी देश द्वारा किये गये भारत के क्षेत्र पर दावे का समर्थन करता है तो वह अपराध माना जाएगा.
- UAPA 1967 में पारित हुआ था. बाद में यह पहले 2008 में और फिर 2012 में संशोधित हुआ था.

न्यायालय द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियां

1. "आतंकवादी अधिनियम" (Terrorist Act) को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.
2. न्यायालय ने 'हितेंद्र विष्णु ठाकुर मामले' में सर्वोच्च न्यायालाय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि, 'आतंकवादी गतिविधियां' वे होती हैं, जिनसे निपटना, सामान्य दंड कानूनों के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता से बाहर होता है. .
3. हर आतंकवादी एक अपराधी हो सकता है लेकिन हर अपराधी को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता (हितेंद्र विष्णु ठाकुर निर्णय).
4. आतंकवादी कृत्यों की तुलना, राज्य में सामान्य कानून व्यवस्था की समस्या से नहीं की जानी चाहिए.
5. "आतंकवादी अधिनियम" को आईपीसी के तहत पारंपरिक अपराधों के अंतर्गत आने वाले मामलों में लापरवाही से लागू नहीं किया जा सकता है.

मेरी राय – मेंस के लिए

"यूएपीए में 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा अस्पष्ट है और 'आकंतवादी कृत्य' का प्रयोग किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए नहीं किया जा सकता, विशेषतः ऐसे कृत्यों के लिए, जिनकी परिभाषा पहले से अन्य क़ानूनों में तय है."

इसे "भारत की रक्षा' पर गहन प्रभाव के मामलों से निपटने के लिए बनाया गया था, ये इससे कम या ज्यादा कुछ नहीं है. आतंकवाद को अन्य अपराधों से अलग करना होगा, भले ही वे अपनी प्रकृति और सीमा में कितने भी "गंभीर या जघन्य" क्यों न हो. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, और जैसा कि अक्सर कहा जाता है, सभी आतंकवादी अपराधी होते हैं लेकिन सभी अपराधी आतंकवादी नहीं होते. जब कड़े क़ानूनी दंड का प्रावधान हो तो विशेष सावधानी बरतकर सब चीज़ों को समझना चाहिए. आतंकवाद, बढ़ी हुई अराजकता और हिंसा का परिणाम है. क़ानून व्यवस्था को बिगाड़ने से ही आतंकवादी गतिविधि नहीं होती. यह ऐसी गतिविधि होनी चाहिए, जिससे निपटने में क़ानूनी एजेंसियाँ सामान्य क़ानूनों को असमर्थ पाएँ.

ऐसे में अदालत को यूएपीए के सेक्शन 15 में प्रयोग 'आतंकवादी कृत्य' शब्दावली को इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए वरना इस बेहद घृणित अपराध की गंभीरता ख़त्म हो जाएगी.

GS Paper 3 Source : Down to Earth

UPSC Syllabus : Conservation related issues.

TOPIC : BARRIER TO CYCLONE STORMS: ODISHA PLANS TO PLANT MANGROVES ALONG ITS COAST

संदर्भ

हाल ही में, **ओडिशा** सरकार द्वारा समुद्र तटीय क्षेत्र में **मैंग्रोव** और कैसुरीना का वृक्षारोपण करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है. हाल ही में आये चक्रवात यास के दौरान मैंग्रोव वनों ने भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान में चक्रवाती हवाओं के प्रति एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य किया था.

पृष्ठभूमि

ओडिशा, अपनी विशिष्ट भू-जलवायु अवस्थिति के कारण चक्रवात, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखे जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रति काफी सुभेद्य रहता है.

मैंग्रोव क्या होता है?

मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय वनों और जलीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है. यह लवण-सहिष्णु वनस्पति है, जो नदियों और ज्वारनदमुखों के अंतर्ज्वारिय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है.

मैंग्रोव से प्राप्त होने वाले लाभ

तटीय संरक्षण (Coastal protection): मैंग्रोव वन तटों को मजबूत आधार प्रदान करते हैं तथा तूफान, समुद्री जल धाराओं, तरंगों और ज्वार से होने वाले क्षरण को भी कम करने में सहायता करते हैं.

जलवायु विनियमन (Climate regulation): मैंग्रोव वनों में वस्तुतः स्थलीय वनों (terrestrial forests) की तुलना में चार गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता मौजूद है.

जल निस्यंदन (Water filtration): 2-5 हेक्टेयर मैंग्रोव की सहायता से 4 हेक्टेयर जलीय कृषि (aquaculture) के अपशिष्ट जल का निस्तारण किया जा सकता है.

मत्स्यन (Fisheries): मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में 3000 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं.

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme) के नैरोबी अभिसमय (Nairobi Convention) द्वारा पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के लिए मैंग्रोव पारितंत्र पुनर्स्थापन (Mangrove Ecosystem Restoration) पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इन अभिसमय का उद्देश्य स्वस्थ नदियों, तटों और महासागरों के साथ एक समृद्ध पश्चिमी हिंद महासागरीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है. हालांकि, भारत इस अभिसमय का पक्षकार नहीं है.

मैंग्रोव संरक्षण के उपाय

- सुंदरबन के कुछ हिस्सों को कानूनी तौर पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों (विशेष रूप से बाघ संरक्षण) के रूप में संरक्षित किया गया है.
- वैज्ञानिकों ने नीदरलैंड की तर्ज़ पर समुद्रतटीय मृदा के कटाव को रोकने हेतु डाइकों (Dikes) के निर्माण का सुझाव दिया है.
- सुंदरबन को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया जाना एक सकारात्मक कदम है. यह कन्वेंशन नमभूमि (Wetlands) और उनके संसाधनों के संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ढाँचा उपलब्ध कराता है.
- सुभेद्यता के अनुसार सुंदरबन को विभिन्न उपक्षेत्रों में विभाजित कर प्रत्येक के लिये एक निर्देशित समाधान कार्यक्रम अपनाया जाना चाहिये.
- इस क्षेत्र में नदियों के अलवणीय जल की मात्रा में वृद्धि के उपाय किये जाने चाहिये.

मानवीय कारणों से होने वाले निम्नीकरण को रोकने के लिये-

- स्थानीय समुदायों को जागरूक करना एवं उनकी समस्याओं के लिये वैकल्पिक समाधानों को लागू करना.
- सामान्य पर्यटन की जगह जैव-पर्यटन (Eco-Tourism) को बढ़ावा देना.
- वनोन्मूलन (Deforestration) पर रोक एवं वनीकरण को बढ़ावा देना.
- संकटग्रस्त जीवों एवं वनस्पतियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना.
- जैव-तकनीक के माध्यम से मैंग्रोव का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन.

GS Paper 3 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Infrastructure

TOPIC : INTEGRATED POWER DEVELOPMENT SCHEME

संदर्भ

हाल ही में, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की **'एकीकृत विद्युत विकास योजना'** (इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम) के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन में 50 किलोवॉट पॉवर क्षमता के सोलर रूफ टॉप प्लांट का उद्घाटन किया गया.

यह परियोजना भारत सरकार की 'शहरी वितरण योजना' में परिकल्पित सरकार की 'गो ग्रीन' (Go Green) पहल को और सुदृढ़ करेगी.

एकीकृत विद्युत विकास योजना (INTEGRATED POWER DEVELOPMENT SCHEME: IPDS)

वर्ष 2015 में विद्युत मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना में सुधार और विद्युत आपूर्ति में स्मार्ट मीटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली लागू करने हेतु एकीकृत विद्युत विकास योजना (Integrated Power Development Scheme: IPDS) का प्रारंभ किया गया था.

उद्देश्य

इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को दृढ़ करना.
- शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर / फीडर / उपभोक्ताओं का मीटरीकरण करना.
- वितरण क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमता और पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (R-APDRP) के अंतर्गत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ता प्रदान करना.

यह योजना समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों (Aggregate Technical & Commercial losses: AT&C) में कमी करने; सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम ऊर्जा लेखांकन/ लेखा परीक्षा प्रणाली की स्थापना करने, मीटर के अनुसार विद्युत् की खपत के आधार पर बिल में गणना की गई ऊर्जा में सुधार और संग्रह दक्षता में सुधार करने में सहायता प्रदान करेगी.

GS Paper 3 Source : Times of India

UPSC Syllabus : Infrastructure

TOPIC : INDIRA GANDHI NAGAR

संदर्भ

हाल ही में **देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गाँधी नहर** के मरम्मत के कार्य को 60 दिनों के रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया. यह उल्लेखनीय कार्य है कि क्योंकि नहर की 70 किमी लम्बे भाग की मरम्मत के लिए जल की आपूर्ति को रोकना पड़ा जिससे 1.75 करोड़ लोगों की सिंचाई एवं पल आपूर्ति बाधित हुई.

इंदिरा गाँधी नहर के बारे में

- इंदिरा गाँधी नहर को **'राजस्थान नहर'** के नाम से भी जाना जाता है.
- यह मुख्यत: उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में बहती है.
- राजस्थान नहर सतलज और रावी के संगम पर निर्मित हरिके बांध से निंकाली गई यह नहर पंजाब व राजस्थान को जल की आपूर्ति करती है.
- यह नहर राजस्थान की नही एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है जिसकी कुल लम्बाई 649 किलामीटर लम्बी है.
- इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केन्द्रीय गह मंत्री श्री गोविन्द वललभ पंत ने किया था तथा 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया.
- इंदिरा गाँधी नहर के प्रणता इंजीनियर श्री कंवरसेन थे.
- इस परियोजना को राज्य की मरूगंगा, मरूस्थल की जीवनरखा व प्रदेश की जीवनरेखा भी कहाँ जाता है.
- यह नहर 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती हैं.
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा की और पश्चिम में ढाल होने के कारण मुख्य नहर से 7 लिफ्ट नहर, 9 शाखाएँ निकाली गई हैं.
- लिफ्ट नहरें ढाल के अनुरूप बनाई गई है, जिससे विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध होता है.

GS Paper 3 Source : PIB

UPSC Syllabus : Issues of buffer stocks and food security

TOPIC : FOOD SECURITY (ASSISTANCE TO STATE GOVERNMENT RULES) 2015 AMENDED)

संदर्भ

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** के तहत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का वितरण सही मात्रा में सुनिश्चित करने के लिए 18 जून 2021 को एक अधिसूचना निर्गत की है.

सरकार के अनुसार, इन संशोधनों का उद्देश्य, NFSA के अंतर्गत ''लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (TPDS) के संचालन में पारदर्शिता और सुधार के जरिये **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 की धारा 12** में परिकल्पित सुधार प्रक्रिया को और भी आगे बढ़ाना है.

महत्त्व

- इस संशोधन का ध्येय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी वाले खाद्यान्नों का उचित मात्रा में वितरण सुनिश्चित करना है.
- यह संशोधन उन राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जो ईपीओएस (ePoS) का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं और दूसरे राज्यों को ईपीओएस संचालन की दक्षता में सुधार करने तथा बचत अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.

मुख्य संशोधन

संशोधन के अनुसार, ऐसे राज्य जो अपने ईपीओएस उपकरणों को विवेकपूर्ण तरीके से संचालित कर रहे हैं और 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत में वृद्धि करने में सक्षम हैं, वे अब अपनी बचत का उपयोग, इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू के क्रय, संचालन और इसके रख-रखाव करने में तथा बिक्री के लिए **पॉइंट ऑफ सेल्स (ePoS) उपकरणों** के साथ इनका एकीकरण करने के लिए कर सकते हैं.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

NFSA, "पात्र परिवारों" से संबंधित व्यक्तियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System – TPDS) के अंतर्गत **केंद्रीय निर्गम मूल्य** (Central Issue Price: CIP) पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है.

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत कवरेज और पात्रता: TPDS के अंतर्गत 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की एक-समान हकदारी के साथ 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी जनसंख्या को कवर किया जाएगा. हालांकि, वर्तमान अंत्योदय अन्न योजना (AAY) में सम्मिलित निर्धनतम परिवारों की 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की हकदारी सुनिश्चित रखी जाएगी.

टीपीडीएस के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त मूल्य और उनमें संशोधन: इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष के समय के लिए टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न अर्थात् चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमश: 3/2/1 रूपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा. तदुपरान्त इन मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ उचित रूप से जोड़ा जाएगा.

परिवारों की पहचान: टीपीडीएस के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित कवरेज के दायरे में पात्र परिवारों की पहचान संबंधी कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा.

महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण सहायता: गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा 6 माह से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित पौषणिक मानदण्डों के अनुसार भोजन के हकदार होंगे. 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च स्तर के पोषण संबंधी मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं.

महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता: 6 महीने से 14 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और मिड-डे मील (MDM) योजनाओं के तहत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुसार भोजन का अधिकार होगा. 6 वर्ष की आयु तक के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किये गए है.

मातृत्व लाभ: गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6,000 रु. का मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाएगा.

महिला सशक्तीकरण: राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा.

शिकायत निवारण तंत्र: जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा.

खाद्यान्न की रखरखाव व परिवहन लागत तथा उचित मूल्य की दुकान (FPS) व्यापारियों का लाभ:

राज्य के भीतर खाद्यान्न के परिवहन पर खर्च, इसके रखरखाव तथा उचित मूल्य की दुकान (FPS) व्यापारियों के लाभ को इस प्रयोजन हेतु तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, तथा उपरोक्त व्यय को पूरा करने के राज्यों केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी.

पारदर्शिता और जवाबदेही: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु, पीडीएस, सामाजिक लेखापरीक्षा और सतर्कता समितियों के गठन से संबंधित रिकॉर्ड को दिखाए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं.

खाद्य सुरक्षा भत्ता: उपयुक्त खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में, लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान किया गया है.

दंड अथवा जुर्माना: यदि कोई लोक सेवक या प्राधिकरण, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा अनुशंसित राहत सहायता प्रदान करने में विफल रहता है, तो प्रावधान के अनुसार राज्य खाद्य आयोग द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा.

GS Paper 3 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Conservation related issues.

TOPIC : UNESCO TO DOWNGRADE STATUS OF GREAT BARRIER REEF

संदर्भ

हाल ही में, 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization- UNESCO) अर्थात यूनेस्को द्वारा 'ग्रेट बैरियर रीफ' (Great Barrier Reef) को '**संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल' (In Danger World Heritage Sites) सूची** में शामिल करने की सिफारिश की गई है.

यूनेस्को ने इस निर्णय का कारण, 'ग्रेट बैरियर रीफ' में प्रवालों का नाटकीय रूप से क्षय होना बताया गया है.

वर्तमान में विवाद का विषय

हालाँकि, ऑस्ट्रेलिया ने यूनेस्को के इस कदम का विरोध किया है, और यह निर्णय, इस अनुप्रतीकात्मक स्थल (iconic site) के संस्थिति / दर्जे को लेकर यूनेस्को और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के मध्य चल रहे विवाद का एक हिस्सा है.

- वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा पहली बार "संकटग्रस्त' / 'खतरे में' दर्जे पर बहस करने के बाद, कैनबरा ने प्रवाल-भित्ति के स्वास्थ्य में सुधार हेतु 3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (1 बिलियन पौंड; 2 बिलियन डॉलर) से अधिक व्यय करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी.
- हालाँकि, पिछले पाँच वर्षों में रीफ (भित्ति) को कई विरंजन (Bleaching) घटनाओं का सामना करना पड़ा, जिसकी कारण बड़ी मात्रा में प्रवाल नष्ट हुए हैं.
- वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रवाल-विरंजन की इन घटनाओं का मुख्य कारण, जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले वैश्विक उष्मन (ग्लोबल वार्मिंग) की वजह से समुद्र के तापमान में वृद्धि होना है.

ऑस्ट्रेलिया का कार्बन उत्सर्जन

कोयला-जनित विद्युत् पर ऑस्ट्रेलिया की निर्भरता के कारण, यह इसको विश्व में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देशों में सम्मिलित है. ऑस्ट्रेलिया में रूढ़िवादी सरकार द्वारा देश के जीवाश्म ईंधन उद्योगों का लगातार समर्थन किया जाता रहा है, इसके लिए सरकार, उत्सर्जन पर कड़ी कार्यवाही करने से रोजगार पर असर पड़ने का तर्क देती रही है.

संकटग्रस्त स्थल (ENDANGERED SITES) क्या होते हैं?

- यदि विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किसी स्थल पर सशस्त्र संघर्ष और युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, प्रदूषण, अवैध शिकार अथवा अनियंत्रित नगरीकरण अथवा मानव विकास से खतरा उत्पन्न होता है तो उस स्थल को संकटग्रस्त विश्व धरोहरों की सूची में डाल दिया जाता है.
- ऐसा करने का उद्देश्य यह होता है कि पूरे विश्व में इन खतरों के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाए और उनके प्रतिकार के लिए उपाय करने को प्रोत्साहन मिले. खतरों को दो भागों में बाँट सकते हैं – पहले भाग में वे खतरे हैं जो सिद्ध हो चुके हैं और दूसरे भाग में वे खतरे हैं जो संभावित हैं.

UNESCO प्रतिवर्ष संकटग्रस्त सूची के स्थलों के संरक्षण के बारे में जानकारी लेता रहता है. समीक्षोपरान्त सम्बंधित समिति अतिरिक्त कदम उठाने का अनुरोध कर सकती है. चाहे तो वह उस स्थल को सूची से इस आधार पर निकाल दे कि खतरे समाप्त हो गये हैं अथवा उसे संकटग्रस्त सूची एवं विश्व धरोहर की सूची दोनों से विलोपित भी कर सकती है.

ग्रेट बैरियर रीफ क्या है?

विशाल प्रवाल भित्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड के समुद्री तट के निकट प्रवाल सागर में अवस्थित है. इसमें

2,900 से अधिक अलग-अलग भित्तियाँ हैं और 900 प्रवाल द्वीप हैं जो लगभग 344,400 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं.

विशाल प्रवाल भित्ति को बाह्य अन्तरिक्ष से भी देखा जा सकता है. हम कह सकते हैं कि यह विश्व की वह सबसे बड़ी संरचना है जो जीवों द्वारा बनाई गई है. यह भित्ति करोड़ों सूक्ष्म जीवों से बनी हुई है जिन्हें प्रवाल पोलिप (coral polyps) कहते हैं.

प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं?

- प्रवाल भित्तियाँ महासागरों में जैव-विविधता के महत्त्वपूर्ण हॉटस्पॉट हैं. वस्तुतः प्रवाल जेलीफिश और एनिमोन की भाँति ***Cnidaria*** श्रेणी के जानवर होते हैं. इनमें व्यक्तिगत पोलिप (polyps) होते हैं जो आपस में मिलकर भित्ति का निर्माण करते हैं. प्रवाल भित्तियों में अनेक प्रकार की प्रजातियों को आश्रय मिलता है.
- ये भित्तियाँ तटीय जैवमंडल की गुणवत्ता को बनाए रखती हैं.
- कार्बन डाइऑक्साइड को चूना पत्थर शेल में बदलकर प्रवाल उसके स्तर को नियंत्रित करते हैं. यदि ऐसा नहीं हो तो महासागर के जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ जायेगी कि उससे पर्यावरण को संकट हो जाएगा.

प्रवाल श्वेतीकरण किसे कहते हैं?

- मूलतः श्वेतीकरण तब होता है जब प्रवालों से प्राकृतिक रूप से जुड़ी जूक्सेनथेले (***zooxanthellae)*** नामक काई बाहर आने लगती है. ऐसा जल के तापमान बढ़ने से होता है. वस्तुतः यह काई प्रवाल की ऊर्जा का 90% मुहैया करती है. इस काई में क्लोरोफील और कई अन्य रंजक होते हैं. इन तत्त्वों के कारण प्रवालों का रंग **कहीं पीला तो कहीं लाल मिश्रित भूरा होता है.**
- जब प्रवाल सफ़ेद होने लगता है तो उसकी मृत्यु तो नहीं होती, परन्तु लगभग मृत ही हो जाता है. कुछ प्रवाल इस प्रकार की घटना से बच निकते हैं और जैसे ही समुद्र तल का तापमान सामान्य होता है तो यह फिर से पुराने रूप में आ जाते हैं.
- 2016-17 में **विशाल प्रवाल भित्ति** के उत्तरी भागों में दोनों वर्ष अभूतवर्ष श्वेतीकरण देखा गया, जिस कारण उन्हें ऐसी क्षति पहुँची कि उसकी भरपाई होना कठिन है.

GS Paper 3 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effects on industrial growth.

TOPIC : COMPETITION COMMISSION OF INDIA

संदर्भ

हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) ने देश में स्मार्ट टेलीविजन ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में कथित **'प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यापार पद्धति'** अपनाने के लिए गूगल के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है.

संबधित प्रकरण

- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा की गई जांच के अनुसार, भारत में 'लाइसेंस योग्य स्मार्ट टीवी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम' से संबंधित बाजार में गूगल का 'दबदबा' है.
- प्रतिस्पर्धा आयोग के अनुसार, प्रथम दृष्टया, टेलीविजन ऐप डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (TADA) के तहत स्मार्ट टीवी में गूगल की सभी एप्लिकेशंस का अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन, टेलीविजन उपकरण निर्माताओं पर अनुचित शर्तें लगाने के बराबर है और, यह **'प्रतिस्पर्धा अधिनियम' की धारा 4(2)(a)** का उल्लंघन है.
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम का अनुच्छेद 4 बाजार में 'प्रभावी स्थिति' के दुरुपयोग से संबंधित है.

CCI क्या है?

- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना मार्च, 2009 में हुई थी.
- यह एक वैधानिक निकाय है जिसका दायित्व प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को पूरे भारत में लागू करना है तथा प्रतिस्पर्धा पर बुरा प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकना है.
- इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति **केंद्र सरकार द्वारा की जाती है.**
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 8 (1) के अनुसार आयोग में केवल **एक अध्यक्ष** होगा और सदस्यों की संख्या कम से कम दो होगी और अधिक से अधिक छह होगी.

कार्य

आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं :-

1. व्यापार से सम्बंधित प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव करने वाले कारकों को रोकना.
2. बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना.
3. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना.
4. व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना.
5. यह आयोग किसी वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा भेजे गये प्रतिस्पर्धात्मक मामलों पर अपना परामर्श भी देता है.
6. यह प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों के विषय में जन-जागरूकता सृजित करता है और प्रशिक्षण प्रदान करता है.

प्रतिस्पर्धा अधिनियम

2002 का मूल प्रतिस्पर्धा अधिनियम और उसका 2007 में संशोधन अधिनियम प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का प्रतिषेध करता है, प्रतिष्ठानों द्वारा अपनी प्रबल स्थिति के दुरूपयोग पर रोक लगाता है तथा भारत के अंदर प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाली गतिविधियों, यथा – अधिग्रहण, नियंत्रण हाथ में लेना आदि को नियंत्रित करता है.

हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की समीक्षा के लिए एक **प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति** (Competition Law Review Committee) बनाई है जो यह देखेगी कि प्रतिस्पर्धा कानून आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप है अथवा नहीं.

GS Paper 3 Source : PIB

UPSC Syllabus : Growth & Development.

TOPIC : FAST TRACKING FREIGHT IN INDIA: NITI AAYOG

संदर्भ

नीति आयोग ने **"भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट: स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिए एक रोडमैप"** शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है. यह रिपोर्ट नीति, प्रौद्योगिकी, बाजार, व्यवसाय मॉडल और अवसंरचना के विकास से संबंधित माल-ढुलाई क्षेत्र के लिए समाधान की रूपरेखा तैयार करती है.

माल परिवहन भूमि, समुद्र या वायु द्वारा वस्तुओं, माल और कार्गो के परिवहन की प्रक्रिया है. लॉजिस्टिक क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 5% का प्रतिनिधित्व करता है और 2.2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है.

रिपोर्ट के अनुसार, माल और सेवाओं की बढ़ती माँग के कारण भविष्य में माल-ढुलाई की माँग तीव्रता से बढ़ने की अपेक्षा है.

माल-ढुलाई से संबद्ध चिंताएं

- उच्च लॉजिस्टिक लागत
- शहरों में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में वर्धन होता है.

अनुशंसाएँ

- रेल परिवहन की भागीदारी में वृद्धि की जाए.
- ट्रक के उपयोग का अनुकूलन किया जाए.
- ईंधन दक्ष वाहनों और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए.
- अधिक समर्पित माल भाड़ा गलियारे विकसित किए जाए.
- इंटरमॉडल परिवहन को प्रोत्साहन दिया जाए.
- भंडारण और ट्रक परिचालन प्रथाओं में सुधार किया जाए.
- विभिन्न तरीकों से कंटेनरों की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाए.

लाभ

- लॉजिस्टिक्स की लागत **सकल घरेलू उत्पाद** के 14 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022 तक 10% तक होगी. इससे 10 लाख करोड़ रुपये तक की बचत हो सकती है.
- कार्बन उत्सर्जन में कमी और वायु गुणकता में सुधार हो सकता है.
- सड़कों पर निम्न ट्रक यातायात वर्ष 2050 में वाहन-माल ढुलाई गतिविधि को 48% तक कम कर सकता है.

GS Paper 3 Source : The Hindu

UPSC Syllabus : Environmental Pollution & Degradation Conservation.

TOPIC : PYGMY HOGS

संदर्भ

हाल ही में **"पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम (PHCP)"** के तहत असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में 8 **पिग्मी हॉग** (pygmy hogs) छोड़े गए हैं. इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 तक मानस राष्ट्रीय उद्यान में 60 पिग्मी हॉग छोड़ने की योजना बनाई गई है.

पिग्मी हॉग के बारे में

- ये विश्व के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सूअर हैं, जो हिमालय की दक्षिणी तलहटी में घने जलोढ़ घास के मैदानों के मूल निवासी है.
- ये सर्वाहारी होते हैं जो जड़ों, छोटे पौधों, कीड़ों आदि को खाते हैं.
- पिग्मी हॉग उत्तर-पश्चिमी असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान के आस-पास बहुत कम स्थानों तक ही सीमित हैं. यहाँ पर इसकी मूल आबादी अभी भी जीवित है, हालांकि इनकी संख्या में पर्याप्त रूप से गिरावट आई है.
- जंगलों में इनकी आबादी मात्र लगभग 250 के आस-पास बची है और वर्तमान में यह प्रजाति **IUCN रेड डेटा सूची में "गंभीर रूप से संकटग्रस्त"** **(critically** endangered) के रूप में सूचीबद्ध है.
- भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत पिग्मी हॉग को अनुसूची-1 प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है.

PHCP

पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम (PHCP), यूनाईटेड किंगडम के जर्सी में स्थित ड्यूरेल वाइल्डलाइफ कंज़र्वेशन ट्रस्ट, असम वन विभाग, वाइल्ड पिग स्पेशलिस्ट ग्रुप, तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक भागीदारी कार्यक्रम है. इसे आरण्यक और इकोसिस्टम इंडिया के सहयोग से कार्यन्वित किया जा रहा है.

GS Paper 3 Source : PIB

UPSC Syllabus : Achievements of Indians in science & technology; indigenization of technology and developing new technology.

TOPIC : NATIONAL STATISTICS DAY

संदर्भ

सामाजिक-आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्त्व के विषय में जन जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से देश में प्रत्येक वर्ष **29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस** के रूप में मनाया जाता है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्या है?

- यह दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत **प्रशांत चंद्र महालनोबिस** की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है. विदित हो कि **द्वितीय पंचवर्षीय योजना** इन्हीं के द्वारा तैयार की गयी थी.
- सांख्यिकी में इनके महत्त्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए 2007 में उनकी जन्मतिथि के अवसर पर हर साल 29 जून का दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था.
- प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस सामयिक राष्ट्रीय महत्व की विषय वस्तु के साथ मनाया जाता है जो चयनित क्षेत्रों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के द्वारा वर्ष भर चलता है.
- सांख्यिकी दिवस, 2020 की विषय वस्तु एसडीजी-3 (स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें एवं सभी उम्रों के लिए कल्याण को बढ़ावा दें) तथा एसडीजी-5 (लैंगिक समानता हासिल करें और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकारसंपन्न बनायें) चयनित की गई है.
- इस अवसर पर प्रो. पी सी महालानोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को सम्मानित किया जाएगा. इस राष्ट्रीय पुरस्कार का गठन 2019 में किया गया था.
- ध्यातव्य है कि विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है.

इस टॉपिक से UPSC में बिना सिर-पैर के टॉपिक क्या निकल सकते हैं?

देश दुनिया के इतिहास में 29 जून की तारीख पर दर्ज कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है:- **1613 :** शेक्सिपयर का लंदन स्थित ग्लोब थियेटर आग लगने से क्षतिग्रस्त. **1757 :** मीर जाफर ने बंगाल, बिहार और ओडिशा के नवाब की गद्दी संभाली. **1888 :** शास्त्रीय संगीत की पहली (ज्ञात) रिकॉर्डिंग की गई. **1913 :** यूनान सर्बिया मोंटे नेग्रो, रोमानिया और उस्मानी शासन के साथ बुल्गारिया का युद्ध शुरू हुआ, जो दूसरे बाल्कन युद्ध के नाम से जाना जाता है. **1932 :** सोवियत संघ और चीन ने अनाक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए. **1974** : सशेल्स द्वीपसमूह को स्वतंत्रता मिली.

GS Paper 3 Source : The Hindu

THE HINDU

UPSC Syllabus : Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment.

TOPIC : CURRENCY EXCHANGE AGREEMENT

संदर्भ

श्रीलंका, इस वर्ष अपने ऋण-चुकौती दायित्वों को पूरा करने और मौजूदा आर्थिक संकट पर काबू पाने के लिए भारत के साथ हुए 1 बिलियन डॉलर के **मुद्रा विनिमय (Currency Swap)** समझौता पर आश्रित है.

कुछ महीने पूर्व श्रीलंका द्वारा SAARC सुविधा के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 400 मिलियन डॉलर का मुद्रा विनिमय किया गया था.

पृष्ठभूमि

श्रीलंका, अपने ऋण सेवा दायित्वों के साथ-साथ 'विदेशी मुद्रा संकट' का सामना कर रहा है.

मुद्रा विनिमय (CURRENCY SWAP) क्या है?

- यह समझौता दो देशों के मध्य, एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त करने हेतु किया जाता है. इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाज़ार और विनिमय दर में स्थिरता तथा अन्य जोखिमों से बचना होता है.
- एक करेंसी स्वैप सुविधा, एक देश को बाजार से सीधे उधार लेने की तुलना में बेहतर ब्याज दरों पर विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने में मदद करती है, इसके तहत भुगतान समझौते के समय पर तय विनिमय दर पर किया है. यह विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के कारण जोखिम को समाप्त करता है.

GS Paper 3 Source : Down to Earth

UPSC Syllabus : Conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment.

TOPIC : OVER 18 MILLION KIDS AT E-WASTE DUMPSITES FACE THREAT OF HEALTH HAZARDS: WHO

संदर्भ

विश्व स्वास्थ्य संगठनके अनुसार **ई-अपशिष्ट** भराव स्थलों पर 18 मिलियन से अधिक बच्चे स्वास्थ्य से सम्बंधित खतरों का सामना कर रहे हैं. ये निष्कर्ष इलेक्ट्रॉनिक-अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट) और बाल स्वास्थ्य पर WHO की प्रथम प्रतिवेदन का हिस्सा हैं.

ई-अपशिष्ट क्या है?

ई-अपशिष्ट पुराने एवं अनुपयोगी हो चुके या त्याग दिए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके भागों व घटकों को संदर्भित करता है.

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- करीब 12.9 मिलियन महिलाएं अनौपचारिक अपशिष्ट क्षेत्र में कार्य कर रही हैं. इससे वे विषाक्त ई-अपशिष्ट (जैसे- निकिल, सीसा, पारा आदि) के संपर्क में आ रही हैं. फलस्वरूप उन महिलाओं तथा उनके अजन्मे बच्चों के समक्ष खतरा उत्पन्न हो रहा है.
- ई-अपशिष्ट के संपर्क में आने वाले बच्चे अपने छोटे आकार, अल्प विकसित अंगों और वृद्धि तथा विकास की तीव्र दर के कारण अपशिष्ट में मौजूद विषाक्त रसायनों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं.
- **सुझाव:** ई-अपशिष्ट का पर्यावरण के अनुकूल निपटान और श्रमिकों की सुरक्षा (निर्यातकों, आयातकों एवं सरकारों द्वारा), ई-अपशिष्ट के जोखिम व स्वास्थ्य परिणामों की निगरानी करना था सामग्रियों के बेहतर पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करना.
- संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर-2020 के अनुसार, वर्ष 2019 में संपूर्ण विश्व में 53.6 मिलियन मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ था. इसमें से मात्र 17.4% ई-अपशिष्ट को एकत्रित और पुनर्नवीनीकृत किया गया था.
- **भारत**, चीन और अमेरिका के बाद **तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला देश** है.
- वर्ष 2016 में, भारत ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम लागू किए थे. इनके अंतर्गत ई-अपशिष्ट को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उपकरण तथा उपभोक्ता इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण.

Prelims Vishesh

SANSAR DA

Anti-Dumping :-

- वित्त मंत्रालय ने चीन से निष्क्रिय गैस **R-134a** के आयात पर मौजूदा डंपिंग रोधी शुल्क की वैधता छह महीने के लिए बढ़ा दी है.
- R-134a को **टेट्राफ्लूरोएथेन** भी कहा जाता है.
- R-134a एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) है.
- इसे मुख्य रूप से घरेलू प्रशीतन और ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर के लिए उच्च ताप प्रशीतक (coolent) के रूप में उपयोग किया जाता है.
- ज्ञातव्य है कि डंपिंग रोधी शुल्क विदेशों में निर्मित ऐसी वस्तुओं के आयात पर आरोपित किया जाता है, जिनकी कीमत घरेलू बाजार में सदृश्य वस्तु के उचित बाजार मूल्य से कम रखी जाती है.

US second largest source of FDI in India 2021&21: DPIIT data :-

- उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के अनुसार, **संयुक्त राज्य अमेरिका** द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में 13.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है. इसी के साथ इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में **मॉरीशस को प्रतिस्थापित** किया है..
- **सिंगापुर** लगातार तीसरे वित्तीय वर्ष में 17.41 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ देश में FDI का शीर्ष स्रोत बना रहा है.
- वित्त वर्ष 2000-21 के दौरान इक्विटी, पुनर्निवेशित आय और पूंजी सहित कुल FDI, वित्त वर्ष 2019-20 में 74.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़कर 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है.

Hepatitis :-

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस निदान और उपचार तक पहुँच अभी भी सीमित है.
- हेपेटाइटिस यकृत की सूजन संबंधी एक रोग है, जो सामान्यतया वायरल संक्रमण के कारण होता है. परंतु, हेपेटाइटिस के अन्य संभावित कारण भी हैं (जैसे दवाओं, औषधियों, विषाक्त पदार्थों और मद्य के द्वितीयक परिणाम).
- वैज्ञानिकों ने 5 विशिष्ट हेपेटाइटिस वायरस की पहचान की है, जिनकी पहचान अक्षर A, B, C, D और E है. अभी तक हेपेटाइटिस C के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है.

Antibody-dependent Enhancement : ADE :-

- कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि सार्स-कोव-2-रोधी एंटीबॉडीज ADE के माध्यम से कोविड-19 की तीव्रता को बढ़ा सकती हैं.
- ADE तब होता है, जब एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडीज एक रोगजनक् को पहचानती और उससे आबद्ध हो जाती हैं, किन्तु वे संक्रमण को रोकने में असमर्थ होते हैं.
- इसकी बजाय, ये एंटीबॉडीज **'ट्रोजन हॉर्स'** के रूप में कार्य करते हैं, जिससे रोगजनक् को कोशिकाओं में प्रवेश करने में सहायता मिलती है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया अप्रभावी हो जाती है.
- हालांकि, विभिन्न विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि ADE की संभावित समस्या को पहले से ही कोविड-19 वैक्सीन विकास के दौरान संबोधित किया गया है.

Tulsa Race Massacre :-

- वर्ष 1921 के मई-जून ने हुआ टुल्सा नस्लीय नरसंहार, (Tulsa Race Massacre), अमेरिका के आधुनिक इतिहास में **हिंसक नस्लीय घृणा संबंधी सबसे ख़राब घटनाओं** में से एक है.
- इस नस्लीय नरसंहार में ओक्लाहोमा राज्य के टुल्सा में, श्वेत नस्ल की भीड़ द्वारा अपेक्षाकृत समृद्ध अफ्रीकी-अमेरिकियों लक्षित करके बड़े पैमाने पर हत्याएं की गयीं तथा इनकी संपत्ति को व्यापक क्षति पहुंचाई गयी थी.
- टुल्सा को अमेरिका में 'सिविल राइट्स' लागू होने से पहले 'जिम क्रो' कानूनों या बेहद कठोर पृथक्करण कानूनों की वजह से पीड़ित अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए एक **'अनौपचारिक अभयारण्य- शहर'** माना जाता था. इस शहर को **अमेरिका का "ब्लैक वॉल स्ट्रीट"** भी कहा जाता था.

World Milk Day :-

- हाल ही में **1 जून को विश्व दुग्ध दिवस-2021 (World Milk Day-2021)** को वैश्विक स्तर पर मनाया गया है.
- भारत में विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर एपीडा ने भारत के डेयरी उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सहयोग से वेबिनार का आयोजन किया है.

- विश्व दुग्ध दिवस-2021 की **थीम** 'पर्यावरण, पोषण के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता' पर केंद्रित है.
- भारत में दुग्ध क्रांति के जन्मदाता डॉ वर्गीज़ कुरियन हैं.

CSC E-Governance India (CSC SPV) :-

- CSC SPV ने हाल ही में, कृषि सेवाओं के लिए एक ई-मार्केटप्लेस या पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, जो किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पशु चारा और अन्य कृषि आगत उत्पाद खरीदने में सक्षम बनाएगा.
- पोर्टल का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है, जो भारत के कृषक समुदाय के 86 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं.
- CSC SPV, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है, जो उपभोक्ताओं को अपने सामान्य सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करता है.

YUVA-PM Scheme for Mentoring Young Authors :-

- युवा / YUVA (युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक) योजना, शिक्षा मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई है.
- यह युवा और नवोदित लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने, लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके व वैश्विक स्तर पर भारत तथा भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया सके.
- यह भारत @ 75 परियोजना (आजादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के विस्मृत नायकों व स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका जैसे विषयों पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को सामने लाना है.

Bal-swaraj COVID- Care Portal :-

- हाल ही में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने कोविड-19 के दौरान माता-पिता या माता-पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चों की निगरानी के लिए बाल-स्वराज-कोविड-केयर पोर्टल के उपयोग का विस्तार किया है.
- बाल-स्वराज एक ऑनलाइन ट्रैकिंग और रियल-टाइम मॉनिटरिंग पोर्टल है. इसे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए NCPCR द्वारा तैयार किया गया है.

यह NCPCR को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 {Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015} धारा 109 के तहत निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मदद करता है.

GDP Growth for FY21 :-

- भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) गत तिमाही में 1.6% की वृद्धि के साथ, वित्त वर्ष 2021 में 7.5% तक संकुचित हुई थी.
- **सकल घरेलू उत्पाद** को आधार कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित (GVA) के योग के रूप में प्राप्त किया जाता है.
- इसमें उत्पादों पर सभी करों को जोड़ दिया जाता है व उत्पादों पर सभी सब्सिडियों को घटा दिया जाता है.
- वित्त वर्ष 1979-80 (जब सकल घरेलू उत्पाद में 5.2% की कमी आई थी) के बाद से विगत चार दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन का यह प्रथम पूर्ण वर्ष है.

Nano Urea Liquid :-

- इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO) ने संसार-भर के किसानों के लिए विश्व का प्रथम नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया है.
- नैनो यूरिया लिक्विड को पारंपरिक यूरिया को प्रतिस्थापित करने के लिए विकसित किया गया है.
- यह इसकी जरुरत को कम से कम 50% तक कम कर सकता है.
- इसका उपयोग मृदा में यूरिया के अत्यधिक प्रयोग को कम कर संतुलित पोषण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करेगा तथा फसलों को दृढ़, स्वस्थ बनाएगा और उन्हें अस्थायी ठहराव के प्रभाव (lodging effect) (तने का खंडित होना) से बचाएगा.

Horticulture Cluster Development Programme :-

- हाल ही में, केंद्रीय कृषि मंत्री ने बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) का शुमारंभ किया.
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, जिसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है.
- इसे 11 राज्यों /संघ शासित प्रदेशों के लगभग 10 लाख किसानों को समाहित करते हुए 12 बागवानी क्लस्टर्स (कुल 53 क्लस्टर्स में से) में प्रायेगिक चरण में शुरू किया गया है.

- यह भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा और एकीकृत एवं बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देगा. इससे भारतीय बागवानी क्लस्टर्स (horticulture clusters) वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेंगे.

Bnei Menashe :-

- मेनाशे की संतति बन्नी मेनाशे जिनमें चिन, लुशाई, कुकी और मिजो जनजातियों के सदस्य शामिल हैं; पूर्वोत्तर भारत के एक नृजातीय-भाषाई समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं.
- वे मणिपुर और मिजोरम में बसे हुए हैं और माना जाता है कि वे मनाशा के वंशज हैं, जो 10 मूल यहूदी जनजातियों में से एक था. इन्हें इजरायल की भूमि से निर्वासित किया गया था.
- वर्ष 2003 से, उनमें से कई इजरायल प्रवासित हो गए हैं, जिनमें हाल ही में 160 सदस्यों का आप्रवासन भी शामिल है.

Sustainable Urban Development :-

- हाल ही में, सतत शहरी विकास के लिए मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के मध्य समझौता ज्ञापन तथा भारत व जापान के मध्य सहयोग ज्ञापन (MoC) को स्वीकृति प्रदान की है.
- सतत शहरी विकास अर्थव्यवस्था, समाज और प्रकृति के बीच अंतर्संबंधित त्रयी (triad) का प्रतिनिधित्व करता है.
- यह त्रयी एक ऐसी सामाजिक-आर्थिक प्रणाली की स्थापना की सुविधा प्रदान करती है, जो प्राकृतिक विश्व को क्षति नहीं पहुँचाती है.
- यह शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला एवं टिकाऊ बनाने के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG)-11 के तहत SDGs का हिस्सा है.

SWASTIIK technology for disinfecting water :-

- स्वास्तिक (भारतीय ज्ञान आधार से सुरक्षित जल और टिकाऊ प्रौद्योगिकी पहल) एक हाइब्रिड तकनीक है.
- यह सुरक्षित और स्वस्थ पेयजल के लिए आधुनिक तकनीक एवं भारतीय पारंपरिक ज्ञान को संयोजित करती है.
- उपयोग की जाने वाली तकनीक- हाइड्रोनैमिक कैविटेशन तकनीक प्राकृतिक तेलों तथा पादप रस के रूप में प्राकृतिक संसाधनों के साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी तथा केमिकल इंजीनियरिंग को संयोजित करती है.
- जल का विसंक्रमण ऐसे रोगजनक सूक्ष्मजीवों को हटाने के लिए आवश्यक है, जो कई जल जनित रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं.

हालाँकि, क्लोरीनीकरण जैसी रासायनिक विधियों की सामान्य कमियों में हानिकारक / कैंसरजन्य विसंक्रमण उप-उत्पादों का सृजन शामिल है.

Pran Vayu Devta Pension Scheme- PVDPS :-

1. हरियाणा सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर "प्राण वायु देवता पेंशन योजना" (Pran Vayu Devta Pension Scheme- PVDPS) और ऑक्सी वन (ऑक्सीजन वन) योजनाओं की घोषणा की गई.
2. यह **75 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृक्षों को सम्मानित करने की एक पहल** है, जिन्होंने जीवन-भर ऑक्सीजन का उत्पादन, प्रदूषण कम करके, छाया प्रदान करके मानवता की सेवा की है.
3. पूरे राज्य में ऐसे वृक्षों को चिह्नित किया जाएगा और स्थानीय लोगों को इस योजना में शामिल कर इनकी देखभाल की जाएगी.
4. ऑक्सी वन (Oxy Van), एक चिन्हित की गई भूमि के टुकड़े हैं, जिन पर 3 करोड़ पेड़ लगाए जायेंगे.

Operation Blue Star :-

- हाल ही में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगाँठ मनाई गई है.
- भारतीय सेना की तरफ से स्वर्ण मंदिर पर कि गई कार्यवाही को 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के नाम से जाना जाता है.
- जून 1984 की घटना के बाद से हर साल यहां 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ मनाई जाती है.
- 5 जून, 1984 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे अलगाववादियों को बाहर निकालने के लिये भारतीय सैन्य अभियान को दिया गया एक कोड नाम है.
- ऑपरेशन मुख्य रूप से अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर पर नियंत्रण करने के लिये दिया था.

Rules for post-retirement hiring of officials by government organizations :-

- संविदा या परामर्श के आधार पर किसी सेवानिवृत्त अधिकारी की नियुक्ति से पूर्व सरकारी संगठनों को स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा.
- हालांकि, इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ने एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है जिसे सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया जाना अपरिहार्य होगा.
- यदि सेवानिवृत्त अधिकारी ने एक से अधिक संगठनों में सेवा प्रदान की है, तो उन सभी संगठनों से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, जहां वह व्यक्ति सेवानिवृत्ति से पूर्व 10 वर्षों के दौरान नियोजित था.
- CVC ने सभी सरकारी संगठनों को अपने कर्मचारियों के लिए उचित नियम तैयार करने का भी निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी क्षेत्र में किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व, कूलिंग ऑफ पीरियड (cooling off period) का पालन किया गया है या नहीं.

Expert Group on Fixation of Minimum Wages and National Floor Wages :-

- श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है.
- यह मजदूरी पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार करेगा और न्यूनतम मजदूरी तथा राष्ट्रीय आवश्यकता आधारित न्यूनतम मजदूरी दर के निर्धारण के लिए एक वैज्ञानिक मानदंड एवं प्रक्रियाओं को नियत करने में सहयोग करेगा.
- समूह मजदूरी संहिता, 2019 (Code of Wages, 2019) के तहत न्यूनतम मजदूरी तथा राष्ट्रीय आवश्यकता आधारित न्यूनतम मजदूरी दर के निर्धारण में भी केंद्र सरकार की सहायता करेगा.

Corbevax Vaccine from Bio-E :-

- कॉर्बविक्स वैक्सीन, पुनः संयोजक डी.एन.ए. तकनीक पर आधारित पुनः संयोजक प्रोटीन मंच पर निर्भर है.
- इसमें क्लोन किए गए स्पाइक प्रोटीन को जैव प्रसंस्करण के माध्यम से लैब में निर्मित किया जाता है.
- उदाहरण के लिए, पुनः संयोजक प्रोटीन के लिए मेजबान के रूप में ई. कोलाई (E. coli) का उपयोग वस्तुतः कम लागत, जैव रसायन और आनुवंशिकी, तीव्र विकास एवं बेहतर उत्पादकता आदि के संबंध में लाभ प्रदान कर सकता है.
- अन्य टीकों (जहाँ मानव शरीर की कोशिकाओं को निर्देशित किए जाने के पश्चात स्पाइक प्रोटीन का निर्माण होता है) की तुलना में इनकी कीमत कम होती है तथा इनका उत्पादन भी सुगम होता है.

Food Saftey and Standards Authority of India (FSSAI) :-

- नए पैकेंजिंग नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए, FSSAI ने पैकेज खाद्य कंपनियों को नवंबर तक प्रत्येक उत्पाद में मौजूद सोडियम, चीनी और वसा की मात्रा प्रदर्शित करने का आदेश दिया है.
- FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 5 के अंतर्गत स्थापित एक विनियामक संस्था है.
- वर्ष 2019 में, FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियमावली, 2011 {Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011} को प्रतिस्थापित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियमावली, 2018 की घोषणा की गई थी.

New Mission to Venus :-

- नासा ने अपने "डिस्कवरी प्रोग्राम" के एक भाग के रूप में पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी शुक्र ग्रह के लिए दो मिशनों की घोषणा की है.
- इनका उद्देश्य सौर मंडल का अन्वेषण करना और उसका अध्ययन करना है.
- **नए मिशनों के बारे में:** DAVINCI+ (डीप एटमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस, कंमिस्ट्री एंड इमेजिंग) मिशन तथा VERITAS (वीनस एमीशविटी, रेडियो साइंस, InSAR, ट्रोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी).
- वर्ष 1990 में प्रक्षेपित मैगलन ऑर्बिटर, इस ग्रह पर लैंडिंग करने वाला अंतिम अमेरिकी मिशन रहा है.

Women reservation in Higher Education :-

- बिहार सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्राओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है.
- इससे इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्र में छात्राओं की संख्या में वृद्धि होगी तथा अधिक लड़कियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सकेगा.
- सरकार ने एक विधेयक लाने का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है. यह बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए इंजीनियरिंग और चिकित्सा विश्वविद्यालयों की स्थापना

तथा इन संस्थानों के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा.

World Ocean Day :-

- हर साल **8 जून को विश्व महासागर दिवस (World Ocean Day)** मनाया जाता है.
- यह दिवस मुख्य रूप से लोगों को महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है.
- महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है.
- विश्व महासागर दिवस पहली बार 1992 में रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) के दौरान सुझाया गया था. इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर, 2008 को इस दिन को नामित करने का प्रस्ताव पारित किया.
- इस दिवस पर हर साल एक नई थीम का चुनाव किया जाता है.
- इस साल की विश्व महासागर दिवस की थीम 'द ओशन: लाइफ एंड लाइवलीहुड' रखी गई है.

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana :-

- केंद्र सरकार ने PMGKAY को नवम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोविड समस्या के दौरान खाद्यान आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु लाया गया था. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रारम्भ मार्च में किया गया था. इसके तहत 80 करोड़ व्यक्तियों, अर्थात्, भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी को इस योजना के तहत कवर किया गया एवं इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अगले तीन महीनों के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न दिया गया. इसके अतिरिक्त लोगो को यह अनाज मुफ्त में प्रदान किया गया.
- अद्यतन अधिसूचना के अनुसार, **परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किग्रा मुफ्त चावल / गेहूं प्रदान करने के साथ, प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किग्रा मुफ्त चना** भी प्रदान किया जाएगा.
- वर्तमान में प्रधानमत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर के अंत तक विस्तारित कर दी है.

Reserve Bank of India transfer tops govt's non-tax revenue (NTR) :-

- गैर-कर राजस्व (भार) कर के अतिरिक्त, अन्य स्रोतों से अर्जित सरकार की आवर्ती आय (recurring income) है.
- **स्रोत:** राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण का ब्याज; सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (PSEs) से लाभांश और लाभ के साथ-साथ RBI से अधिशेष का हस्तांतरण; पेट्रोलियम लाइसेंस (अन्वेषण या उत्पादन); विद्युत् आपूर्ति शुल्क; संचार सेवाओं पर शुल्क; प्रसारण पर शुल्क; सड़क और पुलों का उपयोग शुल्क, परीक्षा शुल्क (UPSC और SSC द्वारा एकत्रित), प्रशासनिक सेवाएं एवं पुलिस सेवाएं; स्टेशनरी, गैजट्स आदि की बिक्री; रक्षा सेवाओं से संबंधित प्राप्तियाँ इत्यादि.

Wholesale Price Index :-

- WPI के संशोधन के लिए कार्य समूह (रमेश चंद की अध्यक्षता में) ने एक नया आधार वर्ष 2017-18 (वर्तमान 2011-12) निर्धारित करने और बास्केट में शामिल मदों को दोगुना कर 1,196 (वर्तमान में 692 वस्तुओं से) करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.
- थोक स्तर पर सामानों की कीमतों का आकलन करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI) का प्रयोग किया जाता है. दरअसल थोक मूल्य सूचकांक भारत में व्यापारियों द्वारा थोक(Wholesale) में बेचे गए सामानों की कीमतों में परिवर्तन को मापता है.

Study maps Vidarbha tiger corridors :-

- अपनी तरह की प्रथम परियोजना में, बाघों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गलियारों की पहचान करने के लिए रेडियो टेलीमेट्री को परिनियोजित किया गया है.
- यह परियोजना वर्ष 2017 व वर्ष 2020 के बीच महाराष्ट्र वन विभाग और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा कार्यान्वित की गई थी.
- अध्ययन से संकेत मिलता है कि बाघ पहले से ही ज्ञात क्षेत्रों की तुलना में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर बहुत व्यापक क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं.

State of India's Enviornment Report 2021 by Centre for Science and Environment (CSE) :-

- 17 सतत विकास लक्ष्यों (500) में भारत की रैंक विगत वर्ष से दो स्थान नीचे 117 पर आ गई है.
- इस गिरावट के कारणों में कई चुनौतियां विद्यमान हैं, जैसे:-

i) भुखमरी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना (SDG 2)

ii) लैंगिक समानता हासिल करना (SDG 5) तथा

iii) लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगीकरण और नवाचार (SDG 9)

- भारत चार दक्षिण एशियाई देशों यथा- मूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है.
- भारत का कुल 500 स्कोर 100 में से 61.9 है.
- CSE नई दिल्ली में स्थित एक जनहित अनुसंधान और पक्षपोषण संगठन है.

Bose Einstein condensation : BEC :-

- हाल ही में, भौतिकविदों को प्रकाश कणों के BEC में एक नया चरण दृष्टिगोचर हुआ.
- कभी-कभी "पदार्थ की पांचवी अवस्था के रूप में वर्णित BEC पदार्थ की एक अवस्था होती है.
- इसका निर्माण कण (जिन्हें बोसॉन कण कहा जाता है) को लगभग परम शून्य तापमान (-273.15 डिग्री सेल्सियस) तक ठंडा किये जाने पर होता है.
- "इतने कम तापमान पर कणों के लिए उन स्थितियों में जाने हेतु अपर्याप्त ऊर्जा होती है, जो उनकी विशिष्ट क्वांटम विशेषताओं का एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करने का कारण बन सकती है.
- इसलिए, इस अवस्था में ये कण एक विशाल सुपर पार्टिकल की भांति व्यवहार करते हैं.

Software Technology Parks of India: STPI :-

- हाल ही में, STPI ने स्वास्थ्य सेवा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट कृषि आदि क्षेत्रों में 12 उतकृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया.
- STPI की स्थापना वर्ष 1991 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अन्तर्गत की गई थी.
- इसका उद्देश्य एक प्रमुख विज्ञान व प्रौद्योगिकी संगठन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सक्षम सेवाओं / बायो-आईटी सहित सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास एवं निर्यात को प्रोत्साहन देना है.
- यह सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति (NPSP) 2019 में परिकल्पित देश को एक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए एक सहयोगी मॉडल पर कार्य करता है.

Voyage Data Recorder (VDR) :-

- हाल ही में, श्रीलंका ने एमवी एक्स प्रेस पर्ल शिप (MV X Press Pearl Ship) dk VDR बरामद किया है.
- हवाई जहाजों में ब्लैक बॉक्स के समान, VDR एक पोत पर विभिन्न डेटा रिकॉर्ड करता है.
- इससे जलयात्रा विवरण के पुनर्निर्माण में मदद मिलती है और दुर्घटना की जांच में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है.

India's first international maritime services cluster (IMSC) :-

- गुजरात मेरीटाइम बोर्ड गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (Gift City) में प्रथम IMSC स्थापित करेगा.
- गिफ्ट सिटी भारत का एकमात्र स्वीकृत IFSC अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) है, जो गुजरात के गांधीनगर में स्थित है.
- IMSC को एक समर्पित पारितंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा.
- इसमें बंदरगाह, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता और समुचित सरकारी विनियामक शामिल होंगे, जो सभी GIFT सिटी के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हैं.
- यह समुद्री क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यवसाय करने में सुगमता और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में सहायता करेगा.

Ratle Hydroelectric Project :-

- रतले जलविद्युत परियोजना (Ratle HEP) एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है, जो **जम्मू और कश्मीर** के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है.
- वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच रतले और किशनगंगा (झेलम नदी) परियोजनाओं पर असहमति है.

Jangi Thopan Powari Hydroelectric Project:-

जंगी थोपन पोवारी जलविद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है.

Spcialised Supervisory and Regulatory Cadre: SSRC :-

- SSRC को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा वर्ष 2019 में बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावी निगरानी के लिए प्रस्तावित किया गया था.
- इसका उद्देश्य व्यवसायिक बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से सम्बंधित पर्यवेक्षण और नियमन को सशक्त करना है.

- RBI के पास वर्तमान में वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए एक बोर्ड है. इसमें केंद्रीय बोर्ड के चार निदेशक सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करता है.
- RBI का डिप्टी गवर्नर पदेन सदस्य होता है.

Place of Effective Management (POEM) :-

- कोविड-19 के उपरांत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल (HNI) व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक व पारिवारिक वर्धित पलायन के साथ, POEM का उल्लंघन करने का जोखिम बढ़ गया है.
- आयकर अधिनियम,1961 की धारा 6 के अंतर्गत "प्रभावी प्रबंध का स्थान" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां किसी अस्तित्व के संपूर्ण कारबार के संचालन के लिए आवश्यक प्रमुख प्रबंधन और वाणिज्यिक विनिश्चय, सारवान रूप से किए जाते हैं.
- इसे वर्ष 2017-18 में भारत में अधिवास स्थिति और इसके कारण आरोपित होने वाले कर से बचने के लिए भारत के बाहर नियंत्रण एवं प्रबंधन से संबंधित निरर्थक या अलग-थलग प्रकरणों को कृत्रिम रूप से स्थानांतरित करके भारतीय कर प्राधिकारियों के दायरे को सीमित करने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया था.

Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings (WUR) :-

- IIT बॉम्बे,IIT दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु एकमात्र भारतीय संस्थान हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर शीर्ष 200 में स्थान प्राप्त किया है.
- विश्व स्तर पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान प्रदान किया गया, उसके पश्चात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जबकि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने तीसरा स्थान साझा किया.
- QS, रैंकिंग को संकलित करने के लिए छह संकेतकों का उपयोग करता है यथा: शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा, प्रति संकाय साइटेशन, संकाय / छात्र अनुपात, अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात.

Places in News :-

Roimona

- कोकराझार जिले में स्थित, रायमोना **असम** का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है (काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू-सैखोवा अन्य पांच हैं).
- रायमोना राष्ट्रीय उद्यान बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर स्थित है.
- उद्यान के क्षेत्र में अधिसूचित रिपू आरक्षित वन का उत्तरी भाग शामिल है, जो भारत-भूटान सीमा तक विस्तृत मानस राष्ट्रीय उद्यान के सबसे पश्चिमी बफर का सृजन करता है.
- रायमोना मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग-रिपू एलीफैंट रिजर्व का एक अभिन्न अंग है.

Burkina Faso

- बुर्किना फासो, अर्थात् अदूष्य लोगों (incorruptible) की भूमि, पश्चिमी अफ्रीका में एक भू-आबद्ध देश है.
- इसकी राजधानी **औगाडौगू** (Ouagadougou) है.
- वोल्टा नदी की विभिन्न सहायक नदियों द्वारा अपवाहित, बुर्किना फासो में सवाना घास का मैदान स्थित है और यह हरमट्टन पवनों (एक ठंडी शुष्क वायु) से प्रभावित होता है.

Merapi Volcano

- मेरापी, मध्य जावा की राजधानी योग्याकार्ता के उत्तर में एक खड़ी ढाल वाला संस्तरित ज्वालामुखी (stratovolcano) है.
- यह इंडोनेशिया के 127 ज्वालामुखियों में से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है.

Tianamen Square

तियानमेन चौक, जिसे 4 जून की घटना के रूप में भी जाना जाता है, बीजिंग में विरोध और प्रदर्शनों की एक श्रृंखला एवं सरकार द्वारा सैन्य दमन की परिणति से संबंधित है.

Delta Plus Varient :-

- हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को कोविड-19 के चिंताजनक वैरिएंट (वीओसी) 'डेल्टा प्लस वैरिएंट' पर परामर्श दिया है.
- भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (आईएनएसएसीओजी) के हाल के निष्कर्षों के आधार पर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र, केरल और मध्य

प्रदेश के कुछ जिलों में पाये गये कोविड-19 के डेल्टा प्लस वैरिएंट को लेकर इन राज्यों को अलर्ट किया और परामर्श जारी किया है.

- केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन राज्यों से कहा कि महाराष्ट्र के रत्नागिरि और जलगांव जिलों; केरल के पलक्कड़ और पथनमथित्ता जिलों; और मध्य प्रदेश के भोपाल व शिवपुरी जिलों से मिले नमूनों के जीनोम अनुक्रमण में यह वैरिएंट पाया गया है.

Turbidity Current :-

- वर्ष 2020 में पश्चिम अफ्रीका के तट पर कांगो नदी से दूर एक गहरे कैनियन में जल के नीचे एक विशाल अवधाव (avalanche) (जिसे टर्बिडिटी करंट कहा जाता है) संपादित हुआ था.
- टर्बिडिटी करंट (आविल धारा) जल का एक तेज व अधोगामी (downhill) प्रवाह है जो उच्च मात्रा में तलछट की वजह से घनत्व में वृद्धि के कारण होता है.
- टर्बिडिटी एक जलराशि में तलछट, प्लवक या कार्बनिक उप-उत्पादों जैसे कणों के स्तर की माप है.
- टर्बिडिटी करंट भूकंप, ढहते ढलानों और अन्य भूवैज्ञानिक गतिविधियों के कारण हो सकती हैं.
- एक बार गति में आने के उपरांत, आविल (तलछट युक्त) जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है और समुद्र नितल के भौतिक आकार को परिवर्तित कर सकता है.

Content delivery network :-

- संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित CDN प्रदाता फास्टली (fastly) में एक गड़बड़ी को वैश्विक आउटेज (अनुपयोग काल) हेतु उत्तरदायी कारण माना गया है, जिसने विश्व-भर में सोशल मीडिया, सरकार और समाचार वेबसाइटों को प्रभावित किया था.
- CDN, सर्वरों के भौगोलिक रूप से वितरित समूह को संदर्भित करता है, जो इंटरनेट सामग्री का तेजी से वितरण करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं.
- वर्तमान में विश्व-भर में अधिकांश वेब ट्रैफिक CDN के माध्यम से संचालित होता है.
- इसके अतिरिक्त, कंपनियां अपनी साइटों को ट्रैफिक में आकस्मिक वृद्धि, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आदि से बचाने के लिए इन CDN पर निर्भर होती हैं.

Carbon nanotubes (CNTs) :-

- MIT के इंजीनियरों ने सूक्ष्म कार्बन कणों का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न की, जो कि एक कार्बनिक विलायक (जिसमें वे तैर रहे होते हैं) के साथ परस्पर अंतःक्रिया करके विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर सकते हैं.
- ये कण टेफ्लॉन जैसे बहुलक से संदलित (crushed) CNTs से निर्मित होते हैं.
- CNTs बेलनाकार अणु होते हैं, जिनमें एकल परत कार्बन परमाणुओं (ग्राफीन) की वेल्लित (rolled-up) तहें होती हैं.
- वे अति-उच्च शक्ति व अल्प वजन वाले पदार्थ हैं, जिनमें अत्यधिक संचालकिय विद्युत और तापीय गुण होते हैं.

Employee's State Insurance Corporation: ESIC :-

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने घोषणा की है कि ESIC अपने स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ नगर निकायों में संलग्न सभी आकस्मिक और संविदा कर्मचारियों को प्रदान करेगा.
- ESIC, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निगमित निकाय है, जो कर्मचारी राज्य बीमा (Employees' State Insurance: ESI) योजना के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है.
- ESI योजना एक स्व-वित्तपोषित व्यापक सामाजिक सुरक्षा योजना है. यह योजना में सम्मिलित किए गए कर्मचारियों को नियोजन के दौरान रोग, दिव्यांगता या चोटों के कारण मृत्यु की घटनाओं से उत्पन्न वित्तीय संकट से बचाने के लिए तैयार की गई है.

Indian Science Technology and Engineering facilities Map – I-STEM :-

- आई-एसटीईएम (I-STEM) पोर्टल अब उपयोगकर्ताओं को कॉम्सॉल (COMSOL) मल्टीफिजिक्स सॉफ्टवेयर तक पहुँचने में मदद करेगा.
- कॉम्सॉल समूह द्वारा विकसित कॉम्सॉल मल्टीफिजिक्स सॉफ्टवेयर सूट का उपयोग विश्व-भर में अनुसंधान और विकास के साथ-साथ सीखने एवं निर्देश के लिए विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर अनुकरण के लिए एक अनिवार्य उपकरण के रूप में किया जाता है.
- I-STEM एक राष्ट्रीय पोर्टल है, जो शोधकर्ताओं को उनके अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए आवश्यक विशिष्ट सुविधाओं का पता लगाने में सहायता करता है.
- इसका उद्देश्य देश भर के विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास संसाधनों का एक डेटाबेस निर्मित कर "शोधकर्ताओं और संसाधनों को जोड़ना" है.

- यह प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन सलाहकार परिषद् (PM-STIAC) मिशन के तहत प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल है.

Woolly Flying Squirells Spicies :-

- हाल ही में, हिमालय में ऊनी उड़ने वाली गिलहरियों की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं. इनका नाम तिब्बती ऊनी उड़ने वाली गिलहरी (यूपेटौरस टिबेटेंसिस) और युन्नान ऊनी उड़ने वाली गिलहरी (यूपेटौरस निवामन्स) है.
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा ऊनी उड़न गिलहरी (यूपेटॉरस सिनेरेस) को इंडेंजर्ड (EN) प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.
- यह **विश्व में सबसे बड़ा ग्लाइडिंग स्तनपायी** और लम्बे समय से विश्व में दुर्लभ तथा सबसे कम अध्ययन किया गया स्तनपायी है.
- 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक, इसे विलुप्त माना जाता था. वर्ष 1994 में इसकी उत्तरी पाकिस्तान में पुन: खोज की गई थी.

China to send first crew to Space Station :-

- चीन, तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शेनझोउ-12 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करेगा.
- वर्ष 2003 में अपनी क्षमता के बल पर अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला **तीसरा देश बनने** के बाद से चीन पहले ही 11 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज चुका है.
- अमेरिकी कानून द्वारा चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रतिबंधित किया गया है.
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अमेरिका, रूस, कनाडा, यूरोप और जापान के मध्य सहयोगी परियोजना है.

Indo-German Science and Technology Centre: IGSTC :-

- हाल ही में IGSTC औद्योगिक अध्येतावृत्ति कार्यक्रम आरम्भ किया गया है.
- इसका उद्देश्य जर्मन उद्योगों और औद्योगिक अनुसंधान व विकास संस्थानों में औद्योगिक प्रदर्शन के लिए विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में युवा भारतीय पीएचडी छात्रों व पोस्ट-डॉक्टरेट शोधकर्ताओं की सहायता करेगी.
- इंडो-जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (IGSTC) की स्थापना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और जर्मन सरकार द्वारा की गई थी.
- इसका उद्देश्य भारत-जर्मन की अनुसंधान और प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग का उपयोग करते हुए अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास एवं उद्योग में भागीदारी की सुविधा प्रदान करने पर जोर देना है.
- IGSTC अपने प्रमुख कार्यक्रम '2+2 परियोजनाओं' के जरिये भारत और जर्मनी से अनुसंधान और अकादमिक संस्थानों एवं सार्वजनिक/निजी उद्योगों की क्षमता को समन्वित करके नवाचार केंद्रित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को उत्प्रेरित करता है.

Mandatory Hallmarking of Gold Jwellery :-

- इसे 16 जून से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और ज्वैलर्स को केवल 14, 18 और 22 कैरेट के स्वर्ण आभूषण विक्रय करने की अनुमति होगी.
- स्वर्ण की हॉलमार्किंग एक शुद्धता प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है और इसका उपयोग अब तक स्वैच्छिक रहा है.
- भारतीय मानक ब्यूरो वर्ष 2000 से स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजना संचालित कर रहा है.
- वर्तमान में लगभग 40% स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा रही है.
- **हॉलमार्किंग के लाभ:** इससे आभूषणों की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी और निम्न कैरेट (सोने की शुद्धता) स्वर्ण से जनता के उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा होगी.

Government releases Desertification and Land Degradation Atlas of India :-

- इसे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसरो, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है.
- यह एटलस वर्ष 2018-19 की समयावधि के लिए राज्यवार अपरदित भूमि का क्षेत्र प्रदर्शित करता है.
- यह वर्ष 2003-04 से वर्ष 2018-19 तक 15 वर्षों की अवधि के दौरान हुए परिवर्तन का विश्लेषण भी प्रदान करता है.
- यह महत्वपूर्ण आधारभूत और अस्थायी डेटा तथा तकनीकी इनपुट प्रदान करके भूमि पुनर्स्थापन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिकल्पित राष्ट्रीय कार्य योजना को मजबूत करने में सहायक है.

Tardigrades :-

- जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोलर रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक जमे हुए जीव "टार्डिग्रेड' को पुनर्जीवित किया है, जिसे उन्होंने अंटार्कटिका में खोजा था.
- टार्डिग्रेड्स, जिन्हें आमतौर पर "वाटर बियर" या "मॉस पिगलेट" के रूप में जाना जाता है, सामान्यतया पूर्ण विकसित होने पर लगभग 0.5 मिमी (0.02 इंच) तक लंबे होते हैं.
- टार्डिग्रेड्स बहुत कठोर जीव हैं और पृथ्वी पर पर्वत-शिखर से लेकर गहरे समुद्र तक पाए जाते हैं.
- वे पांच सामूहिक विलोपन (five mass extinctions) की घटनाओं के उपरांत भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं.
- इन छोटे जीवों की उच्च दबाव वाले वातावरण में जीवित रहने की क्षमता उन्हें अत्यधिक उपयोगी शोधपरक जीव बनाती है.

SANSAR DCA